

बिना संस्कार नहीं सहकार

बिना सहकार नहीं उद्धार



सहकार भारती उत्तर प्रदेश



समाखिका

उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लि०

मुख्यालय-उपभोक्ता भवन, वालाकदर रोड, लखनऊ

संघ द्वारा संचालित प्रमुख कार्यकलाप

- विभिन्न सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों/कार्यालयों तथा विभिन्न संस्थाओं के कार्यालयों में प्रयोग हेतु लेखन सामग्री की आपूर्ति करना।
- छपी स्टेशनरी, कम्प्यूटर, फर्नीचर एवं कार्यालय उपयोग हेतु अन्य सामग्री की विभागीय आपूर्ति।
- फुटकर उर्वरक बिक्री केन्द्रों से इफको, कृभकों आदि द्वारा उत्पादित यूरिया एन०पी०के०/डी०ए०पी०, जिंक सल्फेट बायो फर्टिलाइजर की फुटकर बिक्री करना।
- उर्वरक परिवहन का कार्य करना।
- उपभोक्ता वस्तुओं की फुटकर बिक्री करना।
- मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत गेहूँ/धान खरीद का कार्य करना।
- प्रदेश में ०६ गैस एजेन्सियों के माध्यम से उपभोक्ताओं को एल०पी०जी० गैस वितरण का कार्य।
- विभिन्न सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालयों, निगमों सहकारी संस्थाओं में मैनपावर सप्लाई का कार्य करना।

(विनोद कुमार सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

(अरिजीत सिंह)
उप सभापति

(संजीव जैन गोयल)
सभापति



सहकार भारती

बिना संस्कार नहीं सहकार ।
बिना सहकार नहीं उद्धार ॥



अनुक्रमणिका

मार्ग दर्शक मण्डल

सर्व श्री सतीश मराठे
रमेश वैद्य
दीना नाथ ठाकुर
डा. उदय जोशी
संजय पाचपोर

संपादक मण्डल

जगदीश नारायण भट्ट
सतीश कुमार दीक्षित

विशिष्ट सहयोगी मण्डल

सर्व श्री नरेंद्र उपाध्याय
डा. प्रवीण सिंह जादौन
डा. अरुण कुमार सिंह
हीरेन्द्र कुमार मिश्रा
कृष्ण कुमार ओझा
शिवेन्द्र प्रताप सिंह

शुभकामना संदेश

अध्यक्षीय कलम से.....	1
महामंत्री – प्रतिवेदन	3
सहकार भारती और सहकारिता क्षेत्र का विकास	6
सहकार भारती – कार्यकर्ताओं के दायित्व	9
भारतीय सहकारी ऋण आंदोलन	12
सहकारिता से समृद्धि की दिशा – सहकार भारती के प्रयास	14
भारतीय सहकारिता आंदोलन – दशा और दिशा	16
प्रमुख सहकारी संस्थानों की वेबसाइट्स	21
राष्ट्रीय अधिवेशन की प्रमुख झलकियाँ	22
प्रमुख कार्यक्रमों की चित्रावली	24
सहकार भारती – राष्ट्रीय पदाधिकारी	27
सहकार भारती – प्रदेश पदाधिकारी	28
आधार स्तंभ	29
सहकार भारती – विभाग संयोजक	29
सहकार भारती – जिला अध्यक्ष	30
प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS) का सशक्तिकरण-डिजिटलीकरण	31
सहकारिता का श्रेष्ठ विचार-चुनौतियाँ और सहकार भारती की भूमिका	33
सहकारिता के नए आयाम	36
सहकारिता, भूमिका और महत्व – एक स्कोट विश्लेषण	38
सहकारिता से स्वावलंबन	40

राजनाथ सिंह
RAJNATH SINGH



सत्यमेव जयते



रक्षा मंत्री
भारत
DEFENCE MINISTER
INDIA

दिनांक : 09.01.2023

संदेश

मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई है कि सहकार भारती, लखनऊ (उ.प्र.) की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 7-8 जनवरी 2023 को आयोजित की जा रही है तथा इस अवसर पर एक स्मारिका भी प्रकाशित की जा रही है।

मैं स्मारिका से जुड़े सभी बंधुओं को हार्दिक बधाई देता हूं तथा इसके सफल प्रकाशन की कामना करता हूं।

शुभकामनाओं सहित।


(राजनाथ सिंह)

आनंदीबेन पटेल
राज्यपाल, उत्तर प्रदेश



राज भवन
लखनऊ - 226 027

03 मार्च, 2023

सन्देश

मुझे यह जानकारी प्रसन्नता हुई कि सहकार भारती उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा एक स्मारिका का प्रकाशन किया जा रहा है।

देश तथा प्रदेश के आर्थिक उत्थान, सामाजिक न्याय एवं जन-जन के सर्वांगीण विकास में सहकारिता का प्रमुख योगदान है। इसके माध्यम से लागू विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं आर्थिक रूप से निर्बल लोगों को संबल प्रदान करती हैं। मुझे आशा है कि यह स्मारिका जन सामान्य के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

स्मारिका के सफल प्रकाशन की मैं हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ।

आनंदीबेन

(आनंदीबेन पटेल)

योगी आदित्यनाथ



75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

लोक भवन,
लखनऊ - 226001

संख्या-29 DEC 2022

G-568/2022

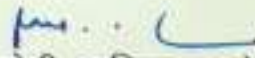
संदेश

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि सहकार भारती, उत्तर प्रदेश की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 07 व 08 जनवरी, 2023 को हस्तिनापुर जनपद मेरठ में आयोजित की जा रही है। इस अवसर पर एक स्मारिका भी प्रकाशित की जाएगी।

सहकारिता आर्थिक व सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने में सहकारिता आन्दोलन की महत्वपूर्ण भूमिका है। समान अवसर तथा समय विकास के माध्यम से गांवों, गरीबों, किसानों तथा महिलाओं के सशक्तिकरण में सहकारिता का उल्लेखनीय योगदान है। सहकारिता आन्दोलन के विस्तार तथा उसे आर्थिक विकास का प्रभावी साधन बनाने में सहकारी शिक्षा एवं उसका प्रचार-प्रसार आवश्यक है।

सहकारिता आन्दोलन के विस्तार तथा सहकारिता के प्रचार-प्रसार हेतु सहकार भारती द्वारा किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं। मुझे आशा है कि प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में सहकारिता आन्दोलन को और गति प्रदान करने के सम्बन्ध में सार्थक विचार-विमर्श किया जाएगा।

आयोजन की सफलता एवं स्मारिका के उद्देश्यपरक प्रकाशन हेतु मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।


(योगी आदित्यनाथ)

केशव प्रसाद मौर्य
KESHAV PRASAD MAURYA



उप मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश
Deputy Chief Minister
Uttar Pradesh

संदेश

यह जानकर मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है कि सहकार भारती, उ०प्र० द्वारा जन-जन में सहकारिता के प्रति जागरूकता पहुँचाने का सहकारी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है तथा इस अवसर पर एक "स्मारिका" का प्रकाशन भी किया जा रहा है।

मुझे विश्वास है कि सहकारी भारती द्वारा प्रकाशित की जा रही पत्रिक पाठकों के लिए ज्ञानवर्धक और प्रेरक साबित होगी।

पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए मेरी मंगलमय हार्दिक शुभकामनाएँ।

शुभाकांक्षी

(केशव प्रसाद मौर्य)

जे.पी.एस.राठौर

राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
सहकारिता विभाग
उत्तर प्रदेश



कक्ष सं० : 60, मुख्य भवन,
सचिवालय, लखनऊ, पिन-226001
फोन/फैक्स : 0522-2238080
ई-मेल : sahkaritamantriup@gmail.com
दिनांक :

सं० 377/बी०आर/सहकारिता
दिनांक 21/12/22

शुभकामना संदेश

मुझे यह जानकारी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि सहकार भारती उ०प्र० की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक दिनांक 7-8 जनवरी 2023 को हस्तिनापुर में होने जा रही है, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों से प्रातिनिधिगण भाग लेंगे। इस अवसर पर संगठन द्वारा 'स्मारिका' का प्रकाशन भी किया जायेगा। यह स्मारिका सहकारिता क्षेत्र के लिए प्रेरणादायक उपयोगी एवं लोकहितकारी होगी। सहकारिता आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर लोगों का आंदोलन है और सहकारिता की समस्याओं को सुलझाने व समाजसेवी आदर्श सहकारी कार्यकर्ताओं को सम्मानित, संगठित आदि करने में सहकार भारती की सराहनीय भूमिका है।

मा० प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी के सहकार से समृद्धि के सपने को पूरा करने और आत्मनिर्भर भारत को साकार रूप देने के लिए सहकार भारती का कार्य और भी महत्वपूर्ण हो गया है। यह कार्यक्रम इसी दिशा में बढ़ता हुआ एक सशक्त कदम है। मा० मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि सहकारिता के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण को बैंकिंग सेवा से जोड़ा जाय तभी वास्तविक अर्थों में सहकार भारती का यह कार्यक्रम भारत और खासकर ग्रामीण भारत के विकास की गति को नई दिशा देने का कार्य करेगा।

मेरी ओर से प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के आयोजन एवं स्मारिका के सफल प्रकाशन की हार्दिक शुभकामनाएं।

J.P.S. Rathore

(जे.पी.एस.राठौर)



संदेश

सहकार भारती उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक हस्तिनापुर में होने जा रही है, यह बड़ी प्रसन्नता का विषय है।

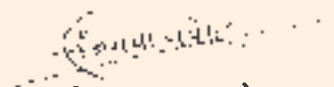
इस बैठक में उत्तर प्रदेश के सभी जिले और सभी प्रकार के प्रकोष्ठ के प्रतिनिधि आने की योजना आपने बनाई है उन सभी के लिए रह बैठक दिपस्तंभ के भांति दिशा-दर्शक होगी।

उत्तर प्रदेश में आप सभी कार्यकर्ताओं ने सहकारिता में नया अविष्कार करने का प्रयास करना चाहिए जैसे आयुष्मान सहकार, युवा सहकार, वनधन रोजना, गृह प्रकोष्ठ, फार्मा प्रोड्यूसर्स को-ऑप, महिला को-ऑप इस प्रकार उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं।

सहकार भारती उत्तर प्रदेश के माध्यम से सहकारिता आंदोलन को एक नया आयाम प्राप्त होगा, सभी कार्यकर्ताओं को एक नयी ऊर्जा प्राप्त हो सकती है।

देश के स्थायी विकास के लिए सहकारिता आंदोलन एक प्रभाशाली साधन है। सहकारिता आंदोलन का विकास ही, समाज में आर्थिक परिवर्तन ला सकता है, अगर सहकारिता से जुड़े हुए कार्यकर्ता संस्कृति तथा समर्पित हों।

सहकार भारती उत्तर प्रदेश के सारे कार्यकर्ता, सभी प्रतिनिधि बंधु, सहकारिता आंदोलन को एक नई दशा की ओर ले जाने में सफल हों इस शुभकामनाओं के साथ—


संजय पाचपोर
राष्ट्रीय संगठन मंत्री
सहकार भारती



पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives

इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड
इफको सदन, सी-1, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत प्लेस, नई दिल्ली - 110017

डॉ. उदय शंकर अवस्थी
प्रबंध निदेशक



संदेश

मुझे यह जानकारी प्रसन्नता है कि सहकार भारती, उत्तर प्रदेश के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में स्मारिका का प्रकाशन करने जा रही है।

“बिना संस्कार नहीं सहकार, बिना सहकार नहीं उद्धार” की मूल भावना को साकार रूप देने के उद्देश्य से सहकार भारती सदैव सहकारी क्षेत्र की वृद्धि, शुद्धि, समृद्धि, मित्र, तत्व चिंतन एवं मार्गदर्शक की भूमिका में प्रयत्नशील रही है। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के दौरान आयोजित कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से निर्मित उत्पादों का स्टॉल लगाया जाना सहकारी उद्यमों को संबल देने का महत्वपूर्ण प्रयास है। सहकारिता के माध्यम से व्यक्ति की आर्थिक उन्नति हो और सामाजिक विकास की नयी राह पर आगे बढ़े, इसके लिए हमें सदैव प्रयासरत रहना चाहिए। सहकार भारती की अखिल भारतीय सक्रिय उपस्थिति सहकारिता आंदोलन को लगातार विस्तार दे रही है।

मैं कार्यकारिणी की बैठक के सफल आयोजन हेतु एवं इस अवसर पर बैठक में शामिल हो रहे सभी पदाधिकारियों, संगठन प्रमुखों, महिला प्रमुखों एवं कार्यकर्ताओं को अपनी शुभकामनाएँ देता हूँ।

शुभकामनाओं सहित

(उदय शंकर अवस्थी)

• फोन कार्यालय : 42502601
42502641
42502644
• निवास : 41656750
• पीनस कार्यालय : 42502659
• अखिल कार्यालय : 41656751
• e-mail : mdc@icco.in
@drusawasthi

अध्यक्षीय कलम से.....



सहकारिता भारत की आत्मा है। अगर सहकारिता का दर्शन करना हो, तो इसका स्वरूप सही मायने में, गाँव-गाँव में होने वाले वे आयोजन होते हैं, जिसमें प्रशासन, शासन की कोई सहभागिता नहीं होती है। आपस में मिल बांटकर के, हर व्यक्ति की, जो क्षमता होती है, जो योग्यता होती है, वह व्यक्ति योगदान देता है और आयोजन व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो जाता है।

देश की सहकारी गतिविधियों की विकास यात्रा का अध्ययन करने से पता चलता है कि पूंजी की अनुपलब्धता, पेशेवर कार्यबल और नीतियों में एकरूपता का अभाव, इस क्षेत्र की बड़ी कमजोरी है। पारदर्शिता और नेतृत्व की गुणवत्ता किसी भी सहकारी समिति के पालन-पोषण के लिए अनिवार्य घटक होते हैं। सहकारिताओं में अच्छे नेतृत्व की भूमिका, वास्तविक सहकारों को एकजुट करने और उनकी अपेक्षाओं के समयबद्ध समाधान से जुड़ी हैं। ऐसे में यह कहना उचित होगा कि किसी भी सहकारिता में नेतृत्व विकास का कार्य, सिर्फ मौके के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है।

इसी दृष्टिकोण से देश में, 11 जनवरी 1979 को सहकारिता का एक छोटा सा बीज बोया गया, सहकार भारती के रूप में वह बीज पौधा बना और वह पौधा, अब एक विशाल वट वृक्ष का रूप ले चुका है। देश के लगभग 27 प्रदेशों और 600 से भी ज्यादा जिलों तक, सहकार भारती ने, अनेक प्रकार की सहकारिता के क्षेत्रों में, अपने काम को पहुँचाया है। सहकार भारती, इतने सालों के अंदर अपने योगदान से, सहकारिता को आगे बढ़ाने में सफल हुई है।

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 तक देश में 8 लाख 54 हजार 355 सहकारी समितियाँ थी। देश में सहकारिता की आवश्यकता को समझने से पहले, हमें सहकारिता आंदोलन, सहकार गतिविधियों की क्षमता और कमजोरियों का विश्लेषण करना होगा।

आज अनेकों सहकारिताएं, कार्यविधि तथा प्रोन्नति संबंधी जटिल नीतियों और विसंगतियों से जूझ रही हैं। स्पष्ट है, यह सब सरकारी निगरानी की अनदेखी का ही परिणाम है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों जैसे कॉर्पोरेट शक्ल ले चुकीं कुछ सहकारी संस्थाओं में तो, दशकों से अदल-बदल कर, कुछ ही चेहरे निर्वाचित और मनोनीत होते रहे हैं। सहकारिता चुनाव के दौरान राज्यों में हिंसा और धन-बल का प्रयोग आम बात हो गई है। कई राज्यों में, राज्य सहकारी बैंक और संस्थाएं तो, सिर्फ नेताओं के राजनीतिक पुनर्वास समाप्ति का जरिया बन गई हैं। ऐसे में सहकारिताओं को अपनी कार्यशैली में बदलाव लाते हुए, गुणवत्तापूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक कौशल हासिल करना होगा। यह कार्य सहकारी संस्थानों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता दिए बगैर संभव नहीं है।

आर्थिक सुधार की बयार, अब सहकारिता के क्षेत्र में बहने को तैयार है। हर सकारात्मक बदलाव के विरोध की राह पर, चलने वालों को यह बर्दाश्त नहीं होगा। दरअसल केरल, बंगाल और महाराष्ट्र में सहकारी समितियों में सबसे अधिक राजनीतिक हस्तक्षेप है। केरल में सहकारी बैंकों पर लंबे समय तक सत्ताधारी दलों का नियंत्रण रहा है। इन नेताओं को यह पता है कि कानून और नियमन से सहकारिता की सेहत सुधरेगी। सहकारी संस्थाओं को अपनी जागीर और मठ समझ बैठे, मठाधीश भी जानते हैं कि सहकारी संस्थाओं में वास्तविक सहकारों की भागीदारी बढ़ने से, गरीब किसान और लघु व्यवसायी सशक्त होंगे।

सहकारिता क्षेत्र की इन खामियों तथा विसंगतियों को ठीक करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत थी। वर्षों से, सहकार भारती माँग करती थी कि देश के अंदर सहकारिता मंत्रालय का गठन होना चाहिए। हम आभारी हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंत्रालय गठन करने के साथ ही, यशस्वी गृहमंत्री श्री अमित शाह जी को, इसका दायित्व देकर, सहकारिता आंदोलन को, एक नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने का कार्य किया है। सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद से, इस क्षेत्र में भविष्य में बेहतरी के संकेत मिलने लगे हैं।

सहकार भारती, इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। सहकार भारती प्रदेश के प्रत्येक जनपद में, अपनी पैठ पहुँचाने में सफल हुई है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, विगत 17, 18 व 19 दिसम्बर 2021 को सहकार भारती का 7 वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन हर्षोल्लास से सम्पन्न हुआ। सम्पूर्ण देश भर से 800 जिलों से 3 हजार से अधिक कार्यकर्ता बन्धु तथा

बहनें, इस अधिवेशन में सक्रिय रूप से सम्मिलित हुई। इस अधिवेशन में विविध विषयों पर चर्चा हुई तथा विभिन्न सत्रों में हमें प्रेरक मार्गदर्शन मिला। अधिवेशन के मुख्य वक्ता माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी तथा उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्य नाथ योगी जी ने किया। प्रदेश के कुशल नेतृत्व की बागडोर, माननीय योगी जी के पास है तथा माननीय अमित शाह जी के पास, सहकारिता क्षेत्र का एक लंबा अनुभव है। हमारा उद्देश्य, उन दोनों के अनुभवों का लाभ लेते हुए, प्रदेश के प्रत्येक किसान, प्रत्येक पशुपालक तक, सहकारिता का अमृत पहुँचाना है। हम, सहकार भारती के कार्यकर्तागण, अपने प्रयासों से बैंकिंग, वित्तीय संस्थाओं को तथा जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों में कार्य करने वाली, सभी संस्थाओं को एक सकारात्मक सोच के साथ, जोड़ने का कार्य करेंगे तो, प्रदेश की जनता को, सहकार से समृद्धि के रूप में, अप्रत्याशित लाभ मिलेगा।

—नरेंद्र उपाध्याय

प्रदेश अध्यक्ष, सहकार भारती, उ.प्र.



अधिक ब्याज जमाधन बीमाकृत पूर्ण सुरक्षा

104 वर्षों से लगातार रेलवे कर्मियों व जन साधारण की सेवा में

नार्दन रेलवे मल्टी स्टेट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि.

(निबन्धन संख्या - एम.एस.सी.एस./सी.आर./349/2010)

प्रधान कार्यालय : 19-ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ (फोन/फैक्स : 0522-4012340)

शाखाएँ : मुख्य शाखा लखनऊ, इलाहाबाद, मुरादाबाद, जी०एल०अब्दु-बाराणसी, कानपुर, आलमबाग लखनऊ

सभी शाखाएँ : कोर बैंकिंग परिपूर्ण

अश पूँजी : 133.07 करोड़

निक्षेप : 695.52 करोड़

ऋण में विनियोजन : 572.29 करोड़

चालू पूँजी : 1036.48 करोड़

दिनांक 13.12.2022 से सावधि जमा पर ब्याज दरें

क्रमांक	अवधि	ब्याज दर
1.	15 दिन से 44 दिन तक	4.0%
2.	45 दिन से 179 दिन तक	4.5%
3.	180 दिन एवं 12 माह से कम	5.0%
4.	12 माह एवं 24 माह से कम	6.0%
5.	24 माह एवं 36 माह से कम	6.5%
6.	36 माह एवं 48 माह से कम	8.0%
7.	48 माह एवं उससे अधिक	7.5%
8.	बचत खाता	4.0%

नोट : वरिष्ठ नागरिकों को 0.50 प्रतिशत अधिक ब्याज दर देय है। जमा धन रेलवे कर्मचारियों एवं जन साधारण से स्वीकार किया जाता है।

अन्य आकर्षण

1. मासिक आय की सुविधा उपलब्ध है।
2. नामांकित करने की सुविधा उपलब्ध है।
3. परिपक्वता के पूर्व भुगतान की सुविधा।
4. जमाधन निक्षेप बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी लि० मुम्बई द्वारा बीमाकृत।
5. चेक क्लीयरेंस/चेक समाशोधन की सुविधा भी उपलब्ध है।
6. नेफ्ट/आर.टी.जी.एस./ए.टी.एम. की सुविधा भी उपलब्ध है।
7. पेंशन/विद्यार्थी बचत खाते की सुविधा भी उपलब्ध है।

दिनांक : 01.07.2022 से प्रचलित ऋण सीमा

व्यक्तिगत ऋण रु० 20,00,000.00

वेतन ऋण रु० 20,00,000.00 जिनका वेतन बैंक में आता हो

शकेश कुमार कनीजिया
सभापति

संचालक मण्डल

श्री सुनील कुमार सिंह, श्री हरि शंकर, श्री देव कुमार, श्रीमती नीतू श्रीवास्तव, श्रीमती रिकी सिंह,
श्री हरिपाल मीना, श्री संजय कुमार वर्मा, श्री अरविन्द कुमार माण्डेय, श्री रौदास, श्री विक्रम सिंह,
श्री अभय कुमार, श्री धर्मेन्द्र सिंह यादव

धीरेन्द्र सिंह यादव
उपसभापति

विजय कुमार
प्रबन्ध निदेशक

महामंत्री प्रतिवेदन

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सहकार भारती का सातवाँ राष्ट्रीय अधिवेशन दिनांक 17, 18 एवं 19 दिसम्बर 2021 को संपन्न हुआ था। कार्यक्रम में मुख्यवक्ता केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री मा० श्री अमितशाह जी एवं मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मा० श्री आदित्य नाथ योगी उपस्थित हुए थे। सहकार भारती के नई कार्यकारिणी हेतु श्री दीनानाथ ठाकुर राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा डॉ० उदय जोशी, राष्ट्रीय महामंत्री एवं अन्य राष्ट्रीय स्तर के दायित्वधारियों की घोषणाएं हुई। इसी अवसर पर सर्वसम्मति श्री नरेन्द्र उपाध्याय को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष एवं महामंत्री पद हेतु मेरे नाम की घोषणा की गयी। उसके उपरांत प्रदेश नई कार्यकारिणी समिति के दायित्वधारियों के दायित्वों को घोषित किया जा चुका है। यह बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि मुझे पुनः उत्तर प्रदेश का महामंत्री पद हेतु निर्वाचित घोषित किया गया और इस प्रकार से मेरा प्रतिवेदन प्रदेश कार्यकारिणी समिति हस्तिनापुर, मेरठ में कार्यकर्ताओं के समक्ष प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है।

पुण्य आत्माओं को श्रद्धांजलि

इस सत्य को सभी जानते हैं कि मनुष्य का जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित होनी है। लेकिन जब किसी प्रिय या उसके परिवार में किसी के स्वर्गलोक जाने की खबर मिलती है तो मन दुःखी होता है। यह संभवतः इसलिए हो सकता जब कि उस व्यक्ति से हमारा विशेष लगाव होता है। सहकार भारती के प्रत्येक कार्यकर्ता एक परिवार के सदस्य के समान हैं, ऐसे में उनके घर में किसी का अकस्मात् निधन हो जाना, दुःख का विषय बनता है।

उत्तर प्रदेश के सहकार भारती के जनपद चंदौली के इकाई के अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह का अकस्मात् निधन हो जाना सहकार भारती के लिए अत्यंत दुःखद विषय रहा है। उनके द्वारा गठित इकाई एवं किए गये कार्य आज हम सभी के बीच उनकी यादों को जीवंत बनाये हुए रखे हैं। ईश्वर से कम्ना करते हैं कि इस दुःखद समय में, उनके परिवार को सहनशक्ति प्रदान करे, प्रभु उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। जनपद लखीमपुर निवासी श्री राजदत्त पाण्डेय, राष्ट्रीय प्रमुख पैक्स प्रकोष्ठ के पिताजी, जनपद बुलंदशहर के श्री अनिल शर्मा प्रदेश मंत्री की माताजी, जनपद अमरोहा की श्रीमती शारदा सिंह, प्रदेश महिला प्रमुख की सासू माताजी, लखनऊ जनपद से श्रीमती अनुराधा श्रीवास्तव प्रदेश सह प्रमुख महिला प्रकोष्ठ, की सासू माँ एवं श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान प्रदेश प्रमुख विपणन प्रकोष्ठ, के पिताजी, अलीगढ़ से श्री राणा प्रताप सिंह की माताजी, लखनऊ से श्री जगदीश नारायण भट्ट प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख की छोटी बहन एवं माताजी, का अचानक स्वर्गवास हो जाना बेहद दुःखदायी रहा। इसी प्रकार प्रधानमंत्री मा० श्री नरेन्द्र मोदी की माताजी का स्वर्गवास होना तथा उनकी जिस प्रकार सादगी से अंतिम यात्रा निकाली गयी, निश्चय ही सम्पूर्ण देश में यह दृश्य त्याग और सादगी का परिचय दे गया। सहकार भारती उ०प्र० की तरफ से सभी पुण्य आत्माओं को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

आर्थिक स्वावलम्बन अभियान में सहकार भारती का योगदान

भारत को आर्थिक मजबूती प्रदान करने हेतु स्वदेशी जागरण मंच ने आर्थिक स्वावलम्बन अभियान चलाया है जिसमें सहकार भारती उ०प्र० समन्वय बैठकों में भाग ले रहा है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को किस प्रकार से स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक मजबूती देने और पुरुषों को भी स्वरोजगार के लिए कैसे-कैसे और किन-किन जनपदों में प्रेरित किया जा रहा है, इसकी जानकारी स्वदेशी जागरण मंच की समन्वय बैठक में उपलब्ध करायी जा रही है। इस प्रकार की बैठकों के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि भारत आर्थिक रूप से सशक्त बने।

नई समितियों एवं ट्रस्ट का गठन

सहकारिता के माध्यम से उत्तर प्रदेश को मजबूत करने के लिए सहकार भारती सतत् प्रयासरत है। वर्तमान काल में सहकार भारती के सभी कार्यकर्ताओं को किसी न किसी समिति में सदस्य बनने के लिए प्रेरित करने का परिणाम यह रहा कि हमारे कार्यकर्ता पुरानी समितियों के सदस्य बनने में सक्रिय हुए हैं। साथ ही कुछ ऐसे भी कार्यकर्ताओं द्वारा नई समितियों का गठन किया गया है, जो सहकारिता को जन-जन तक ले जाने में सक्षम है। यह सभी कार्य सहकार भारती के प्रेरणा से संभव हो रहे हैं।

आज भी कार्यकर्ताओं में नई समितियों के गठन करने की प्रक्रिया निरंतर जारी है। लखनऊ से श्री हीरेन्द्र कुमार मिश्रा प्रदेश उपाध्यक्ष द्वारा अवध परिवहन सहकारी समिति लि० का बनाना हो या गोरखपुर से श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा अमहिया क्रेडिट सोसायटी लि०, गोरखपुर का बनाना या फिर लखनऊ से श्री कृष्ण कुमार ओझा प्रदेश मंत्री द्वारा गंगोत्री श्रम संविदा सहकारी समिति लि० तथा सहकार भारती की प्रेरणा से ही प्रदेश विपणन प्रमुख, श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान द्वारा सामाजिक संस्था 'गंगाश्री' (ट्रस्ट) की स्थापना करना, यह सभी कार्य समाजोत्थान के लिए किए गये हैं।

क्षेत्रशः कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग

प्रदेश स्तर पर कार्यकर्ताओं के क्षेत्रशः अभ्यास वर्ग के विशेष आयोजन चार स्थानों पर कराये जा चुके हैं। जिसमें

कानपुर, झाँसी, देवीपाटन तथा आजमगढ़ विभाग में शामिल हैं। रामलाल हरदेवी महाद्यालय पतारा, घाटमपुर कानपुर में कुल 192 कार्यकर्ता, खुशबू पैलेस गुरुसराय, झाँसी महानगर में कुल 84 कार्यकर्ता, एवं आजमगढ़ विभाग के रामस्वरूप भारती इण्टर कॉलेज, शिवजीमठ, भीटी, मऊ में कुल 117, देवीपाटन विभाग के सरस्वती शिशु मंदिर, मालवीय नगर, गोण्डा में कुल 150 कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही।

गंगा सहकार ग्राम योजना: किसानों की आम सभा

गंगा किनारे बसे गांवों के ग्रामीणों को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने हेतु भारत सरकार के नमामि गंगे प्रोजेक्ट के साथ मिलकर कार्य करने के लिए सहकार भारती ने एक एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किया है। इस संदर्भ में सबसे पहले वेद वेदांग संस्कृत महाविद्यालय अवन्तिका आहार, विकासखण्ड अनूपशहर जनपद बुलंदशहर में किसानों की आम सभा आयोजित की गयी, जहाँ 500 लोगों की उपस्थिति रही।

नमामि गंगा का संयुक्त कार्यक्रम एवं किसान सभा

वर्तमान कार्यकाल में 5 प्रदेशों, जैसे उत्तराखण्ड, उत्तरप्रदेश, झारखण्ड, बिहार, पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर वाराणसी स्थित, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, अदलपुरा में संयुक्त कार्यक्रम आयोजित कराने का गौरव प्राप्त हुआ। हमारे लिए हर्ष का विषय यह रहा है कि ऐसे आयोजन में 4 प्रदेशों की मेजबानी करने का सुअवसर मिला है।

किसान उत्पादक संगठन (FPO) परिचर्चा

एफपीओ के उन्नयन हेतु 1 सितम्बर 2022 को संगठन के प्रदेश एफपीओ प्रकोष्ठ ने कृषि भवन आडीटोरियम, गोखले मार्ग लखनऊ पर एक बड़ी कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें मा0 श्री सूर्यप्रताप शाही कृषि मंत्री उ0प्र0 सरकार मुख्य वक्ता थे। प्रदेश भर के लगभग 28 जनपद के लोग एक दिन पूर्व लखनऊ में आकर ठहरे। इस आयोजन की सफलता यह रही कि 283 से अधिक लोगों ने ऐसी कार्यशाला में भाग लिया। मा0 कृषि मंत्री ने सभी किसानों की समस्याओं को सुना। 21 बड़े एफपीओ संगठन के अनुभवों के आधार पर तैयार एक ज्ञापन मा0 कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी को दिया गया। ज्ञापन में निवेश, बीज उत्पादन, वित्तीय, एमएसपी तथा मण्डियों की समस्याओं को उनके समाधान सहित प्रस्तुत किया गया है।

स्वयं सहायता समूह की परिचर्चा

सहकार भारती महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए अपने स्वयं सहायता समूह के प्रकोष्ठ के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों में कार्य कर रही है। जिसके लिए उसने 10 नवम्बर को प्रदेश स्तरीय स्वयं सहायता समूह की परिचर्चा का आयोजन कराया, जिसमें मा0 श्री जे0पी0एस0 राठौर, सहकारिता मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार की उपस्थिति रही। इस कार्यक्रम में 149 से अधिक महिलाओं की भागीदारी रही। पुरुषों को मिलाकर लगभग 250 कार्यकर्ताओं की उपस्थिति थी। कार्यक्रम में 5 स्वयं सहायता समूह के मुखिया महिला द्वारा अपनी समूहों की सफलता की कहानी—अपनी जुबानी सुनायी गयी। जिससे महिलाओं को स्वयं सहायता समूह को संगठित होकर सफल कार्य करने हेतु प्रेरणा मिली है।

महिला सशक्तीकरण एवं आर्थिक स्वावलम्बन के अंतर्गत परिचर्चा

हमारे देश की संस्कृति में महिलाओं को सम्मान देने की परंपरा रही है। जिसे घर की गृहिणी कहा गया तो लक्ष्मी के रूप में उसे सम्मान भी दिया जाता है। महिलाओं की उन्नति के बगैर समाजोत्थान की कल्पना करना व्यर्थ है, ऐसा मानते हुए सहकार भारती ने महिला प्रकोष्ठ बनाकर महिलाओं को जागरूक, आत्मरक्षा तथा घर में एवं बाहर वह क्या कार्य कर सकती है जिससे उनकी आर्थिक उन्नति हो सके। वह और क्या कर सकती है जिसके कारण समाज संस्कारित बने। इस विचारधारा से ही दिनांक 18 सितम्बर 2022 को राम चमेली चढ़ा विश्वास कन्या डिग्री कॉलेज, गाजियाबाद में एक महिला सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें महिला एवं पुरुष मिलाकर 600 कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम, ग्राम्य विकास मंत्री उ0प्र0 सरकार, श्री दीनानाथ ठाकुर राष्ट्रीय अध्यक्ष, सहकार भारती प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। जिनका संगठन हृदय से आभार व्यक्त करता है।

सहकारिता कार्यक्षेत्र में समस्या व समाधान हेतु विचार विमर्श गोष्ठी

सहकारिता के कार्यक्षेत्र में अनेक प्रकार की समस्याएं निरंतर बनी हुई हैं। संगठन में इस बात के लिए कई सुझाव आये, जिसके बाद मेरठ मण्डल में 24 अप्रैल 22 को शास्त्री नगर, गाजियाबाद (उ0प्र0) में कई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन व डायरेक्टर तथा सहकार भारती के कार्यकर्ताओं द्वारा 'सहकारिता कार्यक्षेत्र में समस्या व समाधान' विषयक गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता श्री दीनानाथ ठाकुर राष्ट्रीय अध्यक्ष, सहकार भारती द्वारा हुई थी। गोष्ठी के बतौर मुख्य वक्ता श्री सतीश मराठे, निदेशक रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, और विशिष्ट अतिथि श्री अजय माटे अखिल भारतीय बैंक प्रकोष्ठ प्रमुख, सहकार भारती की विशेष उपस्थिति रही।

तकनीकी से सहकारी समितियों का आधुनिकीकरण

मण्डल प्रभारियों के सुझावों पर सहकारी समितियों के विस्तार हेतु उनके आधुनिकीकरण के लिए एक वर्कशाप का आयोजन दिनांक 30 अप्रैल 22, को चौ0 चरण सिंह सभागार, सहकारिता भवन में कराया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री

नवनीत सहगल अपर मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन थे। कार्यक्रम की विशेषता यह रही कि फिलफकार्ट कम्पनी द्वारा विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी गयी कि कैसे सहकारी समितियों को तकनीकी से आधुनिकीकरण किया जा सकता है। सहकारी समितियों के संचालकों एवं जागरूक कार्यकर्ताओं ने अपने-अपने प्रश्न भी किए, विशेषज्ञों द्वारा जानकारी भी उपलब्ध करायी गयी थी।

सहकारिता सप्ताह

संगठन अपनी परंपरा के अनुसार प्रत्येक वर्ष सहकारिता सप्ताह मनाता है, इसी क्रम में 14 से 20 नवम्बर 2022 तक उत्तर प्रदेश में 30 स्थानों पर सहकारिता सप्ताह मनाया गया। सहकारिता सप्ताह का आयोजन विभिन्न जनपदों की समितियों के परिसर में सम्पन्न हुए। जिसमें प्रमुख लक्ष्य यह था कि सहकार भारती लोगों को जागरूक करें कि वह नई समितियों का गठन करे तथा अधिक से अधिक लोग समितियों के सदस्य बने।

सहकार भारती स्थापना दिवस

सहकार भारती स्थापना दिवस समारोह अंग्रेजी कलैण्डर के अनुसार 11 जनवरी को मनाता है। इस बार पूरे प्रदेश में लखनऊ, अयोध्या, देवीपाटन, काशी, मिर्जापुर, प्रयागराज, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, कानपुर, झाँसी, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली, आगरा व अलीगढ़ सहित 17 विभागों में मनाया गया है। जिसके माध्यम से 2489 लोगों से सम्पर्क हुआ। इस अवसर पर उपस्थित लोगों से सहकारिता सिद्धांत पर चलने हेतु प्रेरित किया गया।

सहकार भारती उ०प्र० की कार्यकारिणी का गठन कार्य एक वर्ष से अधिक हो रहा है। इस कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय टीम का मार्गदर्शन से ही यह संभव हो सका कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में प्रदेश पदाधिकारियों एवं विभाग संयोजकों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए अनेकानेक कार्यकर्ता बंधु तथा बहनों का असीम सहयोग प्राप्त हुआ है। आप सभी को वंदन, अभिनंदन करते हुए, अपना प्रतिवेदन सहकार भारती के स्लोगन 'बिना संस्कार नहीं सहकार। बिना सहकार नहीं उद्धार' के साथ समाप्त करता हूँ।

भारत माता की जय। जय सहकार।

—डॉ० प्रवीण सिंह जादौन
प्रदेश महामंत्री, सहकार भारती उ०प्र०

रजि नं०-279, दिनांक : 06-04-1943 GSTIN-09AAAJM0470E1ZF

जिला सहकारी विकास संघ लि०

जिला परिषद् बाजार, मुजफ्फरनगर

संचालित सेवाएँ

1. कोफ़ैड गैस सर्विस
2. एल.पी.जी. गैस परिवहन
3. गोल मार्केट स्थित सहकारी भण्डार
4. सहकारी शीतगृह (आलू एवं फल)
5. सहकारी उर्वरक बिक्री केन्द्र
6. उर्वरक परिवहन व भण्डारण
7. गेहूँ खरीद केन्द्र
8. उपभोक्ता व्यवसाय
9. आफसैट प्रिन्टिंग प्रैस
10. सहकारी सर्जिकल मेडिकल बिक्री स्टोर

सुभाष सिंह दीपक कुमार जैन पवन सिंह तरार
सचिव उपसभापति सभापति
मो०: 8171644444 मो०: 9897057415 मो०: 9760387408

मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि०, मुजफ्फरनगर

विगत 3 वर्षों में प्रगति की एक झलक

विवरण	2020-21	2021-22	2022-23
बैंक शाखाएँ	44	50	50
निजी पूंजी	35546.90	37516.84	40226.74
जमा निक्षेप	174703.24	188479.58	205120.62
कार्यशील पूंजी	273099.69	294461.79	327577.58
शुद्ध लाभ	975.12	1006.06	1127.47
एन०पी०ए० का लगे ऋण से %	0.85	.063	0.62

हमारी विशेषताएं:

- बैंक की 96 वर्षों की समर्पित सेवा एवं बैंक की समस्त 50 शाखाओं का पूर्ण रूप से कम्प्यूटरीकृत विस्तृत नेटवर्क।
- बैंक की सभी शाखाओं पर NEFT/RTGS की सुविधा उपलब्ध।
- जमा निक्षेपों पर आकर्षक ब्याज दरें।
- जनपद के किसानों को 3.00 प्रतिशत ब्याज दर पर फसली ऋण सुविधा उपलब्ध।

अधिक जानकारी हेतु मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव

(राजेश कुमार) (सत्यपाल सिंह पाल)
सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभापति

सहकार भारती और सहकारिता क्षेत्र का विकास

सहकार भारती ने, देश के लगभग 27 प्रदेशों और 800 से भी ज्यादा जिलों तक और अनेक प्रकार की सहकारिता के क्षेत्रों के अंदर, अपने काम को पहुँचाया है। एक छोटा सा बीज जो बोया गया था, आज उसे एक वटवृक्ष के रूप में हम देख सकते हैं। धीरे-धीरे कालवायु होती जा रही सहकारिता को, इतने सालों के अंदर अपने योगदान से, आगे बढ़ाने में सहकार भारती सफल हुई है।

सहकारिता क्षेत्र के अंदर, सहकारिता के तत्व को संरक्षण और संवर्धन करने वाले, सहकारिता के अंदर, प्रशिक्षण की चिंता करने वाले एवं सहकारिता के अंदर, सहकारिता की भावना को, मूल रूप से संवर्धित करने वाले समर्पित कार्यकर्ताओं की तथा सहकारिता में परिवर्तन लाने वाली, सहकार भारती के अलावा, देश में और कोई अखिल भारतीय संस्था नहीं है। सहकार भारती का उद्देश्य चुनाव लड़ना नहीं है और, सहकारिता के माध्यम से, कुछ प्राप्त करना नहीं है। सहकारिता की भावना को मजबूत करके, देश के विकास में सहकारिता योगदान कर पाए, इस प्रकार का मजबूत आंदोलन बनाना ही, सहकार भारती का उद्देश्य है। सहकार भारती एक प्रकार से, निर्मल भाव की, बहुत अच्छे उद्देश्य वाली और पवित्र मार्ग से चलती, संस्था है। हम सहकार भारती का काम कर रहे हों या, सहकारिता का काम कर रहे हों, परंतु हमें इतना जरूर याद रखना है कि, हम आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की पूर्ति का, एक साधन बन कर काम कर रहे हैं।

देश भर के सहकारिता के साथ जुड़े हुए कार्यकर्ताओं, सहकारी समितियों तथा, अलग-अलग संगठनों की माँग थी कि, सहकारिता को मजबूती प्रदान करनी चाहिए। सहकारिता को अगर मजबूती प्रदान करनी है तो, भारत सरकार में एक अलग मंत्रालय बनाना चाहिए। वह सहकारिता मंत्रालय, धीरे-धीरे तथा अलग-अलग कारणों से, कालवायु होते जा रहे सहकारिता आंदोलन को, फिर से एक नई ऊर्जा, नया उत्साह और जोश दें। सहकारिता आंदोलन भी, आज रिलेवेंट तरीके से देश के विकास में कंट्रीब्यूट कर पाए।

देश की जनता ने, जब मोदी जी को दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार दी। उसकी दूसरी ही कैबिनेट मीटिंग में, उन्होंने एक सहकारिता मंत्रालय का गठन का विचार रखा और यह आनंद तथा मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि उन्होंने सहकारिता विभाग का गठन करके, देश के पहले सहकारिता मंत्री बनने का हमें मौका दिया। सहकारिता मंत्री कोई पद नहीं है, सहकारिता मंत्री एक जिम्मेदारी है। जो परम्परा बैकुंठ भाई मेहता, वी के पाटिल, धनन्जय राव गाडगिल, लक्ष्मण राव इनामदार ऐसे कई सारे लोगो ने खड़ी की है, जिस प्रकार से सहकारिता को, भारत की आत्मा के साथ ओतप्रोत किया है। इस यात्रा को हमें आगे ले जाना, उसको गति देना, उसको नई दिशा देना और गंतव्य स्थान पर पहुँचाना, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।

देश के घर में, हर रोज अमूल ब्रांड का दूध, दही या छाछ हम पीते हैं, वह सहकारिता का सफल मॉडल है। हम लिज्जत पापड़ को खाते हैं, वो एक सहकारिता की सक्सेस स्टोरी है। देशभर के किसान, जिस इफको या कृभको की खाद का उपयोग करते हैं, वो भी एक कॉपरेटिव है और इस सफल कॉपरेटिव के जो मॉडल खड़े हुए हैं। उसके आधार पर ढेर सारे, अलग-अलग प्रकार के मॉडल खड़े हुए हैं। देश की इकोनॉमी में, हम उसका योगदान देख सकते हैं। शायद, आज के अर्थतंत्र के अभ्यास करने वालों का इस ओर, कभी ध्यान नहीं गया। एग्रीकल्चर फाइनेंस में, लगभग 19% से 22% शेयर कोऑपरेटिव का है। खाद के वितरण में, लगभग 35% शेयर कॉपरेटिव का है। खाद के उत्पादन में 25% शेयर कोऑपरेटिव का है। चीनी के उत्पादन में 31% शेयर कॉपरेटिव का है। दूध की खरीदी और उत्पादन में लगभग 20% शेयर कॉपरेटिव का है। गेहूँ की खरीदी की व्यवस्था में 13% और धान की खरीदारी में 20% शेयर कोऑपरेटिव का है।

इतनी बड़ी व्यवस्था, जो सहकारिता के माध्यम से देश में चल रही है तथा देश को सुचारु रूप से चलाने में मदद कर रही है। इन सारी गतिविधियों का मुनाफा, किसी व्यक्ति के घर में नहीं जाता, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट में नहीं जाता है। करोड़ों छोटे-छोटे लोगों के बैंक अकाउंट में, ये जमा होता है और देश के अर्थतंत्र को गति देने में, सहकारिता का योगदान आने वाले दिनों में, बहुत बड़ा होने वाला है। आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न तो, सहकारिता आंदोलन के अलावा सिद्ध ही नहीं हो सकता, क्योंकि सहकारिता ही एक ऐसा जरिया है, जिससे छोटे से छोटे व्यक्ति की आय को बढ़ाने का काम हो सकता है।

कई सारे रास्तों से किसी एक देश का आर्थिक विकास, संभव हो सकता है, मगर समावेशी आर्थिक विकास जिसमें हर व्यक्ति का देश के आर्थिक विकास के अंदर योगदान हो, हिस्सेदारी हो और आर्थिक विकास का फायदा, हर व्यक्ति तक कुछ न

कुछ पहुंचे, ये सहकारिता के बिना संभव नहीं है और इसलिए इस आंदोलन को नई गति देने के लिए, प्रधानमंत्री जी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की है। हम सहकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति, सहकारी समितियाँ और सहकार भारती जैसे संगठन, सभी देश के विकास के लिए द्रुत गति से संकल्पित होकर, मोदी जी के इस निर्णय के साथ खड़े हैं।

देश में कई सारे ऐसे राज्य हैं, जहाँ सहकारिता आंदोलन आज, बहुत अच्छा चल रहा है, गुजरात है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश में भी अब काफी सुधार हुआ है, मध्यप्रदेश में भी काफी अच्छा चल रहा है। कई सारे राज्य हैं, लेकिन कई सारे राज्य ऐसे भी हैं, जहाँ आती-जाती सरकारों के कारण, सहकारिता आंदोलन लगभग समाप्ति के कगार पर है। सहकारिता आंदोलन का जहाँ-जहाँ वेक्यूम हुआ है, वहाँ वेक्यूम को भरने के लिये सहकार भारती को, अपने संगठन की गतिविधियाँ बढ़ाना चाहिए। देश के हर कोने में, देश के हर जिले में, देश की हर तहसील में, 10-15 साल में देश के हर गाँव के अंदर, सहकारिता की कोई न कोई सफल यूनिट चले, इस प्रकार से इस आंदोलन को गति देनी चाहिए। अगर ये करना है तो काम के तीन हिस्से बनाने पड़ेंगे, संगठन का प्रचार-प्रसार और व्याप्त बढ़ाने की तीन हिस्सों में रणनीति बनानी पड़ेगी। सहकारिता की दृष्टि से डेवलपड स्टेट, सहकारिता की दृष्टि से डेवलपिंग स्टेट जैसे यूपी और सहकारिता की दृष्टि से, अनडवलपड स्टेट।

एक जमाने में सहकारिता बहुत अच्छी होती थी, मगर आज नहीं है। इस प्रकार के तीन हिस्से बनाकर, अपने संगठन को बढ़ाने का काम करना पड़ेगा। उसकी ट्रेनिंग के लिए, कानून के अंदर समय अनुकूल परिवर्तन के लिए, पारदर्शी चुनाव के लिए, पारदर्शी रिक्रूटमेंट की पद्धति के लिए, खुला सदस्य पद हो, इसके लिए और जो ऑडिट होता है, वो ऑडिट नियमित रूप से हो। इसके लिए, एक प्रकार से सभी सहकारी समितियों में, अपने संस्कारों का आरोपण करना पड़ेगा, संस्कार को हर समिति तक पहुंचाना पड़ेगा। तभी जाकर आंदोलन को गति मिल सकती है, तभी जाकर ये आंदोलन को वेग मिल सकता है।

मोदी सरकार व्यापक विचार-विमर्श के बाद एक नई सहकार नीति लाने के लिए कृत संकल्पित है और हम कुछ ही समय में सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से, इसकी गतिविधियों को शुरू करेंगे। इस देश की कृषि व्यवस्था में पैक्स उसकी आत्मा है। कुछ ही समय के अंदर, देश के सभी प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसायटी को कंप्यूटराइज्ड करने का काम, अपने हाथ में लेने वाली है। अब हर पैक्स को, डिस्ट्रिक्ट कॉपरेटिव बैंक से जोड़ा जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक को, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से जोड़ा जाएगा और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को नाबार्ड के साथ जोड़ेंगे। नाबार्ड से पैक्स तक का, पूरा एकाउंटिंग सिस्टम स्थानीय भाषा में हो सके, हम इस प्रकार के साफ्टवेयर का निर्माण भी कर रहे हैं। ये नए बदलाव बहुत जल्दी से हो रहे हैं। हम, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसायटी के अंदर भी, परिवर्तन करने जा रहे हैं।

सहकारिता के क्षेत्र में प्रशिक्षण की दृष्टि से, आमूलचूल परिवर्तन करने का विचार है। अभी तक सहकारी समितियाँ चलाने वालों का ही प्रशिक्षण हुआ, इस पर ही ज्यादा बल दिया गया या सहकार के प्रचार-प्रसार पर। जब प्राइमरी मेंबर का प्रशिक्षण करेंगे, तभी समितियाँ कंट्रोल में रहेगी, तभी समितियाँ जवाबदेह बनेंगी, तभी समितियों में पारदर्शिता आएगी। अभी तक, प्रायमरी मेंबरशिप को नेगलेक्ट किया गया है, तो अब प्रशिक्षण के लिए, भारत सरकार के तत्वाधान में, जो रणनीति बन रही है, वह पूरे क्षेत्र के अंदर, प्रशिक्षण की बनेगी।

हम प्रशिक्षण में प्राइमरी मेंबर के प्रशिक्षण को समाहित करके, उनको भी रिस्पांसिबल बनाएंगे और उनके माध्यम से समितियों की जवाबदेही तय, करने का काम करेंगे। सहकार के क्षेत्र के अंदर नए-नए आयाम कैसे जोड़े जा सकते उसके लिए भी एक टास्क फोर्स काम कर रहा है। सहकारिता के क्षेत्र के अंदर जो सहकारी गतिविधि चल रही है, वो एक दायरे में, अपने आप को एक सांचे में ना ढाल लें, इसके लिये भी भारत सरकार काम कर रही है। जैसे देशभर में प्राकृतिक खेती बढ़ने लगी है, जागरूकता भी बहुत आई है। उर्वरक के कारण, खाद के कारण, भूमि की उर्वरा खत्म होती जा रही है। बहुत सारे लोग प्राकृतिक खेती की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक फूड का बहुत बड़ा मार्केट है, मगर क्या कोई किसान इसका फायदा प्राप्त कर पायेगा। कॉपरेटिव को आना पड़ेगा, इसके परीक्षण की व्यवस्था, भूमि के परीक्षण की व्यवस्था, उसके उत्पाद के परीक्षण की व्यवस्था, उसके सर्टिफिकेशन की व्यवस्था, और फिर मार्केटिंग का चयन करना पड़ेगा।

अमूल ने एक प्राथमिक दृष्टि से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने तथा रिस्पांसिबिलिटी लेकर कार्य के लिए सहमति व्यक्त की है। हम पहले दो राज्यों को हाथ में लें रहे हैं, जहाँ पर ऑर्गेनिक खेती के मार्केटिंग-चेन की व्यवस्था होगी। जिससे ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले को, प्राकृतिक खेती करने वाले किसान को, इसका पूरा फायदा कोऑपरेटिव के माध्यम से, उसके बैंक अकाउंट में पहुंचाया जा सके। इस प्रकार, नये नये क्षेत्रों के अंदर, कॉपरेटिव का व्यापार कैसे बढ़े, हमें यह विचार करना चाहिए।

अब कोऑपरेटिव के साथ कोई सेकंड ग्रेड सिटीजन जैसा व्यवहार नहीं कर पाएगा, क्योंकि मोदी जी स्वयं मानते हैं कि सहकारिता के बिना, इस देश का समावेशी विकास करना असम्भव है। हर व्यक्ति का समान विकास, न कम्युनिस्ट थ्योरी से हो सकता है, न पूंजीवाद की थ्योरी से हो सकता है। सहकारिता ही एक मात्र मध्यम मार्गीय रास्ता है, जिससे समावेशी विकास सम्भव है और इस देश में कई अच्छे सहकारी मॉडल्स ने, यह कर दिखाया है।

36 लाख बहनें, अमूल में दूध देकर आज, सम्मान के साथ जी रही हैं, यह एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हमें इसी मॉडल को, आगे बढ़ाना पड़ेगा। जिन गाँवों तक, जहाँ पर कोऑपरेटिव की पहुँच नहीं है, उन राज्यों में नए कोऑपरेटिव बनाने में, सहकार भारती, अपने संगठन का उपयोग कर सकती है। हमें संगठन की शक्ति बढ़ाने पर तो जरूर ध्यान देना चाहिए, पर इसके साथ-साथ संगठन की सुगंध बढ़ाने में भी, हमें ध्यान रखना चाहिए और ये तभी बढ़ सकती है, कि जब हम वैक्यूम को भरेंगे।

सहकारिता के क्षेत्र में ढेर सारी चीजें, जो स्वस्थ रूप से या सही तरीके से नहीं चलती, इसके लिए सहकार भारती को थिंक टैंक के रूप में, अलग-अलग क्षेत्र के एक्सपर्ट्स साथ के, मिलकर काम करना चाहिए और सहकारिता मंत्रालय को इसका निष्कर्ष भी देना चाहिए। जैसे पारदर्शी चुनाव कैसे हो, ओपन मेम्बरशिप कैसे हो, ट्रेनिंग का मॉडल क्या हो सकता है। इस क्षेत्र के अंदर जो करप्शन है, उसे कैसे समाप्त कर सकते हैं। आज सहकारिता आंदोलन, जिसके कारण निर्बल हो रहा है। ऐसी सारी चीजों को, हम कैसे बदल सकते हैं, वह सॉल्यूशन ढूँढने का काम भी, सहकारिता क्षेत्र में काम करने वाले, सहकार भारती जैसे संगठन कर सकते हैं। सहकार भारती, सहकारिता के क्षेत्र में नया बदलाव लाने के लिए, सहकारिता विभाग की सहायक बनेगी।

—अमित शाह

केन्द्रीय सहकारिता तथा गृहमंत्री

उत्तर प्रदेश सहकार भारती की प्रदेश कार्यकारिणी के सभी सम्मानित सदस्यों एवं पदाधिकारियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन

श्रेष्ठ एवं निर्यात किस्म चावल के
प्रॉसेसर एवं ट्रेडर्स
मे० आर.पी. इण्डस्ट्रीज
कोटवा सड़क, बाराबंकी
प्रो०-श्री अमूल सिंह
मो.नं.-9935834340



सहकार भारती – कार्यकर्ताओं के दायित्व

ब्रह्माण्ड के समस्त प्राणी—जगत का जीवन—प्रवाह, सतत् चलता रहता है। इस जीवन प्रवाह के निरन्तर गतिशील रहने के अनेक कारण हैं, उसमें सहकारिता, परस्पर—सहयोग, एक प्रमुख मूलमंत्र के रूप में है। सहकार, केवल मनुष्य जीवन के लिए ही नहीं, बल्कि समस्त प्राणियों के लिए भी है। हम, भारत के लोगों के लिए, सहकारिता शब्द कोई नया नहीं हैं। नित्य जीवन में, हम सब इसके सुखद अनुभव से, जीते आ रहे हैं। सहकार के माध्यम से सेवा कार्य से, हम अपरिचित नहीं हैं। परन्तु सहकार भारती ने उसको एक नया मोड़ दिया कि जब तक सहकार में संस्कार नहीं होंगे, तब तक वह सच्चा सहकार नहीं हो सकता। अगर संस्कार नहीं रहते हैं तो सहकार, स्वाहाकार बन जाते हैं।

देश के अलग—अलग प्रान्तों में, अगर सहकारिता के क्षेत्र में कोई अप्रतिष्ठा, कुछ मात्रा में प्राप्त हुई है, तो वह केवल स्वाहाकार वाले लोगों के कारण हुई है। सहकार भारती के सामने, यह पहली चुनौती है तथा इस चुनौती को स्वीकारते हुए, सहकारिता को पुनः प्रतिष्ठापित करना है।

समाज का उत्थान, बिना सहकार के सम्भव नहीं। इसलिए सहकार भारती का संकल्प है कि बिना संस्कार के सहकार नहीं और बिना सहकार के समाज का उत्थान नहीं। जब तक संस्कारित लोग, इस कार्यक्षेत्र में नहीं आयेंगे, तब तक ये स्वाहाकार से सहकारिता के मूल उद्देश्यों की ओर नहीं जायेगा। हम सबका सौभाग्य है कि हमने इस मूलमंत्र को और इस मूलमंत्र पर आधारित एक संगठन के इस कार्य से, अपने आपको जोड़ लिया है। कार्यकर्ता के रूप में संगठन से जुड़ने के मूल में, यह भाव रहे कि हम सहकार भारती के महान कार्य के एक पुर्जे हैं और इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस मार्ग में जो बाधाएँ आयेंगी, उन बाधाओं को पार करते हुए हमें चलना ही है।

यह कार्य अपने आप आगे बढ़ता जायेगा, इसके लिए हमारे मन में यह भाव निरन्तर रहना चाहिए कि स्वयं आगे बढ़ने के लिए नहीं, हमें इस महान कार्य के अधिक विकसित होने वाला उपकरण बनना है। हम सहकार भारती के एक छोटे उपकरण हैं और हमें इसके काम के लिए उपयुक्त बने रहना है। इस प्रकार के कार्य से जुड़ने के बाद, अगर मन की /अन्तःकरण की गहराई में, इसी प्रकार का भाव बीज रूप में रहता है, तो वह विकसित हो सकता है। इस दृष्टि से हमें, स्वयं को केन्द्र बिन्दु में रखकर, इस कार्य के लिए अधिकाधिक परिणामकारक, अधिकाधिक उपयुक्त, अधिकाधिक सक्षम बनने का चिन्तन, अपने व्यक्तिगत धरातल पर सिद्ध करने के लिये तैयार रहना चाहिए।

इस कार्य के लिए हम, सक्षम, उपयुक्त, सामर्थ्यवान और सम्पन्न बनते जायें, ऐसा प्रयास हमें निरन्तर करना है। यह काम करते—करते ही होगा, कार्य से अलग हटकर विकसित होने की प्रक्रिया, कभी भी सफल नहीं होती है। सहकारिता का काम, हम सबके सहयोग के बिना, होने वाला नहीं है और यदि होने वाला भी हो, तो भी अकेले नहीं करना है। कभी—कभी, कोई बहुत प्रतिभावान व्यक्ति होते हैं, जिनको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं रहती है। परन्तु अकेले काम करना, कहीं न कहीं, हमारे अहंकार के भाव को बढ़ाता है। सहकारिता के क्षेत्र में काम करने की, एक प्राथमिक आवश्यक शर्त, पारस्परिक सहयोग होना चाहिये। सहकारिता तो, परस्पर मिलकर करने का काम है, हमें इस प्रकार का एक विश्वास, आपस में बना कर रखना है।

कमियाँ तो सब में रहती हैं, यदि हम सब मिलकर, अपनी—अपनी कमियों को दूर करने के लिए, परस्पर हाथ बढ़ाते हुए जायेंगे, तभी कार्य सफल होता है। जब हम सभी, इस प्रकार से, कमियों के साथ चलने वाले हैं तो, हाथ में हाथ डालकर चलना होगा। अगर पूर्ण रूप से आगे बढ़ना है तो, एक दूसरे को सम्भालते हुए चलना है। जब हम साथ—साथ चलते हैं तो, व्यक्ति के चलने की गति और साथ में चलने की गति में अन्तर आता है। यदि हम लोग, अकेले चलने अथवा अकेले दौड़ने का प्रयोग करते हैं, तो अपनी—अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी गति रखते हैं। परन्तु हाथ में हाथ डालकर चलने से, हमारी गति, थोड़ी कम हो सकती है। सहकार भारती के कार्यकर्ताओं को, यह मानकर चलना चाहिए कि गति कम होगी तो भी, साथ में मिलकर ही चलेंगे। गति कम होगी, मगर इसका मतलब, आलस्य भी नहीं है। साथ में चलते समय, कुछ बातें होंगी, कुछ कम—ज्यादा होगा, गति कम होगी, यह मानकर चलेंगे। सारी बातें एक साथ पूरी नहीं होंगी, लेकिन सबके साथ में, मिलकर चल रहे हैं, तो गति के सन्दर्भ में, हमको थोड़ा समझौता करना पड़ सकता है।

सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले हम सब, अगर कुछ न कुछ कमियों के साथ आयें हैं, तो हम एक—दूसरे की कमियों को जानें और कमियों की उपेक्षा नहीं करें। परन्तु हम, जो दोष—दुर्बलता हैं, उन कमियों को लोगों के सामने, उजागर भी मत करें। जिस प्रकार अगर अपने परिवार में कुछ कमी है, कुछ दोष है, तो परिवार के सब लोग, उसे मिलकर ढकने की कोशिश करते हैं। सब में कुछ न कुछ दोष, स्वाभावों के दोष, जानकारी का अभाव, भिन्न—भिन्न प्रकार की क्षमता की कमियाँ होती हैं। परिवार में, सबकी जानकारी, क्षमता, अनुभव, का स्तर एक जैसा नहीं होता है। परन्तु सहकार भारती में काम करने वाले, हम सब का भावात्मक स्तर एक है, वास्तव में यही, अपनी शक्ति है। हमें कार्य का इतिहास बनाना है, किसी व्यक्ति का नहीं। हमें समर्पण भाव से करना है, सब अभिमान छोड़कर करना है, इस अपेक्षा से नहीं करना है कि कुछ मिलेगा। इसलिए हम सबका,

भावात्मक पक्ष समान है। क्षमताओं में भिन्नता, जानकारी का अभाव हो सकता है, कुशलता का अभाव हो सकता है। लेकिन अगर हम सबका, भाव पक्ष एक समान है, तो चलते-चलते, बाकी कमियां अपने आप, साक्षात् दूर होती जायेंगी।

हमें निरन्तर चलने की भावना रखनी चाहिए और निरन्तर चलने के मूल में भी, कार्य की सफलता का भाव रखना है। हमारा सहकार भारती का काम तो, गंगा के प्रवाह जैसा है। हम गंगा जी का विशेष नाम लेते हैं, क्योंकि गंगा माँ की अपनी एक विशेषता है। गंगा जी में, कितने भी प्रकार के दूषित प्रवाह मिलने के बाद भी, गंगा जल में यह क्षमता है कि वो सारी अशुद्धियों को पचाकर, उसको शुद्ध करता जाता है। इसलिए सहकार भारती में आने के बाद, हमारी भी कुछ कमियां हैं, कुछ दोष हैं, तो वह अपने आप विलीन होते जाएंगे और हम शुद्ध होते जाएंगे। इसके लिए बस शिद्दत चाहिए, धैर्य चाहिए और इस प्रवाह के साथ चलना है। यदि इतना ही एक संकल्प रहता है तो, और बाकी बातें, अपने आप ठीक होती जाएंगी। यदि कोई कमी नहीं है, तो हम सबका सौभाग्य है और यह सबका सम्मान है।

यहां पर किसी का, कोई व्यक्तिगत संकल्प नहीं है और अपना कोई स्वप्न भी नहीं है। हमारे मनीषियों ने, हमें जो स्वप्न दिया है और उस स्वप्न को हमने स्वीकार किया है। किसी महापुरुष ने लक्ष्य दिया है, और हमने लक्ष्य भी तय नहीं किया है। हम तो, उस स्वप्न को समझने वाले, लक्ष्य के प्रति समर्पित होने वाले बन जाएं। उस लक्ष्य को गतिमान करते हुए, उस दिशा में आगे बढ़ जायें, हमारा इतना ही काम है। हम जड़ नहीं हैं। नई-नई बातों को सुनेंगे, समझेंगे, स्वीकार करेंगे और जो उचित है, अनुचित है, इसका विचार करेंगे और आगे बढ़ते जायेंगे।

सामाजिक जीवन में कभी भी जड़ता नहीं रहती है और जब प्रवाह चलता है तो, प्रवाह चलने में कुछ परिवर्तन आते हैं। हम उत्थान की दिशा में चलने वाले लोग हैं। अतः हमें परिवर्तन के बारे में भी, एक सकारात्मक सोच रखके चलना है। जागरूकता-सजगता के साथ हम सब, उचित-अनुचित के विचार की विवेक दृष्टि रखें। आवश्यक-अनावश्यक का ध्यान रखते हुए, आगे बढ़ कर कार्य करते जायें। अपना विवेक भी ऐसा विकसित होना चाहिए कि दूरगामी लाभ अथवा तात्कालिक लाभों को, कब-कितना महत्व देना है, इसका निर्णय, हम कर सकें। इस दृष्टि से मिला अनुभव हमें, इस प्रकार समृद्ध बनाते जायेगा। स्वाभाविक रूप से, उसका परिणाम कार्य पर होगा, अतः इसके बारे में सजग रहने की आवश्यकता है।

सहकारिता के क्षेत्र में, बहुत से लोग, अपनी अपेक्षाओं के साथ आते हैं। काम करने के लिए नहीं बल्कि, सहकारिता से लाभान्वित होने के नाते आते हैं। यह स्वाभाविक है कि एक सामान्य व्यक्ति, जब सहकारिता के तंत्र से जुड़ता है तो, उसका मूल भाव तो यही रहता है कि, मेरे भले का कुछ हो जायें। इसमें कुछ गलत नहीं है, परन्तु हमें, इस प्रकार करने वालों की मजबूरी का, लाभ उठाने वाले नहीं बनना है। हम लोगों को, उसकी दुर्बलता का लाभ उठाने का काम, नहीं करना है। अगर सहकारिता के बल पर, उस व्यक्ति के जीवन में आनन्द आने वाला है तो, हम लोग उस आनन्द का निर्माण करने वाले हैं।

हम अपनी सहकारी सोसायटी, संस्थाएं चलाएंगे, साख संस्थाएं खड़ी होंगी और बैंक खड़े होंगे। कहीं न कहीं पर, कोपरेटिव्स स्टोर चलेंगे, कंज्यूमर स्टोर चलेंगे। हाउसिंग सोसायटी बनेंगी, कृषकों के सहकारिता की संस्थाएं बनेंगी। सहकारिता के, इस प्रकार के पचासों क्षेत्र हैं। हम, व्यक्ति के उस अभाव को, उन कमियों को, आवश्यकताओं की पूर्ति होने का एक मार्ग बना रहे हैं। वह अकेला प्राप्त नहीं कर सकता है, हम मिलकर कुछ करेंगे और इसलिए हम, सहकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं।

हम किसी पर उपकार नहीं कर रहे हैं। लाभान्वित होने वाला भी एक वर्ग है, हमारी दृष्टि यह होनी चाहिए कि, वह हमारा है और अपना व्यक्ति है। हम उसके लिए काम कर रहे हैं। हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, उसको निरुत्साहित करने वाला नहीं हो। इस प्रकार का नहीं हो कि, उसके मन में संकोच का निर्माण हो, उसके सब प्रकार के सम्मान, स्वाभिमान को सम्भालते हुए, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होगी।

हम लोग, भिन्न-भिन्न प्रकार के साधनों को लेकर, सहकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तथा अनेक प्रकार के कामों में जुट गए हैं। समाज के भिन्न-भिन्न प्रकार के लोग, हमारे पास आएंगे और हमारे अपने बनेंगे। हमारा संकल्प कार्य करने का है। अपेक्षा से आने वाला भी, धीरे-धीरे इस काम के साथ क्रमशः जुड़ता भी जाता है। हम लोग, एक ही समाज के होने के कारण, आने वाले के उद्देश्यों से परिचित हो, परन्तु समाज का जो वर्ग, सहकारिता के माध्यम से हमारे निकट आएगा, उसके अंदर यह संस्कार, इस बात को, हमें संकल्पित कर सकते हैं, उतार सकते हैं। इसके लिए, कोई योजना नहीं बनती है, इसके लिए वातावरण बनाना पड़ता है। उसके लिए, एक प्रकार के संबंधों को, विकसित करना पड़ता है, तो समाज का बहुत बड़ा वर्ग हमारा बन जाता है। जितनी देश की जनसंख्या है, उन सबको कुछ ना कुछ सहकारिता का लाभ, होना भी चाहिए। हमारा लक्ष्य है कि, समाज के सामान्य से व्यक्ति को भी अपने साथ लाना है। इसलिए जो भी जनसंख्या है, उन सबको सहकारिता की छत्रछाया में लाना है।

इसलिए इस प्रकार की व्यापक दृष्टि रखते हुए, हम जो भी साधन लाये, उसको परिपूर्ण बनाने का कार्य करें। अगर यह कार्य करना है, तो हमें स्वाभाविक रूप से अद्यतन होना पड़ता है। वर्तमान में क्या चल रहा है, जो चल रहे हैं, उसमें ठीक क्या है, गलत क्या है। सहकार भारती के साथ काम करने वालों को, नित्य नियमित रूप से, इसके संदर्भ में अद्यतन होना

चाहिए। निरंतर अपडेट होते रहना चाहिए, कई प्रकार के कानून बनते हैं। कई प्रकार के प्रावधान होते हैं, कोई शासन करता है। सामाजिक जीवन में कोई रचनाएं खड़ी होती हैं तो, ऐसी सभी प्रकार की बातों को समझने वाले, देखने वाले और समझ कर, अपने अंदर लाने वाले, इस प्रकार के अध्ययन को समझने की दृष्टि अपने अंदर आती रहे। वह विकसित होती रहे कि, जो अच्छा है, उसे हम लाएंगे। इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, जो भी उपयुक्त है उन्हें, अपने यहाँ पर लाएंगे। यह तब होता है, जब हमारी दृष्टि भी बहुआयामी बनती है। इसलिए जो चल रहा है, उसको अध्ययन करना, समझना, उसके दूरगामी और तात्कालीन परिणामों का आकलन करना चाहिए। अपने कार्य को समर्थ, संपन्न बनाना है। सहकार भारती के एक कार्यकर्ता के रूप में, हम अपने आपको, इस कार्य के लिए अधिकाधिक उपयुक्त कैसे बनाएंगे, इसका विचार करते रहना चाहिए।

हम सहकारिता के क्षेत्र में, अलग-अलग प्रकार की संस्थाएं जैसे बैंक, कोऑपरेटिव स्टोर्स, किसानों की समितियाँ, दूध, मधुमक्खी पालकों की संस्थाएं बना रहे हैं। ऐसी संस्थाओं में, इसको दिशा देने हम जैसे कार्यकर्ताओं के साथ, नित्य प्रतिदिन काम करने वाले कर्मचारी का समूह भी रहेगा। अपने कार्य की पहचान केवल, अपने द्वारा नहीं बनती। वहाँ पर एक कार्य चलाने वाले, जिसका संपर्क, जनता से, समाज से, नित्य व्यवहार से आता है, उसके कारण भी, हमारी एक पहचान बनती है। उसका व्यवहार, उसकी सोच, उसकी शैली, यह सब प्रकार की, अपने संस्थान की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली बनती है, वैसे ही घटाने वाली भी बन सकती है। इसलिए वह, जो कर्मचारी वर्ग, हमारे बीच, हमारे साथ एक बहुत बड़ा प्रभावी साधन है। हम सब का, यह प्रयत्न होना चाहिए कि ऐसे कर्मचारी भी ध्येय निष्ठ बने, संस्कारवान बनें तथा उनका शुद्ध व्यवहार हो। उनका ऐसा आचरण बने, जिसके कारण, अपनी संस्थाओं की और अपने संस्थाओं के माध्यम से चलने वाले विशाल कार्य के प्रति, समाज में आस्था और विश्वास के वातावरण का निर्माण हो। इस कार्य के लिए, हमें अपने आपको समर्पित, क्षमतावान बनाने का भाव को विकसित करना होगा।

हम, एक दूसरे के मन को, समझने वाले बनेंगे। **संगच्छध्वं संवदध्वं, सं वो मनांसि जानताम्** के भाव के साथ-साथ चलेंगे, साथ-साथ बोलेंगे और सब के अंतःकरण को समझेंगे। सहकार भारती के कार्यकर्ता के रूप में, हमें इस मानस की तैयारी करनी चाहिए।

—श्री भैर्याजी जोशी
पूर्व सरकार्यवाह, रा. स्व. संघ

उत्तर प्रदेश सहकार भारती की प्रदेश कार्यकारिणी के सभी सम्मानित सदस्यों एवं पदाधिकारियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन

श्रेष्ठ एवं निर्यात किस्म चावल के
प्रॉसेसर एवं ट्रेडर्स
मे० कृष्णा इण्डस्ट्रीज
दरियाबाद, बाराबंकी
प्रो०-श्री राजेश वर्मा
मो.नं.-8853002014



भारतीय सहकारी ऋण आंदोलन

- सहकारी ऋण समिति अधिनियम : 1904
- 1929 की विश्वव्यापी मंदी –सहकारी ऋण आंदोलन का कामकाज : पंगु
- भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना – 1935
- कृषि ऋण विभाग–ऋण से संबंधित विभिन्न समस्याओं का अध्ययन
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण – 1951
- यूपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की स्थापना –1944
- राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) द्वारा– राष्ट्रीय सहकारी रणनीति–कर्मचारियों के प्रशिक्षण और सहकारी विपणन समितियों के निर्माण का सुझाव– 1958
- यूपी राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की स्थापना – 1959
- यूपी में दीर्घकालिक ऋण प्रदान प्रारंभ– 1960
- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम द्वारा (NCDC) की स्थापना –1962
- बहु–राज्य सहकारी संगठन अधिनियम – 1984
- सहकारी समितियों पर एक राष्ट्रीय नीति – 2002
- सहकारिता पर संविधान (सत्तानवेवां संशोधन) अधिनियम – 2011
- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा “युवा सहकार–सहकारी उद्यम सहायता और नवाचार योजना”
- सहकारिता को विशेष प्राथमिकता – सहकारिता मंत्रालय की स्थापना– जुलाई, 2021
- एनसीडीसी का किसानों की आय को दोगुना हेतु मिशन सहकार–22 प्रारंभ –2022

कमजोरियाँ और कारण

- निष्क्रिय समितियां
- उधार पर निर्भरता
- स्वयं सहायता का अभाव
- बढ़ती बकाया राशि
- निहित स्वार्थ का वर्चस्व
- अक्षम प्रबंधन
- लक्ष्य शिकार और जल्दबाजी में विस्तार
- सहकारी सिद्धांतों के ज्ञान का अभाव
- कमजोर केंद्रीय / जिला सहकारी बैंक
- प्रेरणाहीन नेतृत्व
- अनुकूल माहौल का अभाव
- पर्यवेक्षण, लेखा परीक्षा और निरीक्षण का अभाव
- आधिकारिक तौर पर प्रायोजित
- दोषपूर्ण ऋण नीतियां और प्रक्रिया
- सहकारी ऋण संस्थाओं को सरकारी सहायता का अभाव
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय सुविधाओं की कमी
- वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी ऋण संस्थानों के बीच समन्वय का अभाव

विकास हेतु सुझाव

- पुनर्गठन और पुनर्वास का कार्यक्रम
- व्यवहार्यता निर्धारित करने में लचीला दृष्टिकोण
- संचालन का क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए
- क्रेडिट को मार्केटिंग से जोड़ना
- समितियों को ग्रामीण बैंकों के रूप में विकसित करना चाहिए
- जमा राशि जुटाने पर जोर
- वित्त के पैमाने का निर्धारण करने के लिए मशीनरी
- स्पष्ट रूप से परिभाषित ऋण नीति और प्रक्रियाएं
- छोटे किसानों को बेहतर सेवा
- बकाया वसूली के लिए व्यापक अभियान
- निहित स्वार्थ का उन्मूलन
- निधि निवेश करने में अत्यंत सावधानी और सतर्कता
- समर्पित नेतृत्व की आवश्यकता
- स्वामित्व वाली निधियों पर जोर
- समन्वय में सुधार
- सरकार द्वारा पर्याप्त वित्त पोषण तथा समर्थन
- भारतीय रिज़र्व द्वारा पर्याप्त वित्त पोषण तथा समर्थन
- जिला स्तर पर उच्च स्तरीय परामर्श समिति
- प्रत्येक मंडल स्तर पर सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण
- प्रौद्योगिकी को अपनाना और अद्यतन करना
- सहकारी लेखा परीक्षा और पर्यवेक्षण के उच्च मानक
- सहकारी संस्थाओं के प्रबंधन और प्रशासन के लिए पारदर्शी नीति

चुनौतियाँ और विकास के अवसर

- सहकारी बैंक अब अत्यधिक प्रतिस्पर्धी माहौल में काम कर रहे हैं।
 - बैंकिंग क्षेत्र और प्रौद्योगिकी में अधिक खिलाड़ियों के प्रवेश से, ग्राहकों के लिए विकल्प बढ़े हैं और बैंकों के पास विकास के अवसर और अस्तित्व के लिए चुनौतियाँ दोनों हैं।
 - आज सहकारी बैंकों के हिस्से में, सूक्ष्म वित्त, स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह आदि नहीं हैं। वे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स (एमएफआई) के साथ हैं।
 - हालाँकि, यह केवल दृष्टिकोण, प्रक्रियाओं, व्यवसाय मॉडल और रणनीति में उपयुक्त परिवर्तनों के साथ ही प्राप्त किया जा सकता है।
 - सहकारी बैंक ग्राहकों के अपने अंतरंग ज्ञान और संचालन के क्षेत्र से परिचित होने के साथ, नए ग्राहकों को आकर्षित कर सकते हैं और मौजूदा ग्राहकों को अपने अद्वितीय बिक्री प्रस्ताव के साथ बनाए रख सकते हैं।
 - सहकार भारती द्वारा सहकारी संस्थाओं के डिजिटलीकरण का किये जाने वाला प्रयास केवल देश में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी सहकारिता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा।
- यह माननीय प्रधान मंत्री जी के उद्देश्यों को साकार करने तथा **“सबका साथ, सबका विकास”** करने की दिशा में काम करेगा।

—दीनानाथ ठाकुर

राष्ट्रीय अध्यक्ष, सहकार भारती

सहकारिता से समृद्धि की दिशा—सहकार भारती के प्रयास

बिना संस्कार नहीं सहकार, इस घोष वाक्य के साथ सहकार भारती, विगत 42 वर्षों से पूरे भारतवर्ष में 27 प्रदेश और 800 से अधिक जिला केंद्रों में काम करती है। बैंक और क्रेडिट सोसाइटीज से आए कार्यकर्ताओं के साथ, सहकार भारती ने कार्य का प्रारंभ किया किंतु धीरे-धीरे, अब पूरे भारतवर्ष में सहकार भारती का काम, लगभग 20 से अधिक प्रकोष्ठों में, चल रहा है जिसमें बुनकरों का प्रकोष्ठ है, मछुआरों का प्रकोष्ठ है, हाउसिंग का प्रकोष्ठ है, लीगल प्रकोष्ठ है, महिला सहकारी संस्थाओं का प्रकोष्ठ है।

सहकार भारती की धारणा है कि अपने देश की अर्थव्यवस्था को, 5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक ले जाने के लिए निश्चित रूप से, सहकारिता का मॉडल उपयुक्त होगा। केंद्र सरकार ने, सहकार भारती के आग्रह पर, सहकारिता से विकास के मॉडल को अपनाते हुए, स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। यह किसानों की आय दोगुनी करने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण कदम है।

आज भी अपने देश में लगभग छह लाख से अधिक ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं, जहाँ किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता या वित्तीय सेवा उपलब्ध नहीं होती। ऐसे क्षेत्रों में पैक्स अर्थात् प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी, अधिक सक्षम रूप से काम करती हैं। उन्हें और अधिक सक्षम बनाने की आवश्यकता है। इस हेतु उनको कंप्यूटराइजेशन जैसे मॉडर्न फैसिलिटी की आवश्यकता रहेगी। अतएव इन सारी सहकारी समितियों को, नेशनल लेवल पर किसी एक्सीलेंट सेंटर के रूप में, शिक्षण प्रशिक्षण देने की समुचित व्यवस्था, किए जाने की आवश्यकता है।

सहकारिता का विकास अधिक समुचित दृष्टि से हो, इसके लिए सहकार भारती ने समय-समय पर सरकार को निवेदन प्रस्तुत किए हैं। उस निवेदन में सहकार भारती ने, मुख्य रूप से सहकारिता की सभी धाराओं का, विशेष रूप से पैक्स का उल्लेख किया है।

अगर हमने पैक्स को मजबूत करने का प्रयास किया तो, आने वाले समय में निश्चित रूप से, हमारी अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन से अधिक ऊंचाई पर जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने, पूरे देश को जो सपना दिखाया है, वह निश्चित रूप से संपन्न होगा, ऐसा सहकार भारती का भी विश्वास है।

राष्ट्रीय स्तर पर एक कोऑपरेटिव नीति, 2002 में बनी थी। 21 साल बाद, अब नई कोऑपरेटिव नीति बन रही है, जिसका अब अंतिम स्वरूप दिया जा रहा है। नयी सहकारी नीति आठ विषयों में विभाजित है, जिसमें वर्तमान राज्य और विकास और विकास के लिए रणनीतियाँ, संरचनात्मक सुधार और शासन ढांचा, जीवंत संस्थाओं के रूप में सहकारिता, प्रशिक्षण, सतत शिक्षा, अनुसंधान, ज्ञान प्रसार, सहकारी आंदोलन को गति देना, बुनियादी ढांचा, प्रौद्योगिकी और नवाचार और नेटवर्क, अभिसरण और सहयोग। नीति बनने के बाद, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नार्म्स को देखते हुए, कोऑपरेटिव कानून में उचित संशोधन करने की भी आवश्यकता है।

97वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की स्प्रिट के अनुसार, सहकारी समितियों का गठन करना, एक मौलिक अधिकार है। सहकार भारती की धारणा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीयों के पंजीयन का मार्ग भी प्रशस्त होना चाहिए। सरकार को, सभी से विचार-विमर्श करके, किसी भी सहकारी समिति के गठन के लिए, एंट्री प्वाइंट नार्म्स निश्चित रूप से तय करना चाहिए। एक बार एंट्री प्वाइंट नार्म्स फुलफिल होने के बाद, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, आसानी से पूर्ण होने की आशा है।

सरकार ने अभी हाल में तीन राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्य सहकारी समितियों का गठन किया है— एक बीज के लिए, दूसरी निर्यात के लिए तथा तीसरी जैविक उपज के लिए। यह देश के आर्थिक विकास में, सहकारिता के योगदान हेतु एक सराहनीय कदम है।

देश के स्थाई आर्थिक विकास में, सहकारिता का योगदान अधिक महत्वपूर्ण करने के लिए, अपने देश में जो दुग्ध समितियाँ हैं, ऐसी सारी दुग्ध समितियों को भी, बल देने की आवश्यकता रहेगी। अपने देश में, आज की तारीख में, 1 लाख 40 हजार दुग्ध समितियाँ कार्यरत हैं। नीति आयोग के एक सर्वे के अनुसार, अपने देश में लगभग 3 लाख दुग्ध समितियों के निर्माण करने, उनके गठन करने की आवश्यकता है। नीति आयोग का ऐसा अनुमान है कि जिन प्रदेशों में, इस प्रकार की दुग्ध

समितियां नहीं बनी है, ऐसे सारे प्रदेशों में दुग्ध समितियां बनाने की त्वरित आवश्यकता है। सहकार भारती की धारणा है कि इसके लिए, इस क्षेत्र में काम करने वाले विद्वत जनों से विचार-विमर्श करके, ऐसे सारे प्रदेशों का एक रोड मैप बनाने की आवश्यकता है।

सहकारी समितियों को समुचित पूंजी निवेश उपलब्ध कराने के लिए कोऑपरेटिव के शेयर्स के अलावा, विभिन्न प्रकार के वेंचर्स बान्ड्स के विकल्प भी करने की आवश्यकता है। हमने कोरोना काल में जैसा अनुभव किया है कि, समाज का बहुत प्रकार से आर्थिक शोषण हुआ है। स्थाई आर्थिक विकास में अधिक गति लाने के लिए, नए कोऑपरेटिव के डायमेनसन्स की आवश्यकता है।

सहकार भारती का यह आग्रह तथा प्रयास है कि, आने वाले समय में हमारा सारा ध्यान, हेल्थ कोऑपरेटिव, न्यू डाइमेंशन कोऑपरेटिव की तरफ होना चाहिए, जैसे सोलर एनर्जी, इंश्योरेंस, पानी का डिस्ट्रीब्यूशन आदि। जिस प्रकार विदेशों में, ऐसे विभिन्न प्रकार की फील्ड्स में, सफलता मिल रही है। उसी प्रकार, अपने देश में सभी लोगों को, इन नए डायमेंसन्स कोऑपरेटिव्स का अनुभव, लेने की आवश्यकता है। सहकार भारती का, सरकार से आग्रह तथा अपेक्षा है कि इस प्रकार के नए कोऑपरेटिव डाइमेंशंस के लिए मार्ग प्रशस्त करें।

सहकार भारती का सरकार से आग्रह है, अपने देश के बहुत पुराने समय से चलने वाले जो भी कानून है, उसमें संशोधन करें। शीघ्र ही, 97वें कोऑपरेटिव्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की स्प्रिट को देखते हुए, एक सुनिश्चित सहकारिता-नीति और सहकारिता की नीति पर आधारित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रावधानों की आवश्यकता है।

जय सहकार।

—डा. उदय जोशी

राष्ट्रीय महामंत्री सहकार भारती

**उत्तर प्रदेश सहकार भारती की प्रदेश कार्यकारिणी
के सभी सम्मानित सदस्यों एवं पदाधिकारियों का
हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन**

**श्रेष्ठ एवं निर्यात किस्म चावल के
प्रॉसेसर एवं ट्रेडर्स
मे0 किसान ट्रेडर्स
सिद्धौर, बाराबंकी
प्रो0-श्री श्यामू वर्मा
मो.नं.-9935280402**



भारतीय सहकारिता आंदोलन—दशा और दिशा

सहकारिता सामूहिकता को बढ़ावा देने और राष्ट्र की सामाजिक पूंजी नींव को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। सहकारिता के माध्यम से लोकतंत्र और सामूहिकता की भावना को सबसे अच्छी तरह से संरक्षित किया जाता है। सहकारिता जन-केंद्रित उद्यम हैं जो संयुक्त रूप से स्वामित्व में हैं। सहकारी समितियों को सदस्यों द्वारा, उनके लिए और उनकी सामान्य आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित किया जाता है।

सहकारिता, बड़े पैमाने पर सामाजिक नेटवर्क, जैसे सहकारी समितियों का निर्माण, सामाजिक पूंजी के निर्माण और उपयोग की सुविधा प्रदान करती है। सामाजिक पूंजी जितनी अधिक होगी, विकास के अवसर उतने ही अधिक होंगे।

स्वतंत्रता के बाद, सहकारी समितियों को राज्य सूची में रखा गया। सहकारी समितियों को सामाजिक-आर्थिक विकास का साधन माना जाता था और यह प्रारंभिक पंचवर्षीय योजनाओं का एक अनिवार्य फोकस थी। राज्यों ने अपने अधिकार क्षेत्र में सहकारी समितियों को विनियमित करने के लिए अपने स्वयं के कानून बनाए थे। 1984 में, केंद्रीय स्तर पर विभिन्न कानूनों को समेकित करने के लिए संसद द्वारा बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम बनाया गया था, जिसका 2002 में संशोधन हुआ। तत्पश्चात इस अधिनियम का 2022 में प्रस्तुत संशोधन अभी, संसद-पटल में विचाराधीन है।

अब देश में दो प्रकार की सहकारी संरचनाएँ हैं अर्थात् राज्य सहकारी समितियाँ और बहु-राज्य सहकारी समितियाँ (MSCS)। बहु-राज्य सहकारी समितियाँ, जिनका संचालन एक से अधिक राज्यों में होता है—उदाहरण के लिए, एक किसान-उत्पादक संगठन जो, कई राज्यों के किसानों से अनाज खरीदता है। निदेशक मंडल सभी राज्यों से हैं, ये समूह सभी वित्त और प्रशासन को संचालित और नियंत्रित करते हैं। बहु-राज्य सहकारी समितियाँ, केंद्र सरकार के अधीन आती हैं और राज्य सहकारी समितियाँ, राज्य सरकारों के अधीन होती हैं।

सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने और सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को साकार करने हेतु, भारत सरकार ने जुलाई 2021 में एक केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की।

भारत में सहकारिता

- भारत, एक कृषि प्रधान राष्ट्र है, जहां दुनिया के सबसे बड़े सहकारी आंदोलन की नींव रखी गई है।
- डेयरी, चीनी मिलें, कताई मिलें, और कृषि में अन्य सहकारी उद्यम, उन किसानों के संयुक्त संसाधनों का उपयोग करके बनाए जाते हैं जो अपनी उपज को संसाधित करना चाहते हैं।
- देश में 1,94,195 सहकारी डेयरी समितियाँ और 330 सहकारी चीनी मिल संचालन हैं।
- सहकारी चीनी मिलें, देश में उत्पादित चीनी का 35% हिस्सा बनाती हैं।
- बैंकिंग और वित्त में, सहकारी संस्थाएँ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में फैली हुई हैं।
- स्थानीय स्तर पर ऋण प्रवाह का सबसे स्पष्ट उदाहरण, ग्रामीण स्तर पर किसान संघों द्वारा स्थापित प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS) हैं।
- ये संगठन गांव की जरूरत के लिए, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) को अग्रिम में क्रेडिट अनुरोध भेजते हैं।
- पैक्स (PACS) के पास, एक वाणिज्यिक बैंक के सामने, अपना मामला प्रस्तुत करने वाले एक व्यक्तिगत किसान की तुलना में, काफी अधिक बातचीत का लाभ होता है क्योंकि वे किसानों का एक समूह होते हैं।
- राज्य सहकारी बैंक, ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना के शीर्ष पर स्थित हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी विपणन समितियाँ और शहरी क्षेत्रों में सहकारी आवास समितियाँ भी हैं।
- भारत में कई प्रकार की सहकारी समितियों में से एक, ग्राहकों की सहकारी समितियाँ हैं, जो वस्तुओं को सस्ता बनाकर

सभी उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने का काम करती हैं। जिनमें प्रमुख उदाहरण हैं— केंद्रीय भंडार, अपना बाजार और सहकारी भंडार। यह बिचौलियों को हटा कर, उत्पादकों से सीधे माल खरीद द्वारा, उपभोक्ताओं को कम कीमत पर आइटम वितरित करती है।

- उत्पादकों के सहकारी समूह हैं, जो कच्चे माल, उपकरण, मशीनरी आदि तक पहुंच प्रदान करते हैं। यह छोटे उत्पादकों के हितों को सुरक्षित रखता है।
- अमूल देश में सबसे प्रसिद्ध सहकारी ब्रांडों में से एक है। यह गुजरात के 36 लाख दुग्ध उत्पादकों में से पैदा हुआ है। यह गुजरात को—ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन को नियंत्रित करता है। एफ्को, बयानिका, हरियाणा हथकरघा आदि जैसी हथकरघा समितियां उत्पादकों की सहकारी समितियों के उदाहरण हैं।

भारत में सहकारी समिति का महत्व

यह कृषि ऋण और फंड प्रदान करती है, जहां राज्य और निजी क्षेत्र बहुत कुछ नहीं कर पाए हैं। यह कृषि क्षेत्र के लिए रणनीतिक इनपुट प्रदान करती है तथा कृषि-विकास की बाधाओं को दूर करने में मदद करती है।

एक सहकारी समिति, अपने सदस्यों की जरूरतों का एक बड़े बाजार में प्रतिनिधित्व करने एवं उनकी स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह सामाजिक विश्वास, एक व्यापक सामाजिक आर्थिक उत्थान तथा हमारे स्थानीय समुदायों का समर्थन करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। एक संयुक्त स्टॉक कंपनी की तुलना में, एक सहकारी समिति का गठन बहुत आसान है। सामान्य हितों वाले व्यक्ति मिलकर, एक सहकारी समिति बना सकते हैं।

सहकारी समितियों में आदर्श लोकतांत्रिक शासन है। सदस्य गण मतदान द्वारा उन प्रतिनिधियों को चुनते हैं, जो समिति के दिन-प्रतिदिन के कार्यों को संभालने का काम करेंगे। एक सहकारी समिति के गठन में प्रत्येक सदस्य ने जो पूंजी लगाई है, वह उनके दायित्व की सीमा निर्धारित करती है। एकल मालिकों और भागीदारों के विपरीत, सहकारी समितियों के सदस्यों को व्यावसायिक देनदारियों के कारण, अपनी व्यक्तिगत संपत्ति के लिए, कोई जोखिम नहीं होता है। सहकारिता बिचौलियों के मुनाफे को खत्म करते हुए, सदस्यों या ग्राहकों को, अपनी आपूर्ति का प्रबंधन करने की अनुमति देती है। एक सहकारी समिति का बहुत स्थिर अस्तित्व होता है तथा बहुत लंबे समय तक चलती है। इसकी निरंतरता, अपने किसी भी सदस्य के निधन, वित्तीय बर्बादी, पागलपन, या इस्तीफे से अप्रभावित रहती है।

सहकारी समिति को संघीय सरकार और राज्य सरकारें दोनों ही, कई प्रकार की सहायता प्रदान करती हैं। ऐसी सहायता पूंजी योगदान, कम ब्याज वाले ऋण, कर छूट, ऋण चुकौती के लिए सब्सिडी आदि के रूप में दी जा सकती है।

सहकारी समिति के लाभ

आसान स्थापना, कम कानूनी प्रभाव: बहुमत हासिल करने वाले कोई भी दस सदस्य कुछ कानूनी औपचारिकताओं के साथ एक सहकारी समिति बना सकते हैं।

समानता और पारदर्शिता को बढ़ावा देना: एक सहकारी समिति 'एक व्यक्ति, एक वोट' के सिद्धांत पर आधारित है। आंतरिक मामलों को संभालने में सभी सदस्यों को समान अधिकार हैं। इन समितियों द्वारा उत्पन्न अधिशेष सदस्यों के बीच समान रूप से वितरित किया जाता है।

सीमित दायित्व: एक सहकारी समिति में सदस्य का दायित्व उनके पूंजी योगदान की सीमा तक ही सीमित होता है।

बिचौलियों को खत्म करना: आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता सहकारी समितियों की स्थापना की गई है। उपभोक्ता समितियाँ, रियायती दरों पर अपनी उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। ये सोसायटियां सीधे उत्पादकों और थोक विक्रेताओं से वस्तुओं की खरीद करती हैं और उन्हें उचित मूल्य पर अंतिम उपभोक्ताओं को बेचती हैं। इस प्रकार वे बिचौलियों को खत्म करते हैं और आपूर्ति श्रृंखलाओं को और अधिक कुशल बनाते हैं। इसी तरह, कृषि उत्पादक संगठन (एफपीओ) सीधे खरीदारों से निपटते हैं और किसानों को बेहतर मुनाफा दिलाने में मदद करते हैं।

ऋण तक पहुंच: सहकारी समितियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में निजी साहूकारों के प्रभाव को कम करने में मदद की है। सहकारी

समितियाँ मामूली ब्याज दर पर ऋण की सुविधा प्रदान करती हैं।

कृषि का समर्थन: सहकारी समितियों ने कृषि उत्पादन में सुधार के सरकार के प्रयासों का समर्थन किया है। वे सरकार और किसानों के बीच एक सेतु का काम करते हैं, उदाहरण के लिए, सरकार सहकारी समितियों के माध्यम से, उच्च उपज वाली किस्म (HYV) के बीज और उर्वरकों का वितरण करती है।

रिजर्व फंड: सहकारी समितियाँ, अपने लाभ का 25% सामान्य रिजर्व में स्थानांतरित करने के लिए कानूनी दायित्व के तहत हैं। इस प्रकार, यह बाहरी धन की आवश्यकता को कम करता है।

बचत की आदत को बढ़ावा: सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों में बचत की आदत विकसित करती हैं। वे आम तौर पर उत्पादक उद्देश्यों के लिए ही ऋण सुविधाएं प्रदान करते हैं।

सामाजिक लाभ: सहकारी समितियों ने सामाजिक रीति-रिवाजों को संशोधित करने और अप्रासंगिक खर्चों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सहकारी समितियों द्वारा प्राप्त लाभ का उपयोग समाज की मूलभूत सुविधाओं की सुविधा के लिए किया जा सकता है।

सहकारी समिति की चुनौतियाँ

भारतीय सहकारी समितियाँ भी सदस्यों द्वारा निधियों के दुरुपयोग, संकीर्ण हितों को साधने, राजनीतिक हस्तक्षेप आदि जैसे मुद्दों से ग्रस्त हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनकी कार्यप्रणाली अक्षम हो जाती है।

सहकारी समितियों के बुनियादी ढांचे और संगठन को, विनियमित करने हेतु तकनीकी सहायता या वित्तीय सहायता की मुख्य रूप से आवश्यकता है। धन की कमी के कारण भी सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली अक्षम हो जाती है।

सहकारिताएँ क्षेत्रीय राजनेताओं से प्रभावित रही हैं। क्षेत्र की घरेलू राजनीति पर इसका बड़ा प्रभाव है। राजनेता इससे लाभ उठाते हैं तथा गरीबों को इसके प्रारंभिक लाभों से वंचित करते हैं। सहकारी समितियाँ भी चुनावी लाभ के लिए, राजनीतिक दलों का प्रतिस्पर्धी क्षेत्र बन जाती हैं, जो उनके कामकाज को प्रभावित करता है।

बड़ी सहकारी समितियों को सरकारों के हस्तक्षेप का सामना करना पड़ता है। विशेषज्ञों का तर्क है कि कुछ प्रावधान/नियम बहुत अधिक प्रतिबंधात्मक हैं और सहकारी समितियों के पास इन विनियमों का पालन करने के लिए विशेषज्ञता और जनशक्ति की कमी है। यह उनके विकास और विस्तार को बाधित करता है। इसके अलावा, अधिकांश सहकारी समितियाँ प्रायः सरकार की सहायता को अपर्याप्त पाती हैं।

सहकारी समिति की अपने सदस्यों से धन जुटाने की क्षमता गंभीर रूप से बाधित होती है क्योंकि सदस्यता अक्सर समुदाय के एक क्षेत्र तक ही सीमित होती है। सहकारी समितियाँ पर्याप्त पूंजी की कमी और कई अन्य प्रतिबंधों के कारण अनुदान, ऋण, सब्सिडी आदि के रूप में सहायता और संरक्षण के लिए सरकार पर निर्भर हैं।

पारस्परिक सहयोग की अवधारणा सहकारी समूहों के गठन का मार्गदर्शन करती है। कभी-कभी, विविध पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की उपस्थिति के कारण, सहकारी समितियाँ आंतरिक संघर्षों से पीड़ित होती हैं। कुछ सदस्य सेवा की भावना की अवहेलना कर, व्यक्तिगत लाभ चाहते हैं। अहंकार के संघर्ष, व्यक्तित्व के टकराव आदि के कारण, सदस्यों के बीच बहुत अधिक संघर्ष होता है। सदस्यों का अक्सर स्वार्थी व्यवहार, सहकारी समिति के पतन का कारण बन सकता है।

सामान्य तौर पर, यह देखा गया है कि सहकारी समितियों के प्रभावी ढंग से संचालन न करने का मुख्य कारण प्रशासनिक कौशल की कमी है। निर्वाचित सदस्यों या सदस्यों में स्वयं संगठन चलाने के लिए आवश्यक प्रबंधन कौशल की कमी होती है। कई सहकारी समितियाँ विशेषज्ञों की कमी से लाभदायक होने में विफल रही हैं। उचित प्रबंधन के लिए कुशल और अनुभवी सदस्यों को नियुक्त करने के लिए सहकारी समितियों की कमाई अपर्याप्त है।

अधिकांश सदस्य सीमित पूंजी का योगदान कर सकते हैं। सहकारी समितियाँ विशेषकर प्रारंभिक अवस्था में, सीमित संसाधन होने के कारण धन की कमी से जूझती हैं। इसके अलावा, समितियाँ समाज-कल्याण के उद्देश्य से बनती हैं और लाभ के उद्देश्य को कुछ हद तक नजरअंदाज कर दिया जाता है। प्रत्येक समिति की स्थापना अपने सदस्यों की सेवा के लिए की

जाती है, धन कमाने के लिए नहीं। इसके द्वारा सदस्यों को कड़ी मेहनत करने और समिति को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए पर्याप्त रूप से प्रोत्साहित नहीं किया जाता है।

सुधार हेतु आवश्यकता

वित्तीय सहायता: (1) फंड की कमी को दूर करने के लिए दीर्घकालिक, ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए; (2) न केवल छोटे किसानों, किरायेदारों और बटाईदारों के लिए बल्कि भूमिहीन श्रमिकों और कारीगरों के लिए भी ऋण प्रदान किया जाना चाहिए; (3) क्रेडिट के प्रावधान के लिए सुरक्षा आवश्यकताओं को आसान बनाया जाना चाहिए। ऋण योग्य निधियों की मात्रा, पुनर्भुनाई सुविधा के माध्यम से बढ़ाई जानी चाहिए।

तकनीकी मार्गदर्शन: सहकारी समितियों को बनाए रखने में विपणन सेवाओं और तकनीकी मार्गदर्शन सहित इनपुट और सेवाओं का एक पैकेज महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आखिरकार, समय के साथ इन-हाउस विशेषज्ञता विकसित करके वे आत्मनिर्भर बन सकते हैं।

स्थानीय भू-संसाधनों का उपयोग: सहकारी समूहों की स्थापना करते समय स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। कृषि और विपणन समितियों को स्थानीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना चाहिए।

बाहरी हस्तक्षेप को कम करें: लालफीताशाही, राजनीतिक दखलंदाजी, प्रशासनिक बाधाओं आदि को समाप्त किया जाना चाहिए। प्रतिनिधियों को राजनीतिक या अन्य प्रकार के स्थानीय दबाव के आगे नहीं झुकना चाहिए। संचालन के तरीके में, प्रभावशाली ग्रामीण पैरवी समूहों (ग्रामीण लॉबियों) द्वारा अनावश्यक रूप से दखल दे कर, सहकारी समितियों को बाधित नहीं किया जाना चाहिए। हालाँकि, जहां तक ग्राम समुदाय की अधिक भलाई का संबंध है, उन्हें अपनी नैतिक प्रतिबद्धताओं को पूरी ईमानदारी के साथ पूरा करना चाहिए।

जागरूकता पैदा करना: (1) सहकारी समिति के सदस्यों को नियोजित पितृत्व, जनसंख्या, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। (2) महिलाओं को विशेष रूप से, बाल कल्याण, मातृत्व पोषण, संतुलित आहार आदि से संबंधित कार्यक्रमों के बारे में बताया जाना चाहिए, जो बच्चे की देखभाल, गर्भावस्था के दौरान पोषण, संतुलित आहार आदि में मदद करते हैं। (3) ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक आधार पर, प्रौढ़ शिक्षा और साक्षरता कार्यक्रमों को लागू किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया, टीवी, समाचार पत्रों आदि के माध्यम से लोगों को सहकारी समितियों की उपयोगिता के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

1. बिना संस्कार नहीं सहकार की भावना से, स्थानीय वातावरण को ध्यान में रखते हुए, सहकारी समितियों की स्थापना की जानी चाहिए। सहकारी कृषि और सहकारी विपणन समूहों को, पड़ोस के संसाधनों का अधिकतम संभव उपयोग करना चाहिए।
2. कमजोर और अक्षम सहकारी समितियों को या तो समाप्त कर दिया जाना चाहिए या मजबूत और कुशल सहकारी समितियों में विलय कर दिया जाना चाहिए।
3. बहुउद्देशीय सहकारी समितियाँ अधिक होनी चाहिए। सभी एकल-उद्देश्य वाली सहकारी समितियों को बहुलतावादी सहकारी समिति में परिवर्तित किया जाना चाहिए।
4. भूमिहीन मजदूरों, कारीगरों और छोटे-मझोले, काश्तकारों और बटाईदार किसानों के लिए भी संस्थागत ऋण अलग रखा जाना चाहिए।
5. ऋण प्रदाताओं को अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं में ढील देनी चाहिए। एक पुनर्भुनाई सुविधा के उपयोग के माध्यम से, ऋण योग्य निधियों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए।
6. ब्याज की दर कम की जानी चाहिए ताकि ऋण योग्य धन आर्थिक रूप से वंचित समूहों तक उसी गति से पहुंच सकें जिस गति से केंद्रीय बैंक द्वारा देश के वित्तपोषक बैंकों का पुनर्वित्त किया जाता है।

सहकारिता, सर्वांगीण ग्रामीण विकास में, महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। पर्याप्त वित्तीय और तकनीकी सहायता का प्रावधान, उन्हें ग्रामीण चुनौतियों का समाधान करने और भारत की विकास गाथा में योगदान करने में सक्षम बना सकता है। सरकार को सहकारी समितियों के विकास हेतु पारिस्थितिकी तंत्र को सुविधाजनक बनाने के लिए, हर संभव कदम उठाने चाहिए।

सामूहिकता को बढ़ावा देने और राष्ट्र की सामाजिक पूंजी की नींव को बनाए रखने के लिए सहकारिता आवश्यक है। सहकारिता के माध्यम से लोकतंत्र और सामूहिकता की भावना को सबसे अच्छी तरह से संरक्षित किया जाता है।

बड़े पैमाने पर सामाजिक नेटवर्क जैसे सहकारी समितियों का व्यापक गठन, देश की सामाजिक पूंजी के निर्माण और उपयोग की सुविधा प्रदान करेगा। हमारी सामाजिक पूंजी जितनी अधिक होगी, विकास के अवसर उतने ही अधिक होंगे।

—जगदीश नारायण भट्ट
प्रदेश प्रमुख, प्रशिक्षण प्रकोष्ठ
सहकार भारती

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम






हमारा उद्देश्य सरासरी एवं वैज्ञानिक भण्डारण

भण्डारण क्षमता एवं प्रमुख कार्य

- प्रदेश में निगम की 170 भण्डारगृह स्थापित है। जिसमें 127 स्वनिर्मित, 13 किराये के तथा 30 पीआईसीसी गोदाम स्थापित है। जिसमें कुचक के कुर्च, लुपज, बीज, तुरैयक, दूध, चने तथा अन्य अतिरिक्त वस्तुओं की वैज्ञानिक भण्डारण एवं परिवहन की व्यवस्था की जाती है। खाद्यपदार्थों का वैज्ञानिक भण्डारण कर सुरक्षित रखा जाता है।
- निगम की स्वनिर्मित क्षमता 28.85 लाख मीटन एवं पीआईसीसी तथा किराये पर लिए गये गोदामों की भण्डारण क्षमता 6.31 लाख मीटन है। इन प्रकार कुल भण्डारण क्षमता 32.94 लाख मीटन है।
- भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत खाद्यों निर्माण कराया जाता है। जिसके लिए निगम को गोदाम एजेंसी बनाया गया है। जिसके तहत जलिलपुर, पीलीभीत एवं हमीरपुर में 150,000-60,000 मीटन कुल 1.5 लाख मीटन के गोदामों निर्माण हेतु कार्यवाही प्रचलित है।
- पीआईसीसी योजनाअन्तर्गत 6.85 लाख मीटन क्षमता तथा मण्डी परिषद से 36 मण्डी पर प्राप्त भूमि व 02 मण्डी पर निगम की भूमि पर कुल 1.90 लाख मीटन क्षमता के गोदामों का निर्माण कराया जा रहा है। जिनमें से 34 मण्डी सफल पर 1.70 लाख मीटन क्षमता के गोदामों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 02 मण्डी सफल तथा 02 स्वनिर्मित भण्डारगृह परिसर में 0.20 लाख मीटन क्षमता का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- वर्ष 2002-23 में वि०- 27-12-22 तक 302851 मीटन खाद्य भण्डारित कराया गया है।
- वर्ष 2002-23 में वि०- 27-12-22 तक 216518 मीटन गेहूँ निगम के गोदामों में भण्डारित कराया गया है।
- पंचायत स्तर पर निगम द्वारा अपनी कुचक प्रसार सेवा योजना के अन्तर्गत खाद्यपदार्थों को सुरक्षित रखने हेतु किराने को प्रशिक्षित किया जाता है तथा कुचक, मसूरियों आदि द्वारा अपने घरों में खाद्य भण्डारित खाद्यपदार्थों को क्वेट मुक्त रखने हेतु क्वेट परीक्षणक सेवा योजना के अन्तर्गत नमूना शुल्क लेकर प्राथमिक कियेवमी से लाभान्वित किया जाता है।
- किराने की भण्डारण शुल्क में 30% तथा सहकारी समितियों को 30% की छूट दी जाती है।
- भारत सरकार की नीतियों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में पीआईसीसी योजना के अन्तर्गत खाद्यपदार्थ भण्डारण हेतु बने गोदामों को संचालन निगम द्वारा गोदाम एजेंसी के रूप में सुचारु रूप से किया जा रहा है।
- निगम को संयुक्त भण्डारगृहों का WDRA के अन्तर्गत प्रयोजित कराया जा रहा है जिसके अन्तर्गत 161 भण्डारगृहों का प्रयोजन हो चुका है। इससे किराने को D.M.W.M निर्मित हो पायेगी, जिससे किराने को भण्डारित खाद्यपदार्थों पर खर्च प्राप्त करने की सुविधा होगी।
- निगम द्वारा पर्यटनिक के काम में निगम के संयुक्त गोदामों का 00% में क्रियायोग्य कराया जा रहा है। 00% के अन्तर्गत 110 गोदामों आरंभित है।

निगम द्वारा अपने कार्यों को दी जा रही विशेष सुविधाएँ

- निगम द्वारा कार्यों को बचने के लिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनकी दायित्व फंड का 50% का अनुदान दिया जाता है।
- निगम से कार्यरत नियमित कार्यों के प्रथम पुत्री की जन्म पर ₹50-5,100.00 (रुपये पाँच हजार एक सौपचात्र एवं पुत्री की शादी/विवाह हेतु ₹50-21,000.00 (रुपये इक्कीस हजार) मात्र का अनुदान दिया जा रहा है।
- निगम द्वारा कार्यों को उनकी बचत की शादी शिक्षा भवन निर्माण आदि के लिए 4% न्यूनतम ब्याज पर सम्मान्य ऋण की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
- कार्यरत-40 मजदूरों की निगम कार्यों की मृत्यु होने पर उनके परिवार को निगम से ₹50-02 लाख एक मुक्त आर्थिक सहयोग दिया जाता है।

बीकानेर गोस्वामी
प्रबंध निदेशक

जिपीएससी राठीर
महो. राज्यमंत्री(खाने प्रभाव) सहकारिता
एवं अन्न 2090 राज्य भण्डारण निगम

20900 राज्य भण्डारण निगम भण्डारण भवन, न्यू हीदराबाद लखनऊ-22600 पीओसीसीसी-0622-2781622
23, 24 फीस नई-0622-2782883 वेबसाइट-www.upswc.com



प्रमुख सहकारी संस्थानों की वेबसाइट्स

Sr. No	Institute	Website URL
1	National Co-operative Union of India	http://www.ncui.coop/welcome.html
2	Indian Dairy Industry	www.indiadayry.com
3	National Co-operative Development corporation	www.ncdc.in
4	International Co-operative Alliance	www.ica.coop
5	Datanet India Pvt. Ltd.(Statistics available to Members)	www.indiastat.com
6	Reserve Bank of India	www.rbi.org.in
7	National Yuva Co-operative Society	www.yuvacooperative.com
8	The Maharashtra State Co-operative Bank Ltd	www.msrbank.com
9	National Bank for Agricultural & Rural Development	www.nabard.org
10	Gujrath Milk Co-operative Federation (AMUL)	www.amul.com
11	Vaikunth Mehta National Institute of Co-op. Mgmt	www.vamnicom.gov.in
12	Govt. of India Directory	www.goidirectory.nic.in
13	Maharashtra Urban Co-operative Banks Federation	www.mucbf.com
14	Federation of Indian Chamber of Commerce & Industry	www.ficci.com
15	Indian Banks Association	www.iba.org.in
16	Indian Institute of Banking & Finance	www.iibf.org.in
17	National Federation of Urban Co-operative Banks & Credit Societies Ltd., Delhi	www.nafcub.org
18	National Co-operative Agriculture & Rural Development Banks Federation	www.nafcard.org
19	Indian Co-operative Network for Women	www.workingwomensforum.org

7वें राष्ट्रीय अधिवेशन की



प्रमुख झलकियाँ



प्रमुख कार्यक्रमों की चित्रावली



प्रमुख कार्यक्रमों की चित्रावली



प्रमुख कार्यक्रमों की चित्रावली



सहकार भारती राष्ट्रीय पदाधिकारी (2021-2024)

क्र.सं	नाम	दायित्व	जिला	मोबाइल नंबर
1.	श्री दीनानाथ ठाकुर	राष्ट्रीय अध्यक्ष	गाजियाबाद, उ०प्र०	9990013358
2.	डॉ० उदय जोशी	राष्ट्रीय महामंत्री	रायगढ़, महाराष्ट्र	6666660690, 8888880690
3.	श्री संजय पाचपोर	राष्ट्रीय संगठन मंत्री	मुम्बई, महाराष्ट्र	9284112900
4.	श्री सतीश मराठे	विशेष आमंत्रित सदस्य	डोबीविली (ई), मुम्बई, महाराष्ट्र	9867383491
5.	श्री रमेश वैद्य	संरक्षक	बंगलोर, कर्नाटक	9448194726
6.	श्री दीपक चौरसिया	राष्ट्रीय मंत्री एवं प्रभारी उ०प्र०	पटना, बिहार	9334004058
7.	श्री सतीश मेधी	राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष	थाने, महाराष्ट्र	9821589863
8.	श्री लक्ष्मण पात्रा	केन्द्रीय कार्यालय प्रमुख	मुम्बई, महाराष्ट्र	7542001154
9.	श्रीमती रेवती शेंदुर्निकार	राष्ट्रीय महिला प्रमुख	जलगांव, महाराष्ट्र	9421709165, 9028901330
10.	श्रीमती मधुबाला साबू	प्रमुख, स्वयं सहायता समूह प्रकोष्ठ	नागपुर, महाराष्ट्र	9371029974
11.	श्री राजेश शर्मा	सह प्रमुख, एसएचजी प्रकोष्ठ	अम्बेडकर नगर, उ०प्र०	9935535650
12.	श्री राजदत्त पाण्डेय	प्रमुख, पैक्स प्रकोष्ठ	लखीमपुर उ०प्र०	9455136148
13.	श्री भालचन्द्र कुलकर्णी	प्रकाशन प्रमुख	पुणे, महाराष्ट्र	9822882509
14.	श्री हर्षद धर्माधिकारी	प्रसिद्धी प्रकोष्ठ प्रमुख	नई दिल्ली	7045325321
15.	श्री दिलीप दादा पाटिल	सम्पर्क प्रमुख	जलगांव, महाराष्ट्र	9422284980
16.	श्री रमाशंकर जायसवाल	सह सम्पर्क प्रमुख	गोरखपुर उ०प्र०	9415282059
17.	श्री दिलीप तिकले	प्रमुख आईटी प्रकोष्ठ	महाराष्ट्र	9766755221
18.	श्री पुष्कर तिवारी	सोशल मीडिया प्रभारी	लखनऊ, उ०प्र०	9179045655
19.	श्री कुलदीप कृष्ण पाण्डेय	सह सोशल मीडिया प्रभारी	लखनऊ, उ०प्र०	7905150586
20.	श्री गजेन्द्र गौतम	विपणन प्रकोष्ठ प्रमुख	विदिशा, मध्यप्रदेश	8817578274, 7000759305
21.	श्री अभय माते	सह०बैंक प्रकोष्ठ प्रमुख	पुणे, महाराष्ट्र	9822351901
22.	श्री मुदित वर्मा	प्रमुख, आवास प्रकोष्ठ	लखनऊ, उ०प्र०	9839013888
23.	श्री उमेश पोचप्पन	मत्स्य व्यवसाय प्रकोष्ठ प्रमुख	कन्नूर, केरल	9447283039
24.	डॉ० विवेक ज्योति	विधि प्रकोष्ठ प्रमुख	शिमला, हिमाचल प्रदेश	9418497501
25.	डॉ० यतीश जैन	प्रमुख अभ्यास मण्डल प्रकोष्ठ	जबलपुर, मध्य प्रदेश	9424679131
26.	श्री मंगल जीत राय	दुग्ध संघ प्रकोष्ठ प्रमुख	गंगटोक, सिक्किम	9733033098
27.	श्रीमती शताब्दी पाण्डेय	प्रमुख महिला सहकारिता प्रकोष्ठ	छत्तीसगढ़	9424125243
28.	श्री प्रकाश विलिप	प्रमुख साख संस्था प्रकोष्ठ	गोवा	9822121740
29.	श्री शिव चतुर्वेदी	प्रमुख श्रमिक सह० संस्था प्रकोष्ठ	मध्यप्रदेश	9425141577, 8959591577
30.	श्री शिवनारायण पाटीदार	प्रमुख जिला केन्द्रीय बैंक प्रकोष्ठ	शाजापुर, मध्य प्रदेश	9425492467
31.	श्री पी०आर० मुरलीधरन	प्रमुख कृषि प्रक्रिया संघ प्रकोष्ठ	केरल	9947350196
32.	श्री राजेन्द्र कुमार थानवी	प्रशिक्षण प्रकोष्ठ प्रमुख	राजस्थान	7597216065
33.	श्री सप्तर्षि सिंह राय	प्रमुख बुनकर समिति प्रकोष्ठ	पश्चिम बंगाल	9830034817
34.	श्रीमती भारती भट्ट	प्रमुख उपभोक्ता प्रकोष्ठ	मंगलौर, कर्नाटक	9980830668

सहकार भारती प्रदेश पदाधिकारी (2021-2024)

क्र०सं.	नाम	दायित्व	मोबाइल नम्बर	जिला
1.	श्री नरेन्द्र उपाध्याय	अध्यक्ष	9927924653	एटा
2.	श्री हीरेन्द्र कुमार मिश्रा	उपाध्यक्ष	9415582551	लखनऊ
3.	श्री अरुण कुमार सिंह	उपाध्यक्ष	9412208046, 8630937489	मेरठ
4.	श्री गजेन्द्र अवस्थी	उपाध्यक्ष	9935053162	कानपुर
5.	श्री आसिफ जमाल	उपाध्यक्ष	9415648847	प्रयागराज
6.	श्री अजय राय	उपाध्यक्ष	9415203232	वाराणसी
7.	डॉ० प्रवीण सिंह जादौन	महामंत्री	9450297570	उरई, जालौन
8.	डॉ० अरुण कुमार सिंह	संगठन प्रमुख	9335080656	लखनऊ
9.	श्री अनिल शर्मा	मंत्री	9412547302, 8433234623	बुलंदशहर
10.	श्री ओमवीर सिंह	मंत्री	8171610776, 9012349555	बरेली
11.	श्री महेन्द्र सोनी	मंत्री	9695579761	हमीरपुर
12.	श्री अरविन्द दूबे	मंत्री	9935638116, 7985840822	कानपुर
13.	श्री कृष्ण कुमार ओझा	मंत्री	9235636263	लखनऊ
14.	श्री जितेन्द्र बहादुर सिंह	मंत्री	9839027855, 9555207708	लखनऊ
15.	श्री शिवेन्द्र प्रताप सिंह	कोषाध्यक्ष	9506434111	लखनऊ
16.	श्री देवेश पाण्डेय	विस्तारक	8869999985	लखनऊ
17.	श्री आदर्श श्रीवास्तव	कार्यालय प्रमुख	9372649388	लखनऊ
18.	श्रीमती शारदा सिंह	महिला प्रमुख	9368161642, 9412633218	अमरोहा
19.	श्री अशोक कुमार शुक्ला	सम्पर्क प्रमुख	9415014772	लखनऊ
20.	श्री विवेक राय	मीडिया प्रमुख	8004221313, 7007529655	लखनऊ
21.	श्रीमती मीनाक्षी राय	एसएचजी प्रमुख	7905950779	गोरखपुर
22.	श्री लोकेन्द्र सिंह	प्रमुख, उपभोक्ता प्रकोष्ठ	9756914096	मुरादाबाद
23.	श्री जयवीर सिंह	प्रमुख, पैक्स प्रकोष्ठ	9412538867, 8218798743	रामपुर
24.	श्री कैलाश नाथ निषाद	प्रमुख, मत्स्य प्रकोष्ठ	9415532884, 8887992102	उन्नाव
25.	श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान	प्रमुख, विपणन प्रकोष्ठ	8318398895	लखनऊ
26.	श्री डी०पी० पाठक	प्रमुख, विधि प्रकोष्ठ	9794067798	लखनऊ
27.	श्री धीरेन्द्र वर्मा	प्रमुख, डीसीबी प्रकोष्ठ	9838545141	बाराबंकी
28.	श्री दिनेश दीक्षित	प्रमुख, नगरीय बैंक प्रकोष्ठ	9450169432	बाँदा
29.	श्री जीत सिंह सिरोही	संयोजक, औद्यानिकी प्रकोष्ठ	9456089739, 9058506030	मेरठ
30.	श्री विष्णु दूबे	प्रमुख, श्रम सहकारी प्रकोष्ठ	7376516561	बस्ती
31.	श्री ब्रजेश कुमार सिंह चौहान	प्रमुख, दुग्ध प्रकोष्ठ	9889999979	लखनऊ
32.	श्री नारायण प्रसाद खरे	प्रमुख, वेतनभोगी सहकारी समिति (क्रे०)	9935506589	लखनऊ
33.	श्री प्रताप भान सिंह	प्रमुख, एफपीओ प्रकोष्ठ	8840115481	फतेहपुर
34.	श्री कर्मवीर सिंह	संयोजक, गन्ना प्रकोष्ठ	9456254183, 8126645107	हापुड़
35.	श्री ओम पाल शास्त्री	प्रमुख, आवास प्रकोष्ठ	8218137068	बागपत
36.	श्री जगदीश नारायण भट्ट	प्रमुख, प्रशिक्षण प्रकोष्ठ	8902178796, 9305210256	लखनऊ

आधार स्तंभ



प्रेरणा पुरुष श्रद्धेय स्व० लक्ष्मणराव ईनामदार जी

सहकार भारती उत्तर प्रदेश

पूर्व अध्यक्ष

श्री शिवशरण अस्थाना (2006-2009)	श्री वीरेन्द्र सिंह (2009-2012)	श्री जीत सिंह सिरौही (2012-2015)	स्व० मूलचंद श्रीवास्तव (2015-2018)	श्री रमाशंकर जायसवाल (2018-2021)
------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

पूर्व महामंत्री

श्री शम्भूनाथ मिश्रा (2006-2009)	श्री अजय प्रताप सिंह (2009-2012)	श्री मार्कण्डेय सिंह (2012-2015)	श्री वीरेन्द्र पाण्डेय (2015-2018)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

पूर्व क्षेत्रीय संगठन मंत्री

स्व० मूल चंद श्रीवास्तव (2006-2015)	श्री विवेकानंद दीक्षित (2010-2014)	श्री मार्कण्डेय सिंह (2015-2018)	श्री लक्ष्मणपात्रा (2018-2021)
--	---------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

पूर्व संगठन प्रमुख

श्री राजदत्त पाण्डेय
(2015-2021)

श्रीमती शशि जोशी
(2012-2015)

पूर्व महिला प्रमुख

श्रीमती सुमन शुक्ला
(2015-2018)

श्रीमती मीनाक्षी राय
(2018-2021)

विभाग संयोजक

क्र०सं.	नाम	विभाग	मोबाइल नंबर
1.	श्री अमित दीक्षित	लखनऊ मण्डल	9450389167
2.	श्री विजय कुमार पाण्डेय	आजमगढ़ मण्डल	9452409398, 7080820498
3.	श्री नीरज त्रिपाठी	कानपुर मण्डल	7007827516
4.	श्री दिग्विजय सिंह	बरेली मण्डल	9758888953
5.	श्री अंशुल राठौर	अलीगढ़ मण्डल	8218847726
6.	श्री श्रीनिवास सिंह	गोरखपुर मण्डल	9415823817
7.	श्री सुनील कुमार यादव	बस्ती मण्डल	8874221987
8.	डॉ संदीप सरावगी	झाँसी मण्डल	9415112793
9.	डॉ० वीरेन्द्र प्रकाश	आगरा मण्डल	9758244700
10.	श्री रवि प्रकाश सिंह	देवीपाटन मण्डल	9118364111, 7518907503,
11.	श्री लोक नारायण सिंह	विन्ध्याचल मण्डल	9984874446, 8795828651
12.	श्री राजेश मिश्रा	प्रयागराज मण्डल	7905366812
13.	श्री प्रेम सागर दीक्षित	चित्रकूट मण्डल	9450213540
14.	श्री अजीत कुमार सिंह	मुरादाबाद मण्डल	9412136063
15.	डॉ० ओम प्रकाश त्रिपाठी	अयोध्या मण्डल	8009852579
16.	श्री अखिलेश कुमार सिंह	काशी मण्डल	8887568572, 9415343945,
17.	श्री अभय चौधरी	सहारनपुर मण्डल	9412231373, 8650309015
18.	श्री तारकेश्वर पाराशर	मेरठ मण्डल	8920774651, 9818118444

सहकार भारती उ०प्र० के जिला एवं महानगर अध्यक्ष

क्र०सं०	नाम	जिला	क्र०सं०	नाम	जिला
1	श्री पीयूष मिश्रा	लखनऊ महानगर	45	श्री प्रियांशू त्रिवेदी	औरैया
2	श्री सर्वेश यादव	लखनऊ	46	श्री रामवीर सिंह	फरुखाबाद
3	श्री वेंकटेश्वर पाण्डेय	हरदोई	47	श्री सतीश राय	झाँसी महानगर
4	श्री राजेश अवस्थी	लखीमपुर	48	श्री योगेश त्रिपाठी	झाँसी ग्रामीण
5	श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह	रायबरेली	49	श्री उपेन्द्र सिंह राजावत	जालौन
6	श्री अरविन्द श्रीवास्तव	सीतापुर	50	श्री धर्मसिंह कुशवाहा	ललितपुर
7	श्री अशोक कुमार अवस्थी	उन्नाव	51	श्री श्रवण कुमार त्रिपाठी	चित्रकूट
8	डॉ० अवध कुमार मिश्र	अयोध्या	52	श्री अनिल तिवारी	बाँदा
9	श्री शशि प्रकाश श्रीवास्तव	अम्बेडकरनगर	53	श्री अखिलेन्द्र जी	हमीरपुर
10	श्री अशोक श्रीवास्तव	सुल्तानपुर	54	श्री धनेन्द्र दीक्षित	महोबा
11	श्री कुँवर कौशल	अमेठी	55	श्री विनय चौधरी	मेरठ महानगर
12	श्री मोहन अवस्थी	बहराइच	56	श्री अंकुर चौधरी	मेरठ
13	श्री अजय सिंह	बलरामपुर	57	श्री हरि अंगिरा	बुलंदशहर
14	श्री प्रहलाद सिंह	श्रावस्ती	58	श्री राजकेश शर्मा	गौतम.बुद्धनगर
15	श्री योगेन्द्र तिवारी	गोण्डा	59	श्री अनुराग राय	गाजियाबाद महानगर
16	श्री नूरुल अंसारी	वाराणसी महानगर	60	डॉ० नरेन्द्र कुमार	गाजियाबाद
17	श्री आनंद पाण्डेय	वाराणसी जनपद	61	श्री अजय वीर सिंह	हापुड़
18	श्री संदीप कुमार सिंह	गाजीपुर	62	श्री भूपेन्द्र चौधरी	बागपत
19	श्री कुँवर प्रदीप सिंह	जौनपुर	63	श्री कुलदीप सिंह	मुरादाबाद महानगर
20	श्री अरविन्द सिंह	चंदौली	64	श्री प्रभु सिंह सैनी	मुरादाबाद
21	श्री राघवेन्द्र पाण्डेय	मीरजापुर	65	श्री रनवीर सिंह	अमरोहा
22	श्री कृष्ण कुमार त्रिपाठी	भदोई	66	श्री रामानन्द सिंह	बिजनौर
23	श्री रामेश्वर राय	सोनभद्र	67	श्री विजय त्यागी	सम्भल
24	श्री प्रशांत राय एडवोकेट	प्रयागराज महानगर	68	श्री धर्मवीर यादव	रामपुर
25	श्री अशर्फी सिंह	जिला प्रयागराज	69	श्री अचल कुमार	सहारनपुर
26	श्री धर्मेन्द्र सिंह	फतेहपुर	70	श्री अशोक कुमारसिंह	मुजफ्फर नगर
27	श्री गौरव करवरिया	कौशांबी	71	श्री गुरुलाल	शामली
28	श्री मानवेन्द्र सिंह	प्रतापगढ़	72	श्री वरूण मिश्रा	बरेली महानगर
29	श्री विश्वबंधु गुप्ता	गोरखपुर महानगर	73	श्री कर्मवीर सिंह	बरेली
30	डॉ० श्वेता सिंह	गोरखपुर	74	श्री सुरेन्द्र कुमार	बदायूँ
31	श्री कामेश्वर तिवारी	देवरिया	75	श्री प्रेम सिंह	पीलीभीत
32	श्री त्रिलोक चन्द्र गुप्ता	कुशीनगर	76	श्री रंजीत सिंह चौहान	शाहजहाँपुर महानगर
33	श्री शक्ति देवरत्न पाण्डेय	महाराज गंज	77	श्री सर्वेश कुमार त्रिवेदी	शाहजहाँपुर
34	श्री ओमकार चौधरी	बस्ती	78	डॉ० वेद प्रकाश	आगरा महा.
35	श्री कृष्ण मोहन पाण्डेय	संतकबीर नगर	79	श्री कृष्ण पाल सिंह	आगरा
36	श्री रामाशीष पाठक	सिद्धार्थनगर	80	श्री संतोष कुमार उपाध्याय	फिरोजाबाद
37	श्री अमरजीत वर्मा	आजमगढ़	81	श्री राम कुमार तिवारी	मैनपुरी
38	श्री सनातन पाण्डेय	बलिया	82	श्री रतीश शर्मा	मथुरा महानगर
39	श्री अजय कुमार तिवारी	मऊ	83	श्री जय प्रकाश शर्मा	मथुरा
40	श्री रूकुम पाल सिंह	कानपुर महानगर	84	श्री अभिजीत सिंह	अलीगढ़ महानगर
41	श्री देव नारायण सिंह	कानपुर	85	श्री डॉ०शैलेन्द्र पाल सिंह	अलीगढ़
42	श्री जनमेजय सिंह	कानपुर देहात	86	श्री शैलेन्द्र सिंह सोलंकी	एटा
43	श्री श्यामवीर कठेरिया	इटवा	87	श्री संतोष कुमार सिंह	हाथरस
44	श्री अविनाश कुमार द्विवेदी	कन्नौज	88	श्री ह्रिदेश कुमार सिंह पुण्डीर	कासगंज

प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS) का सशक्तिकरण—डिजिटलीकरण

“सहकारिता एक बड़े आंदोलन का, केवल एक पहलू है, जो सामान्य आर्थिक लक्ष्यों की उपलब्धि की दिशा में एकजुट होने के लिए, व्यक्तिगत साझाकरण की सामान्य आवश्यकताओं के स्वैच्छिक संगठन को बढ़ावा देता है”— श्री वैकुण्ठभाई मेहता, भारतीय सहकारिता आंदोलन के एक प्रमुख नेता

भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए, सहकारिता एक महत्वपूर्ण संस्थान हैं। ग्रामीण सहकारी समितियों ने ऋण और कृषि उत्पादन के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नवगठित सहकारिता मंत्रालय, लाखों किसानों और ग्रामीण आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए, प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों (PACS) को प्रभावी संगठन बनाने तथा सक्षम करने की दिशा में अग्रसर है।

प्राथमिक कृषि साख समितियाँ (PACS) देश में अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना (STCCS) के निर्माण खंड हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, 31 मार्च, 2018 तक, भारत में 6,39,342 गाँवों को कवर करने वाले 95,238 पैक्स हैं। हमारे पास, पूरे देश में लगभग प्रत्येक छह गाँवों के लिए, एक पैक्स है। एक अच्छा नेटवर्क बनाने के बावजूद पैक्स, ग्रामीण आबादी को, सेवाएं प्रदान करने में विफल रही है और पिछड़े विकास को प्रोजेक्ट किया है।

पैक्स, जिला सहकारी बैंकों के वित्त पोषण से वंचित हैं। सूचना प्रणाली का खराब प्रबंधन, पारदर्शिता की कमी, कदाचार, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में शिथिलता, मानव संसाधन और प्रौद्योगिकी के प्रसार की कमी के परिणामस्वरूप, पैक्स का विकास स्थिर रहा है। समिति सदस्यों द्वारा जवाबदेह लोकतांत्रिक प्रथाओं की कमी से, खराब सेवाएं और कम उत्पादकता होती है। हालांकि पैक्स मुख्य रूप से किसानों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, फिर भी पैक्स को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। प्राथमिक सहकारी साख समितियों (पैक्स) को ऋण से लेकर विपणन तक, किसानों की सभी जरूरतों के लिए एकल-खिड़की सुविधा के रूप में, सेवा देने के लिए सशक्त होना चाहिए। उन्हें एक क्रेडिट सोसाइटी से एक बहु-सेवा समिति में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, जो क्रेडिट और सेवाओं के लिए एकल खिड़की के रूप में कार्य कर सके।

वैद्यनाथन समिति ने कर्मचारियों के व्यावसायीकरण, क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी के समावेश जैसे उपायों के माध्यम से, अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना (STCCS) को पुनर्जीवित करने की सिफारिश की। वैद्यनाथन समिति की रिपोर्ट के अनुसार, पैक्स हेतु एक अभिनव मॉडल की आवश्यकता है, जो छोटे पैमाने के किसानों के लिए व्यवहार्य डिजिटल समाधान प्रदान करें। पैक्स के पुनरुद्धार हेतु समिति ने, सरकार के नवीनतम फोकस के अनुरूप पैक्स को एक बहु-सेवा संगठन के रूप में, पुनः उन्मुख करने की भी सिफारिश की, जो विभिन्न कृषि और संबद्ध क्षेत्र की गतिविधियों के साथ सहकारी समितियों को एकीकृत करने का कार्य करें।

पैक्स को बाजार की ताकतों और उपभोक्ता मांग के अनुरूप व्यापार के अवसरों की खोज करने वाले एक आर्थिक उद्यम में होना चाहिए। पैक्स को, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के बराबर मानने का, नव-आह्वान उन्हें अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने और सेवाओं में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगा। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में एफपीओ की सफलता की कहानियां पैक्स को पेशेवर संस्थान के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए, एक प्रकाश स्तंभ के रूप में काम करती हैं, जो सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण स्तर की जरूरतों को पूरा करती हैं।

वित्त पोषण सुविधा 2020 में घोषित कृषि अवसंरचना निधि के तहत, वित्तीय सुविधा की केंद्रीय क्षेत्र योजना, फसल के बाद के प्रबंधन हेतु व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए, एक मध्यम बनेगी। दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा, ब्याज सबवेंशन के माध्यम से, पैक्स को बुनियादी ढांचा प्रदान करेगी और सामुदायिक कृषि संपत्तियां प्रदान करेगी। इस योजना के तहत, बैंक और वित्तीय संस्थान पैक्स, विपणन सहकारी समितियों, एफपीओ आदि को ऋण के रूप में 1 लाख करोड़ रुपये प्रदान करेंगे। पैक्स के लिए, समुदाय हेतु संपत्ति के निर्माण के लिए योजना से लाभान्वित होने के बेहतर वित्तीय प्रस्ताव रखने का समय आ गया है। संवर्धन मूल्य श्रृंखला अवसंरचना और पैक्स के बीच तालमेल से विकास में सुधार होगा और आर्थिक अवसर पैदा होंगे। किसानों के लिए विकल्प बढ़ेंगे और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। पैक्स को फसल के बाद की विपणन गतिविधियों और अन्य सहायक सेवाओं जैसे भंडारण और प्रसंस्करण सुविधाओं के निर्माण, कस्टम हायरिंग सेंटर और इनपुट की सामूहिक खरीद में किसानों का समर्थन करने में सक्षम बनाने का इरादा है।

महाराष्ट्र की स्मार्ट परियोजना ने कोल्हापुर जिले के प्रयाग चिखली पैक्स के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। यह पैक्स 1,008 शेयरधारकों के साथ गुड़ की फसल के उत्पादन में लगा हुआ है और इसकी 600 टन की गोदाम क्षमता है। पैक्स

कृषि-वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला के साथ, अपने गोदाम को एकीकृत करके भी एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है। डिजिटल समावेशन 'सहकारिताओं के बीच सहयोग' के अंतर्निहित सहकारी सिद्धांत का इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) के माध्यम से लाभ उठाया जा सकता है। संचार और भागीदारी पर खर्च में परिवर्तन, जो स्थानीयकृत होने से, कम लागत लाएगा। इस परिवर्तन को डिजिटल समावेशन के माध्यम से दोहराया जा सकता है।

पैक्स किसानों को डिजिटल रूप से समावेशी सुविधाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह डिजिटलाइजेशन बाजार और वित्त तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करेगा, सामाजिक लाभ की सुविधा प्रदान करेगा और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) जैसी कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच प्रदान करेगा। कुछ गांवों में सशक्त और सफल पैक्स की कई कहानियां हैं। प्रत्येक पैक्स को किसान की सभी जरूरतों के लिए – ऋण से लेकर विपणन तक – एकल-खिड़की सुविधा केंद्र के रूप में देखने की आवश्यकता है। ई-नाम, ई-कॉमर्स वेबसाइटों, ई-एनडब्ल्यूआर, फिनटेक, एग्रीटेक और फ्यूचर ट्रेडिंग या डेरिवेटिव मार्केट प्लेटफॉर्म पर डिजिटल मार्केटिंग और लेनदेन को समझने के लिए पैक्स की गहन क्षमता-निर्माण, समय की मांग है।

पैक्स एक माइक्रोफाइनेंस संस्था है जो छोटे और सीमांत किसानों की अल्पकालिक वित्तपोषण आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करती है। ऋण के समय पर प्रावधान से, किसानों को उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिसके परिणामस्वरूप समग्र आर्थिक विकास होगा। पैक्स प्रभावी बहुउद्देश्यीय सोसाइटी के रूप में काम करने के लिए हैं, जो ग्रामीण निवासियों को जमा के रूप में अपने संसाधनों को जुटाने के अलावा, वित्त, कृषि आदानों और उपकरणों, उपभोक्ता वस्तुओं, विपणन सेवाओं और तकनीकी मार्गदर्शन सहित सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करते हैं। इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, क्रेडिट सहकारी समितियों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। पारदर्शिता में सुधार, क्षमता निर्माण, सुशासन और डिजिटल समावेशन के माध्यम से व्यावसायिकता को बढ़ावा देना, पैक्स के पुनरोद्धार की कुछ रणनीतियाँ हो सकती हैं। सदस्यों के निरंतर प्रशिक्षण और कौशल विकास के माध्यम से डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना समय की मांग है। सहकार भारती, इस दिशा में स्वयं प्रयास कर रही है तथा सरकार के इस अभियान में पूर्ण-सहयोग प्रदान करने हेतु कृत संकल्पित हैं।

—डॉ० प्रवीण सिंह जादौन

प्रदेश महामंत्री, सहकार भारती, उ०प्र०

टेली : (सचिव/CEO) 05872-279040 (कार्यालय) 05872-272462

Customer Care No.: 05872-25100

email : ucbho@yahoo.co.in

website: www.lakhimpurucb.org

स्थापित : 1984-85

लखीमपुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि०



LAKHIMPUR-KHERI

लखीमपुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.

प्रधान कार्यालय : आवास विकास कालोनी, खीरी रोड, निकट-एल.आई.सी.,

लखीमपुर-खीरी (उ.प्र.)

(उ.प्र. सहकारी समिति अधिनियम 1965 के अन्तर्गत निबन्धित)

सहकारिता का श्रेष्ठ विचार, चुनौतियाँ और सहकार भारती की भूमिका

सहकार एवं भारतीय संस्कृति

सहकार प्रकृति का नियम है। सहकारिता सृष्टि का मूल है। सहकार हमारा परिवारिक, सामुदायिक संस्कार है। इसलिये सहकारिता पर आधारित अर्थतंत्र अधिक न्यायपूर्ण, सात्विक, स्थाई और पर्यावरण की दृष्टि से नैतिक होगा। सहकारिता हमारे संस्कारों में है। इसे हमने वर्षों पहले कहा था “अयम् निजः परोवेति, गणना लघुचेतसाम्। उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्”। यह मेरा है, यह तेरा है, छोटे मानसिकता वाले सोचते हैं। सारा विश्व एक परिवार है, यह सोच विशाल और उदार हृदय वाले रखते हैं। हजारों वर्षों पहले भारत के मुनियों ने “सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः” का उद्घोष किया है। यही कारण है कि भारत वर्ष का सामान्य परिवार भी अपने घरों में जब कोई भी धार्मिक या सांस्कृतिक कार्य करता है, तो सब मिल कर उद्घोष करते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सहकारिता को महान एवं श्रेष्ठ विचार से परिपूर्ण संस्कृति का वाहक भारत वर्ष के समान विश्व में कोई भी दूसरा देश नहीं है।

मनुष्य की सोच एवं पूर्ति हेतु सक्षम आर्थिक माडल

मनुष्य कि मौलिक सोच है कि वह कभी मरना नहीं चाहता, जीने से कभी भी मन नहीं भरता और साथ ही सुखी जीवन जीना चाहता है। मनुष्य की इसी चाहत की पूर्ति कैसे हो, यक्ष प्रश्न है। विभिन्न विद्वानों, दार्शनिकों, अलग-अलग उपासना पद्धतियाँ, अलग-अलग पंथ एवं शासन प्रणालियाँ हैं, जिन्होंने अपने अपने विचार एवं सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं। मुख्य रूप से सुखमय जीवन जीने के लिये, सम्पत्ति एवं सुख दोनों चाहिए। किन्तु अक्सर देखा गया है कि दोनों अच्छे जोड़ीदार नहीं बन पाते हैं। जहाँ आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये धन आवश्यक है, वहीं सुख के लिये तन, मन, बुद्धि और आत्मा का समन्वय होना जरूरी है। दोनों की पूर्ति हो इसकी व्यवस्था करनी होगी। कौन सा आर्थिक मॉडल इसकी पूर्ति करने में सक्षम है। यद्यपि अर्थशास्त्र में बाजार की अर्थव्यवस्था पर बल दिया जाता है। औद्योगिक क्रान्ति की शुरुआत, पूँजीवाद से हुयी और साथ ही मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था नीति का भी उदय हुआ कि इस नीति से सामाजिक कल्याण संभव होगा। परन्तु अनुभव यह बताता है कि इस नीति ने शोषण की मानसिकता को ही बल दिया है। इसके विपरीत मार्क्सवादी सोच है कि बाजार और अर्थव्यवस्था को पूर्णतया नियमो एवं विनियमों से संचालित किया जा सकता है। परन्तु साम्यवादी राष्ट्रों के अनुभवों में देखते हैं कि सोवियत रूस व उसके मित्र राष्ट्रों के बिखराव के साथ ही समाजवाद ने अपना अर्थ ही खो दिया है। आज चीन पूर्णतया साम्यवादी नीतियों पर नहीं बल्कि मुक्त बाजार व्यवस्था के निकट पहुँच गया है।

विगत सैकड़ों वर्षों से विकास कैसा हो, इसके लिये कौन सा माडल उचित है, इस पर विचार चल रहा है। वर्तमान में हमारे सामने कई विकास माडल हैं, परन्तु फिर भी मानवता से जुड़े प्रश्नों का उत्तर अभी भी अपेक्षित है। यानि मनुष्य की सुखमय जीवन जीने की कामना—पूर्ति पूँजीवादी एवं साम्यवादी अर्थव्यवस्था से सम्भव नहीं हैं। साम्यवाद और पूँजीवाद ने गरीबों को मृत प्राय अवस्था में लाकर छोड़ दिया। मानव का जीवन सुख समृद्धि एवं मंगलमय हो, इस प्रश्न का उत्तर भारतीय जीवन पद्धति में मिला “सहकारिता” यानि सहकारिता का तत्वज्ञान उचित रहेगा। सहकारिता एक ऐसा भावतत्व है जिसके मूल में सम्यक विकास और समान अवसर ही सहकार का मंत्र है। “सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः” इस मंत्र को प्रत्यक्ष रूप में लाने का एक मात्र रास्ता है सहकारिता। मानव के संपूर्ण विकास को नाप सके, यह स्वभाविक एवं जनप्रिय सहकारिता पद्धति से संभव है। मानव के सुखमय जीवन जीने की कामना की पूर्ति सहकारिता आधारित विकास माडल से ही सम्भव है। इस मॉडल की प्रमुख विशेषताएँ निम्न हैं—

1. **प्रकृति मेरी माँ:** — विकास की अंधी दौड़ में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने वाली सोच ने, प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक संग्रह को प्रोत्साहन दिया। इसके विपरीत सहकारिता की भारतीय संस्कृति के माडल में प्रकृति के साथ सहअस्तित्व, सामंजस्य व सहृदयता को प्रमुखता दी गयी है। जिस प्रकार बच्चा माँ के स्तन से उतना ही दूध का पान करता है, जितना उसको आवश्यक है। इस प्रकार प्राकृतिक साधनों का आवश्यक एवं उचित उपयोग में, ऐसा सामंजस्य हो जिससे दोनों का अस्तित्व बना रहे।
2. **नैतिकता आधारित विकास:**— इसके अन्तर्गत सभी क्रिया कलापों जैसे आय आर्जित करना, उपभोग करना सभी नैतिकता पर आधारित होना चाहिए। इसी को हमारे ऋषि मुनियों ने धर्म की संज्ञा दी है। अर्थशास्त्र में नैतिकता का कोई माप या स्थान नहीं है। यही कारण है कि एनकेन प्रकारेण धन कमाने की होड़ ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है।
3. **एकात्म मानववाद दृष्टिकोण:**— इस भारतीय संस्कृति आधारित सहकारिता पद्धति की मान्यता है कि पूरे विश्व में सभी

प्राणियों में एक ही चेतना है “सिया राम मय सब जग जानी” यानि सृष्टि के कण-कण में भगवान विराजमान हैं। आत्मा परमात्मा का अंश है। कहीं न कहीं एक चेतना के एकता के सूत्र में हम लोग बंधे हुए हैं। व्यक्ति, परिवार, समाज, विश्व एक दूसरे से अलग नहीं अपितु एक ही चेतना के विभिन्न स्वरूप हैं।

- 4. समग्र राष्ट्रीय सुख सूचक बनाना उद्देश्यः—** अर्थव्यवस्था को मापने का सूचक जी0डी0पी0 के रूप में प्रचलित हैं। इसकी गणना में सामाजिक कल्याण, प्राकृतिक शोषण और अपरोक्ष घटक जैसे—सुख, खुशी को सम्मिलित नहीं किया जाता है। जबकि मानव के जीवन का उद्देश्य, सुख को पाना है जो कि भौतिक सुख व सम्पत्ति से परे है। इसलिए राष्ट्रीय प्रगति एवं सामाजिक आर्थिक विकास को मापने का सूचक “समग्र राष्ट्रीय सुख” (ग्रास नेशनल हैपिनेस) अर्थात जी0एन0एच0 को बनाना है। जी0एन0एच0 बौद्ध दर्शन के आध्यात्मिक व सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित है। चारित्रिक व नैतिक मूल्यों को ही सुख का आधार माना जाता है।

सहकारिता आन्दोलन—सहकारिता भारत में काफी पुरानी है। ऋग्वेद में भी सहकारिता का मंत्र है जिसे संगठन मंत्र के रूप में हम उच्चारित करते हैं। सहकारिता कानून के द्वारा भारत वर्ष में पहली बार 1904 में लागू की गयी। 1919 में सहकारिता का विषय प्रान्तों के अधिकार क्षेत्र में आया। सहकारिता माडल, मानव के जीवन का उद्देश्य सुखमय जीवन जीने की कामना को, भारत वर्ष में पूर्ण करेगी। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभिन्न सहकारी संस्थाओं का गठन किया गया। सहकारिता के गुणों को व्यावहारिक रूप देने के लिए सहकारी सिद्धान्तों को इण्टरनेशनल कोऑपरेटिव अलायन्स (आई0सी0ए0) ने जिनेवा में पुर्न परिभाषित किया है।

सहकारिता के सिद्धान्त—1. स्वैच्छिक एवं खुली सदस्यता 2. लोकतांत्रिक प्रबन्ध 3. सदस्यों की आर्थिक भागीदारी 4. स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता 5. शिक्षण—प्रशिक्षण और सूचना 6. सहकारी समितियों में परस्पर सहयोग 7. समुदाय के प्रति निष्ठा।

उक्त सिद्धान्तों का पालन सभी सहकारी समितियों में होना चाहिए। इन सिद्धान्तों को स्वीकारने का अर्थ है कि कुछ तत्वों को आचरण में लाना। जैसे— 1. परस्पर सहयोग से स्वयं की सहायता 2. आर्थिक व्यवहार में पारदर्शिता 3. सादगी एवं बचत 4. इमानदारी पूर्ण व्यवहार 5. राजनैतिक एवं पांथिक अलिप्तता 6. सेवा, क्षमता एवं एकता 7. मर्यादित दायित्व। सहकारिता से जनकल्याण होगा, इसीलिए सरकार के द्वारा कई प्रकार की सहकारी संस्थाएं ग्राम से लेकर केन्द्रीय स्तर तक बनायी गयी।

चुनौतियाँः—सहकारिता का माडल समग्र राष्ट्रीय सुख (जी0एन0एच0) के सूचक हेतु सफल होगा, ऐसी मान्यता के साथ प्रारम्भ हुआ। सहकारिता आन्दोलन वर्तमान में ऊपर दिये गये सहकारिता के सिद्धान्तों के पालन में असफल साबित हो रहा है। संस्थाओं में जिन तत्वों को, आचरण एवं व्यवहार में होना चाहिए, उसका सर्वथा अभाव देखने को मिल रहा है। विशेष कर यदि उत्तर प्रदेश में सहकारिता की दशा एवं दिशा पर दृष्टि डालें तो, विगत 35–40 वर्षों से लगातार गिरावट दिखाई देती है।

यदि विन्दुवार इन चुनौतियों को चिन्हित करें, तो निम्न चिन्ह हम सबके सामने स्पष्ट रूप से दिखायी पड़ता है—

1. जनकल्याण को देखते हुये सरकार द्वारा ग्राम से लेकर केन्द्रीय स्तर तक बनायी गयी, सहकारी संस्थाओं पर सहकारी निबन्धक ही सर्वेसर्वा हो गया। सहकारी संस्था, सरकारी संस्थाएं बन गयी।
2. राजनैतिक हस्तक्षेप बढ़ गया। दलीय राजनीति के चलते, जिस पार्टी की सरकार सत्ता में होती हैं, वह एन केन प्रकारेण पूरी सहकारी संस्थानों पर कब्जा करने का प्रयास करती है।
3. परिवारवाद का बोल बाला। विगत 25 वर्षों से देखा गया कि कुछ ही परिवार के लोग सभी महत्वपूर्ण सहकारी संस्थानों में कब्जा जमाए रहे।
4. राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग का प्रभावी नहीं होना। सहकारिता का चुनाव सामान्य सहकारी जनों के अधिकार को संरक्षित करने में अक्षम साबित हो रहा है।
5. स्वैच्छिक एवं खुली सदस्यता के सिद्धान्त का पालन, व्यावहारिक रूप में नहीं हो रहा। बोर्ड के अध्यक्ष, सचिव तथा सरकार का एकाधिकार होता है।
6. लोकतांत्रिक प्रबन्ध की कमी।
7. समिति संचालन की सबसे बड़ी चुनौती, कुशल एवं व्यावसायिक प्रबन्धन की कमी हैं।
8. साठ प्रतिशत समितियों में योग्य एवं कुशल सचिव, कर्मचारी नहीं है। एक सचिव चार—पांच समितियों का कार्य देख रहे है।
9. आर्थिक व्यवहार में पारदर्शिता की कमी है, तकनीकी का प्रयोग कर लेखा—जोखा में पारदर्शिता लाना चाहिये।
10. इमानदारी पूर्ण व्यवहार नहीं होना तथा सर्वत्र स्वार्थी लोगों का एवं भ्रष्टाचार का बोल—बाला होना।
11. सामाजिक दायित्व में कमी के कारण, समाज हित के कार्य नहीं हो रहे हैं।

सहकार भारती की भूमिका

सहकार, जो मानवीय जीवन का अभिन्न अंग है। जिसका संस्कार 'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया' है। इसी मंत्र को प्रत्यक्ष अपने जीवन में आत्मसात करने का एकमेव मार्ग सहकार ही है। परन्तु दुर्भाग्य वश भारत में सहकार का अर्थ कुछ लोगों ने "स्वाहाकार" कर दिया। सहकार के पीछे की भावना का लोप हो गया। इन्हीं कारणों के दृष्टिगत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक मा० श्रद्धेय लक्ष्मण राव ईनामदार जी (वकील साहब) "सहकार भारती" नामक संस्था स्थापना के प्रेरणस्रोत बनें। 11 जनवरी 1979 में बोया बीज "सहकार भारती" वटवृक्ष बन, सम्पूर्ण भारत वर्ष में कार्यरत है। सहकारिता के क्षेत्र में आयी गिरावट जिसका उल्लेख पूर्व में चुनौतियों के रूप में किया गया है। उक्त सम्बन्ध में श्रद्धेय लक्ष्मण राव ईनामदार जी का मानना था कि कोई भी नियम, कोई भी कानून, कोई भी संविधान खराब नहीं होता है। उसका क्रियान्वयन करने वाला, उस पद पर बैठा व्यक्ति खराब होता है उसका आचरण, व्यवहार, नैतिकता और शिक्षा का अभाव उस संस्था को हानि पहुँचाता है। यही कारण था कि उन्होंने सहकार भारती की स्थापना के साथ ही कार्यकर्ताओं को एक ध्येय वाक्य एवं मंत्र भी दिया कि **बिना संस्कार नहीं सहकार, बिना सहकार नहीं उद्धार**। सहकारिता की जड़ें मजबूत हो, इसलिये सभासदों को शिक्षा एवं समाज के लिये सहकारिता महत्वपूर्ण है। उनका कहना था कि सहकार भारती जैसी संस्थाओं और सहकारी समितियों में प्रबन्धन प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जाए। सहकारिता को जन आन्दोलन बनाने में सहकार भारती का महत्वपूर्ण योगदान होगा। सहकार भारती सहकारिता के क्षेत्र में शुद्धि, वृद्धि और समृद्धि का सकल्प लेकर कार्य करने वाला एकमात्र राष्ट्रीय स्तर का संगठन है।

वर्तमान में सहकारिता क्षेत्र में, हमारे सामने प्रबन्धन, संचालन एवं चुनाव आदि से सम्बन्धित चुनौतियाँ हैं। उसका समाधान करने हेतु हम सहकार भारती के कार्यकर्ता अपने-अपने प्रदेशों में संघर्ष करें किन्तु यह भी आवश्यक है कि स्व० लक्ष्मण राव ईनामदार जी के मूलमंत्र **बिना संस्कार नहीं सहकार बिना सहकार नहीं उद्धार** को आत्मसात कर आगे बढ़ना होगा। संगठन को मजबूत करके ही शासन, सरकार और भ्रष्टाचारियों के गठ जोड़ को परास्त करते हुए सच्ची एवं सैद्धान्तिक सहकारिता को स्थापित किया जा सकता है। तभी **सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया** सम्भव होगा और समाज के गरीब और मध्यमवर्गीय लोग, जो लगभग जनसंख्या का 75-80 प्रतिशत हैं, उनके लिये सहकारी संरचना उपयोगी सिद्ध होगी। तभी विकास का यह माडल, मूल्य आधारित समाजिक आर्थिक व्यवस्था देने में सफल होगा।

—डा. अरुण कुमार सिंह

प्रदेश संगठन प्रमुख
सहकार भारती उत्तर प्रदेश

**उत्तर प्रदेश सहकार भारती की प्रदेश कार्यकारिणी
के सभी सम्मानित सदस्यों एवं पदाधिकारियों का
हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन**

**श्रेष्ठ एवं निर्यात किस्म चावल के
प्रॉसेसर एवं ट्रेडर्स
मे० श्री महेश इण्डस्ट्रीज
गौरीगंज, अमेठी**

प्रो०-श्री गिरिजाशंकर सिंह
मो.नं.-9415136337



सहकारिता के नए आयाम

मान्यवर प्रधानमंत्री श्रीमान नरेन्द्र मोदी जी, द्वारा "सहकारिता से समृद्धि" मंत्रीय उद्घोष के साथ सहकारिता को भारतीय अर्थतंत्र का अहम् हिस्सा एवं 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की दूरदर्शी सोच के साथ स्वतंत्र भारत का नया दूरदर्शी आगाज है। सहकारिता आन्दोलन देश के स्थायी आर्थिक विकास का एक मजबूत व कारगर साधन मानते हुए केंद्र सरकार ने पृथक एवं स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय के गठन की न केवल घोषणा की, बल्कि पृथक सहकारिता मंत्रालय का गठन करके एक दृढ़, इच्छा शक्ति व संकल्प को साकार किया है।

वर्तमान में हमारे राजनीतिज्ञ एवं योजनाकारों द्वारा "सहकारिता" को मध्यम एवं निम्न वर्ग के लोगों की आय बढ़ोत्तरी के साथ-साथ टिकाऊ आर्थिक विकास और राष्ट्रीय आय में बढ़ोत्तरी के साथ-साथ टिकाऊ आर्थिक विकास और राष्ट्रीय आय में बढ़ोत्तरी हेतु एक कारगर हथियार के रूप में देखा जा रहा है "हर कदम, हर डगर सहकारिता की ओर" के उद्घोष में परिलक्षित हो रहा है।

देश में सहकारिता का करीब 125 साल पुराना विचार और संस्कार है लेकिन किसी भी गतिविधि में अगर परिवेशीय बदलाव नहीं होंगे तो एक अवरोध वाली स्थिति सामने होती है? अतः परिवेशीय परिवर्तन व सुधारों की नितान्त आवश्यकता है, **Start up, O.D.O.P.** जैसी भारत सरकार की योजनायें नए परिवेशीय सोच की हो सकती हैं, किन्तु देखा जाए तो ये योजनायें 'सहकारिता आन्दोलन' के गर्भ में धारित तो हैं, किन्तु प्रसव पीड़ा की अनदेखी की गई। अतः नई योजनायें व नयी रणनीति को पूर्व में कार्यरत ढाँचे **Infrastructure** को एक नई संभावनाओं के रूप में भी देखा जा सकता है उदाहरणस्वरूप 'डाक विभाग' भारत सरकार का विभाग को प्रदेश में 14,553 डाकघरों को **"Common Service Centre"** के रूप में विकसित करके मूल कार्यों के साथ आज रेल टिकट वितरण की व्यवस्था की गयी हैं, डाकघर को वृहद नेटवर्क की क्षमता को देखते हुए भारत सरकार की 'सुकन्या समृद्धि' योजना का दायित्व निर्वहन करते हुए वर्ष 20-21 में चार लाख से अधिक सुकन्या समृद्धि खाते खोलकर डाक विभाग द्वारा नया कीर्तिमान स्थापित किया गया इसके अलावा सर्विस डिलीवरी व महिला स्वयं सहायता समूह, बुनकरों आदिवासियों, स्थानीय कारीगरों के उत्पादों को देश के प्रत्येक कोने तक पहुंचाने का दायित्वों का निर्वहन करते हुए विभाग को अतिरिक्त लाभ प्रदान की भूमिका निभा रहा है इस भूमिका को सहकारिता विभाग द्वारा भी नई संभावनाओं के रूप में देखा जा सकता है।

एक अन्य संभावना के रूप में

वर्तमान संचार क्रान्ति परिवेश में इंसान का एक डाटा (आंकड़ा) में परिवर्तित हो जाना अपने समय की सबसे विलक्षण घटना है और आज इससे मूल्यवान, मानवीय स्तर व शासकीय स्तर पर, कोई चीज नहीं है। डाटा ही वह ईंधन है, जो अनगिनत कम्पनियों व उद्योगों को आण्विक उर्जा प्रदत्त कर रहा है वर्ष 2020 में फेसबुक ने लगभग 86 अरब डॉलर और गूगल ने 181 अरब डॉलर डाटा क्रांति से लाभ उठाया। सहकारिता विभाग के **Zero ground Network** का उपयोग भी इस दिशा में भी नयी संभावनाओं को तलाशा जा सकता है। बिना किसी अतिरिक्त निवेशों के, बस जरूरत है सिर्फ नई दृढ़ इच्छा शक्ति की ताकि सहकारिता आन्दोलन की **Efficiency** (क्षमता) व **Efficacy** (उपादेयता) की नयी पारिवेशिक पहचान सुनिश्चित करने की। 'सुधार' अपने स्वभाव से हमेशा प्रतिक्रियात्मक होता है किन्तु जरूरत है इसे प्रक्रियागत करने की, शीघ्र स्तर से मनोयोग से उक्त सुझावों पर व्यापक चर्चा-परिचर्चा की ताकि 'सहकारिता आन्दोलन' को एक नयी दिशा व दशा में परिवर्तित किया जा सके। बेशक हमारी सहकारी संस्थाओं द्वारा अपनी कुशल प्रबंधन क्षमता एवं उर्ध्वगामी सोच से राष्ट्रीय स्तर व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान व अलग व्यवसायिक मुकाम प्राप्त किया है। क्या इस कुशल प्रबंधन व उर्ध्वगामी सोच का उपयोग समग्रता में सहकारिता आन्दोलन को नया आयाम देने में नहीं किया जा सकता है? संवैधानिक लक्ष्य **"welfare state"** की अवधारणा का साकार रूप देने में सहकारिता आन्दोलन एक सशक्त माध्यम के रूप में एक कारगर हथियार के रूप में उपयोगी सिद्ध हो सकता है तथा देश के लाखों-करोड़ों जन सामान्य की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए उनके आर्थिक उन्नयन को फलीभूत कर सकता है।

सहकारिता आन्दोलन का एक छिपा हुआ पहलू जिसे अभी तक महसूस नहीं किया गया है वो है कि सहकारिता एक "स्थानीय उत्तरदायित्व" (**Local responsibility**) के सिद्धांत पर कार्य करता है और **Local Responsibility** का सिद्धांत किसी भी **development** को **sustain** कर सकता है अतः **Local Responsibility theory** को शासकीय व प्रशासकीय स्तर से **Promote** करने की आवश्यकता है इसके लिए सहकारिता आन्दोलन में 'जन-भागीदारी' बढ़ाने की युद्ध स्तर में प्रयास किये जाये, **Local responsibility** को साकार रूप में तभी ला सकते हैं जब समाज के सभी वर्गों की अर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक भागीदारी सुनिश्चित की जाये, और प्रभावी भागीदारी तभी सुनिश्चित हो पायेगी जबकि समिति के प्रत्येक सदस्य की "आर्थिक हिस्सेदारी" को समिति स्तर पर किये व्यवसाय के 'शुद्ध लाभ' स्तर तक, सुनिश्चित किया जाये। जन-सहकारिता वृद्धि की दिशा में उक्त कदम एक मील का पत्थर साबित हो सकता है 'सहकारिता आन्दोलन' को पूर्ण रूप में

सफल बनाना है तो **Local Responsibility therapy** को लक्ष्य बनाकर एवं जन भागीदारी के लिए एक कारगर कार्ययोजना बनाकर सदस्यों की आर्थिक हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाये।

वर्तमान के सहकारिता आन्दोलन में एक प्रभावी कार्ययोजना के अभाव की वजह से यह देखा जा रहा है कि देश की लगभग आधी आबादी “महिलाओं की भागीदारी” इन 125 वर्षों में लगभग नगण्य है, इस भागीदारी को प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।

हमारी **PACS** ज्यादातर ग्रामीण स्तर पर कार्यरत है स्वाभाविक रूप से सदस्य भी हमारी ग्रामीण जन व किसान है किन्तु विभागीय स्तर से ऐसी कोई कार्ययोजना नहीं तय की जाती ताकि ग्रामीण जन व किसानों को भी **PACS** के प्रति सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता स्वयं महसूस करें। जबकि केंद्र सरकार व राज्य सरकार की बहुत सारी हितकारी योजनाओं से वंचित समाज को **PACS** स्तर से जानकारी उपलब्ध करायी जा सकती है उदाहरणस्वरूप भारत सरकार का उपक्रम **Central Institute of Medicinal & Aromatic Plants (CIMAP)** किसानों के हितवर्धन के लिए नये-नये अपने शोध परक कार्यों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है जिससे किसानों के आर्थिक लाभ में वृद्धि हो रही है। सहकारिता विभाग द्वारा अपने **PACS** के माध्यम से इस कार्य को **CIMAP** से **coordination** कर एक रचनात्मक दशा व दिशा दे सकता है, इसी तरह के किसानों व ग्रामीण जनों से सम्बन्धित लाभकारी अन्य सरकारी कार्ययोजनाओं के सन्दर्भ में सहकारिता विभाग **coordination** के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका में आ सकता है।

अतः निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि सहकारिता आन्दोलन को **sustain development** की नयी परिवेशिक आवश्यकता हेतु कारगर बनाने के लिए **PACS** को आधुनिकीकरण करते हुए भारत सरकार व राज्य सरकार के कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का दायित्व एवं डाटा सेंटर व हेल्प डेस्क के रूप में तथा खेती सम्बन्धी नये शोधों व प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमों को जन-सामान्य तक पहुँचाने में एक कारगर भूमिका “कॉमन सर्विस सेंटर” के रूप में विकसित कर सहकारिता आन्दोलन को एक नया परिवेशिक आयाम दिया जा सकता है।

दिनेश कुमार सचान
अति जिला सहकारी अधिकारी
सहकारिता मुख्यालय, लखनऊ

कृष्ण कुमार ओझा
प्रदेश मंत्री, सहकारी भारती
उत्तर प्रदेश

“विश्वमंगलम्-वसुधैव कुटुम्बकम्”

“बुन्देल अमृतम्”

सात्विक खाद्य उत्पाद

“शुद्धता खेत खलिहान से रसोई तक”

गौ आधारित प्राकृतिक यौगिक खेती

बाबा विश्वनाथ गौ विज्ञान केन्द्र निवादा, हमीरपुर एवं

हिण्टरलैण्ड आर्गेनिक्स प्रा० लि०

नजरपुर हमीरपुर

व

तोमर कस्ट्रक्शन, राठ हमीरपुर

डा० देवसिंह
नजरपुर, हमीरपुर

बलवन्त सिंह उर्फ गुड्डू सिंह
लोदीपुर निवादा, हमीरपुर

प्रमोद सिंह तोमर,
राठ, हमीरपुर

सहकारिता, भूमिका और महत्व—एक स्कोट विश्लेषण

सहकारिता शब्द के कई अर्थ हैं लेकिन आम बोलचाल में इसका अर्थ एक साथ काम करना, एक साथ रहना और सोचना है। भारतीय सामाजिक एवं आर्थिक संदर्भ में इसकी परिभाषा 'एक संगठन जिसमें समानता के आधार पर, लोग स्वेच्छा से एक दूसरे के साथ मानवीय रूप में जुड़ते हैं तथा आपसी सामाजिक एवं आर्थिक रुचियों के अनुसार व्यवसायिक किया कलाप करते हैं'।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार सहकारी समिति व्यक्तियों का एक संघ है, जो अपने सामान्य गतिविधियों के लिए एकत्रित होते हैं और लोकतांत्रिक विचारधाराओं पर स्वेच्छा से एक साथ काम करते हैं। इस परिभाषा के अनुसार सहकारिता अभियान में व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी सामान्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एकजुट होते हैं और एक संयुक्त स्वामित्व और लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित उद्यम के माध्यम से आकांक्षाएं पूर्ण करते हैं।

सहकारी संगठन के सदस्य नैतिक मूल्यों के साथ ईमानदारी, पारदर्शी, सामाजिक जिम्मेदारी और दूसरों की देखभाल करते हैं। सहकारी समिति उद्यम अपने स्वामित्व, नियंत्रण, मुनाफे के वितरण, सामाजिक एवं आर्थिक मूल्यों की समानता, हिस्सेदारी में एकजुटता और सामाजिक कार्यों का वहन करते हैं।

क्षेत्रीय असंतुलन और सहकारी समितियों का विकास

देश में सहकारिता आन्दोलन में वृद्धि और विकास हुआ जिसकी विभिन्न सरकारी समितियों द्वारा समय-समय पर समीक्षा की गई और इसे सशक्त करने के उपाय किए गए। राष्ट्र के विकास में असंतुलन न हो अतः सोसायटी एक्ट 1919 में सहकारिता एक राज्य विषय बनाया गया जिसके फलस्वरूप सभी राज्यों द्वारा अपना सहकारी अधिनियम बनाया गया।

इस देश में सहकारिता आंदोलन सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया गया। किन्तु जहां सहकारी इक्विटी अधिक थी वहां आन्दोलन का विकास नहीं हुआ। सरकारी स्वायत्ता के अभाव में, सहकारी समितियाँ व्यवसायिकता विकसित नहीं कर सकीं तथा पेशेवर जनशक्ति सेवाओं को सूचीबद्ध भी नहीं कर सकीं। सरकारों द्वारा अपनी योजनाओं को सहकारिता के माध्यम से लागू करने के लिये जो व्यावहारिकता प्राप्त करनी चाहिए थी, सहकारिता उन कार्यों को पूर्ण रूप से नहीं कर सकी।

मत्स्य पालन, वन, श्रम, खेत के लिए जमीनी स्तर पर सहकारी समितियों का भी गठन किया गया तथा ग्रामीण व्यवस्था को संगठित करने के लिए वानिकी, मुर्गी पालन, बुनकर, हथकरघा, हस्तशिल्प और सिंचाई इत्यादि का विकास ग्रामीण सामुदायिक स्तर पर हुआ।

शिक्षा और शिक्षण नेटवर्क का सहकारी समितियों द्वारा संचालन होने के फलस्वरूप, ग्रामीण लोगों का ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन रोकने में मदद मिली है शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। कृषि फसल उत्पादन में, कृषि विविधीकरण रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का प्रभावी उपयोग से भूमि की उर्वरता बढ़ी है तथा किसानों को बेहतर कीमतों के लिये उनका उत्पाद राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचा है तथा किसानों में सम्पन्नता भी आयी है।

सहकारी समितियों के वर्तमान आकार और नेटवर्क को देखते हुए, उनका वृहद योगदान होना चाहिए किन्तु यह इच्छित नहीं रहा। सीमित संसाधन, ढांचागत सुविधाओं की कमी और व्यावसायिकता की कमी, आधुनिकीकरण और तकनीकी स्थानांतरण, सिस्टम की जानकारी न होना इसका प्रमुख कारण रहे।

सहकारी बैंकिंग

राज्य सहकारी बैंक (एस0सी0बी0) प्रत्येक प्रदेश में एक सर्वोच्च सहकारी संगठन होता है, जो राज्य स्तर पर कृषि ऋण (लघु और मध्यम अवधि) प्रदान करता है। यह अनुसूचित बैंकों के रूप में वर्गीकृत है, अतः अन्य बैंकों की तरह सभी प्रकार का व्यवसाय करता है। वर्तमान में 29 राज्य सहकारी बैंक हैं, जो अपनी 880 शाखाओं के माध्यम से कार्य करते हैं।

इन बैंकों द्वारा अधिकांशतः नाबार्ड से उधार लिया जाता है, जो कि मार्च 2002 के अंत तक डीसीसीबी से कुल उधार का 87 प्रतिशत हिस्सा था। शेष राज्य सरकारों से आता है और आंशिक रूप से वाणिज्यिक बैंकों से प्राप्त होता है।

सहकारिता मंत्रालय की भूमिका

जुलाई 2021 को "सहकार से समृद्धि" के उद्देश्य से एक नया मंत्रालय बनाया गया। देश में सहकारी अभियान को प्रगाढ़ करने के लिये सहकारिता के माध्यम से समृद्धि को आर्थिक मॉडल के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। पूर्व में यह कृषि मंत्रालय का हिस्सा था। अतः अब अलग मंत्रालय होने से सरकार सहकारिता पर पूर्ण ध्यान देगी।

सहकारिता मंत्रालय का महत्व

सहकारिता मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य सहकारिता अभियान को गति प्रदान करना, कानूनी और नीति रूपरेखा तैयार कर, सहकारिता अभियान को जन-जन तक पहुंचाना है। यह मंत्रालय सहकारिता के दीर्घकालीन उद्देश्यों को तय करेगा तथा नीति निर्माण करेगा और अभियान का मार्गदर्शन भी करेगा। इसका बजट आवंटन रु. 247 करोड़ निर्धारित किया गया है।

स्वोट विश्लेषण (महत्व और व्याख्या)

स्वोट विश्लेषण एक ऐसी विधा है जिससे किसी संगठन के शक्ति, कमजोरी, अवसर और कठिनाई का तुलनात्मक वर्णन करती है। साथ ही यह उक्त का मूल्यांकन (बाह्य एवं आंतरिक) करने में, प्रबन्धकों एवं संचालकों की सहायता करती है। संगठन में खतरों का पता लगाने, उनसे बचने, समय पर अवसरों का उपयोग करने तथा विभिन्न प्रकार की युक्ति बनाने में इस विधा का उपयोग किया जाता है।

1. **शक्ति**— शक्ति खंड उन मजबूत गुणों को संदर्भित करता है, जो संगठन के पास पहले से ही है।
2. **कमजोरियां**— यदि संगठन अपने व्यावसायिक लक्ष्यों को पूरा करने में विफल हो रहा है और इसमें गैर निष्पादित खण्ड प्रभावी हो रहे हैं तो प्रबन्धकों एवं संचालकों के लिये यह संकेत देता है।
3. **अवसर**— अवसर खंड उन क्षेत्रों की पहचान करता है जहां संगठन के पास वृद्धि की संभावना है या बाजार में नए अवसरों का लाभ उठा सकते हैं।
4. **कठिनाई**— संगठन में कठिनाई (खतरा) उन कारकों को सूचीबद्ध करता है जो मुख्य रूप से नियंत्रण के बाहर होते हैं और अगर इससे ठीक से पहचाना और संशोधित नहीं किया जाता है, तो वे गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं।

व्यवसाय कारकों का स्वोट विश्लेषण

याद रखें कि ताकत और कमजोरियां ऐसे कारक हैं जो सहकारी संगठनों के लिए आंतरिक हैं। जबकि अवसर और खतरे ऐसे क्षेत्र हैं जो बाहरी और परावर्तक हैं तथा व्यापारिक वातावरण में इसे प्रबन्धक अथवा संचालक द्वारा अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर संबोधित किया जाता है। अतः यह आवश्यक है कि सहकारी संगठन अपनी शक्ति, कमजोरियां अवसर, कठिनाईयों को सम्यक रूप से लगातार विश्लेषण करता रहे, जिससे संगठन का संचालन लाभ के रूप में होता रहे।

उपरोक्त विवरण को ध्यान में रखते हुए सरकारी संगठनों को स्वोट अनालिसिस की विधा को गम्भीर रूप से विचार किया जाना चाहिए तथा समय समय पर प्रचलित सहकारी सुधारों के द्वारा संगठनों में दक्षता और उत्पादकता में सुधार किया जाना चाहिए। ग्रामीण ऋण वितरण प्रणाली पारदर्शिता के साथ उत्पादक क्षेत्रों में बढ़ावा देकर सहकारी संगठनों को प्रतिस्पर्धी बनाया जाना चाहिए जिससे सहकारी संगठन, स्वस्थ व्यवसाय संचालन में पारदर्शिता, संस्थागत निर्माण तथा सहकारी क्षेत्र को मजबूत बनाकर राष्ट्र निर्माण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करना चाहिए।

—डा० रामकमल प्रसाद प्रजापति

असो० प्रोफेसर, आई०सी०सी०एम०आर०टी०,
लखनऊ

निबंधन संख्या-1/14-01-1989

जिला सहकारी फेडरेशन लि० मऊ

विकास मल्ल
सभापति

अमलेन्द्र राय
सचिव

पी०डी०एस० — 44.64 लाख, उर्वरक व्यवसाय—192.97 लाख तथा मूल्य समर्थन योजना 449.74 लाख कुल व्यवसाय 687.35 लाख
संस्था द्वारा वर्ष 2021-22 में संकलित लाभ 40.21 लाख वर्ष 2022-23 तक लक्ष्य 1 करोड 45 लाख के सापेक्ष

फेडरेशन द्वारा जनपद में (13) तेरह सार्वजनिक वितरण प्रणाली, (10) दस उर्वरक विक्रय केन्द्र व (3) तीन गेहूँ/धान क्रय केन्द्र संस्था द्वारा संचालित किये जा रहे हैं।

सिद्धार्थ हरीश (अधिवक्ता)

139, एल्डिको ग्रीन, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (उ०प्र०)

मो०नं० 9918901100



सहकारिता से स्वावलम्बन

स्वावलम्बन का भावार्थ स्वयं में सामर्थ्यवान से होता है। आर्थिक रूप से समस्त स्वावलम्बी समाज की स्थापना की परिकल्पना सहकारिता के माध्यम से ही की जा सकती है। गरीबी और बेरोजगारी की मुख्य समस्या अत्याधिक, अनियंत्रित एवं निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या से है। स्वावलम्बी परिवार/व्यक्ति की सापेक्ष आर्थिक रूप से कमजोर की संख्या अत्यधिक है।

समाधान की दृष्टि से भारत स्वयं में बहुत बड़ा बाजार है। व्यापार की अपार सम्भावनाएं हैं। भारत जगदगुरु रहा है। विश्व बाजार में भी व्यापक स्तर पर सहभागिता निर्यात द्वारा किया जा सकता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, कृषि व दुग्ध उत्पादन से ग्रामीण क्षेत्र आर्थिक स्वावलम्बी हो सकते हैं। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के आर्थिक रूप से अक्षम लोगों के उत्थान में सहकारिता के अनुकरण से सामर्थ्यवान समाज किया जा सकता है। समाज के लोगों के अंदर कर्म का भाव जागृत करते हुए सफल व्यापारी/सहकारी समितियां विकसित करना होगा तथा समाज के सभी की सहभागिता हो, ऐसी सफल गुणवत्तायुक्त रचना से ही समस्त समाज आर्थिक समृद्ध होगा। जिन क्षेत्रों में राष्ट्र पूर्णतया आयात पर ही निर्भर हैं, उन क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए आत्मनिर्भर होने के सफल, सार्थक व समयबद्ध कार्य करने से विकल्प भी सुलभ होता है। यातायात व बिजली की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है। जिससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को फलीभूत होने में त्वरण का कार्य करती है। निर्यात की विधाओं को भारत सरकार के द्वारा अत्यन्त सरलीकरण किया गया है, उदाहरणार्थ उत्तर प्रदेश में वाराणसी से बनारसी साड़ियां निर्यात होती है। भदोही, मिर्जापुर एवं सोनभद्र से कालीन निर्यात होता है। परन्तु अब सब्जिया एवं अनाज भी निर्यात होने लगे हैं। सामग्री के अभाव में माँग के अनुरूप अल्प निर्यात हो रहा है, ऐसा इसलिये है कि सहभागिता अल्प लोगों की है। सहकारिता के क्षेत्र में बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियाँ एक संजीवनी प्रतीत होती है।

यदि व्यापक स्तर पर सभी की सहभागिता के साथ सहकारिता के मूल सिद्धान्तों पर गुणवत्ता युक्त रचना लक्ष्य पूर्ति हेतु किया जाता है तो आर्थिक रूप से स्वावलम्बी समाज की परिकल्पना साकार होती है।

—उमाकान्त शर्मा

प्रदेश सह प्रमुख, विपणन प्रकोष्ठ,
सहकार भारती, उत्तर प्रदेश

ESTD 1915

R.B.I. Licence No. UBD 756 (P)

Phone No. 0522-2626673

U.P. POSTAL PRIMARY COOPERATIVE BANK LTD.

Head Office : 3, Valmiki Marg, Lalbagh, Lucknow

Branch Local : Rajajipuram Post Office, Phone No. : 2418518, Purania, Sitapur Road, Lucknow. Phone No. : 0522-2968103

MATURITY VALUE OF SPECIAL FIXED DEPOSIT (UNDER RE-INVESTMENT DEPOSIT) W.E.F. : 21-11-2022

(GENERAL)

Amount (Rs)	12 Months	24 Months	36 Months	48 Months	60 Months
100	106.40	114.32	124.05	133.30	143.23
500	532.00	571.60	620.25	666.50	716.15
1000	1064.00	1143.20	1240.50	1333.00	1432.30
10000	10640.00	11432.00	12405.00	13330.00	14323.00
YIELD	6.40%	7.16%	8.016%	8.325%	8.646%

MATURITY VALUE OF RECURRING DEPOSIT W.E.F. : 21-11-2022

Amount (Rs)	12 Months	24 Months	36 Months	48 Months	60 Months
100	1241.40	2575.00	4029.20	5577.20	7240.40
200	2482.80	5150.00	8058.40	11154.40	14480.80
400	4965.60	10300.00	16116.80	22308.80	28961.60
500	6207.00	12875.00	20146.00	27886.00	36202.00

INTEREST RATE ON FIXED DEPOSIT W.E.F. 21-11-2022

	YEARLY
1. 15 days to 45 days	4.50%
2. 46 days to 90 days	4.75%
3. 91 days to 180 days	5.00%
4. 181 days but less than 1 year	5.25%
5. 1 year but less than 2 years	6.25%
6. 2 year but less than 3 years	6.75%
7. 3 Years and upto 5 years	7.25%

M.I.S. DEPOSIT FOR FIVE YEAR 7.25%

MONTHLY INCOME SCHEME DEPOSIT

Get Rs. 60.05 per months MIS Deposit of Rs. 10,000/- for Five years pre-mature refund allowed after one year on usual Terms.

MATURITY VALUE SUBJECT TO THE TDS

SANJAY SHUKLA
SECRETARY

SAVING BANK ACCOUNT 3.50%

Before Maturity 1% Penal Interest Charged by Bank



आधुनिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी यूनिट

- आधुनिकतम मशीन द्वारा दूरबीन वीडियो से
- गाल ब्लेडर (पित्त की थैली की पथरी) अपेंडिक्स
- नर्वीनिय (Hysterectomy)
- ओवेरियन सिस्ट इत्यादि का ऑपरेशन
- लेजर द्वारा बच्चासरी का इलाज

बाल रोग एवं नवजात शिशु विभाग

- नवजात शिशु बहुत विकसित कक्ष
- ईनक्युबेटर, वायर, फोटोवैरीयॉ मॉनिटर, पल्स ऑक्सीमीटर
- सिरिज पम्प, सेंद्रित सेक्शन एवं ऑक्सीजन से सुसजित
- आवातकालीन सेवा एवं भर्ती 24 घंटे उपलब्ध

प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग

- बिड रीहा प्रसव व दूरबीन द्वारा बच्चा बन्द करने का ऑपरेशन
- High Risk Pregnancy
- Hysteroscopy दूरबीन द्वारा गर्भाशय की जाँच एवं इलाज
- Colposcopy टेस्ट सभी प्रकार के ऑपरेशन



डॉ. रावी कुमार
आन्तरिक रोगों का विशेषज्ञ



डॉ. रावी कुमार
आन्तरिक रोगों का विशेषज्ञ



डॉ. रविशंकर झा
आन्तरिक रोगों का विशेषज्ञ



हम रखते हैं
आपका खयाल
क्योंकि हम हैं
आशीर्वाद



डॉ. रविशंकर झा
आन्तरिक रोगों का विशेषज्ञ



डॉ. रविशंकर झा
आन्तरिक रोगों का विशेषज्ञ



डॉ. रविशंकर झा
आन्तरिक रोगों का विशेषज्ञ



ईमरजेंसी
सेवा
24 घंटे
उपलब्ध

आशीर्वाद टेस्ट द्यूब बच्ची सेंटर

इन्फर्टिलिटी यूनिट

- बांझपन के इलाज हेतु
- IUI, IVF की सुविधा
- इन्फर्टिलिटी से 6 साल की ट्रैनिंग

जनरल सर्जरी

- सभी प्रकार के जनरल ऑपरेशन एवं लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन
- हार्निया, वेस्ट, आंतों का ऑपरेशन आदि

यूरोलॉजी विभाग

- ESWL बिना ऑपरेशन के पथरी तोड़ने की मशीन
- प्रोस्टेट, किडनी, यूरैटर, पेशाब की थैली की पथरी का इलाज दूरबीन वीडियो द्वारा

अन्य सुविधाएं

- एक्स-रे, पैथोलॉजी Ultrasound
- कैन्टीन, एम्बुलेंस, फिशियोथेरेपी
- 24 घंटे बिजली पानी की सुविधा



Birdorpur, Mahmoorganj, Varanasi

Tel. 0542-2360146, 2363534, 2362246

mail : ahrc2710@gmail.com | www.ashirvad.org.in

HELP LINE : 09670311117, 9984991991

Making Your Child's World Better
HIGHER • STRONGER • BRIGHTER School Code: 1603446

THE BRIGHTLAND SCHOOL

Affiliated by Basic Edu. Deptt. U.P. Govt. (CBSE Pattern) CCTV Security

From Nursery to 8th Class

ENGLISH MEDIUM

ADMISSION OPEN
Time to choose a future, now

ADDRESS : VILL. CHHITRAI, TUNDLA, DISTT. FIROZABAD - 283204

9927963591
9634536870

बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी
समिति लि० हापुड पूर्वी (दोयमी)



श्री विपिन कुमार चट्ठा
सभापति
मो० : 9149265726

श्री शोभित मोहन
सचिव
मो० : 9627463536



इं० गंगाराम शर्मा चेयरमैन
(अध्यक्ष),

कानपुर थोक केन्द्रीय उपभोक्ता

सहकारी भण्डार लि०

नयाबाजार, कानपुर-208025

मो०नं० 9453028397, 9369628397

बाँदा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.

Banda Urban Co-operative Bank Ltd.

बैंक का कार्यालय बाँदा, वि.स.स. बाँदा

Mobile : 9450169488, 9450169489



RDS / NEFT, ECS, Banker's Cheques, Mobile Banking & Card Shopping



पंजीकृत सं० 1639

दिनांक : 8-2-1978/4-12-2003

कृषक सेवा सहकारी समिति लि० मीरपुर कलाँ विकास खण्ड - हापुड, जनपद-हापुड

समिति द्वारा सम्पादित योजनाएँ:-

- कृषकों को मात्र 3 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण सुविधा।
- उर्वरक व बीज आदि का उधार व नगद वितरण।
- फार्म मशीनरी बैंक के अन्तर्गत कृषकों को एम.बी. प्लाऊ, मल्वर व जीरो टिलर सीड मशीन किराये पर उपलब्ध।
- मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहू खरीद।
- बिजली बिल जमा
- माइक्रो ए.टी.एम. द्वारा पैसों का लेन-देन व ट्रांसफर सुविधा।



श्री अर्जुन सिंह
सचिव

श्री राहुल चट्ठा
सभापति

जिला सहकारी बैंक लि०, कानपुर द्वारा ग्राहकों को दी जानेवाली सुविधायें



सभापति

● अपने बकाया कृषि ऋण को तत्काल जमा कर रसीद प्राप्त करें और 3 प्रतिशत ब्याज पर पुनः कृषि ऋण प्राप्त करें। ● बैंक की शाखाओं से सम्बद्ध समितियों के माध्यम से 5 वर्ष की रिवाल्विंग-ऋण सीमा के सापेक्ष राष्ट्रीयकृत बैंकों की भाँति कृषि ऋण उपलब्ध। ● व्यवसायिक एवं ग्रामीण बैंकों की तुलना में 1 प्रतिशत कम ब्याज दर अर्थात् 3 प्रतिशत की ब्याज दर पर समितियों से तत्काल कृषि ऋण प्राप्त कर लाभ उठायें। ● आसान औपचारिकताओं पर विविधीकरण ऋण की सुविधा जिसमें भवन ऋण, वाहन ऋण, व्यक्तिगत ऋण, सम्पत्ति के विरुद्ध, एल०आई०सी० पालिसी पर ऋण/किसान विकास पत्र पर ऋण ऋण/राष्ट्रीय बचत पत्र पर ऋण/बैंक मियादरी जमा पर ऋण/ओवर ड्राफ्ट की सुविधा इत्यादि। ● पशुपालन हेतु एनिमल हसबेन्ड्री क्रेडिट कोर्ड की सुविधा उपलब्ध। ● समितियों के माध्यम से विद्युत बिल जमा करने की योजना लागू। ● शीघ्र ही सभी शाखाओं से सम्बद्ध सहकारी समितियों को कम्प्यूटराइजेशन एवं ए०टी०एम० की सुविधा। वर्तमान में जनपद कानपुर नगर की 34 समितियों में एवं कानपुर देहात की 33 समितियों में पैक्स कम्प्यूटराइजेशन की प्रक्रिया प्रथम चरण में प्रारम्भ कर दी गयी है। ● बैंक की शाखाओं से सीधे ₹० 3.00 लाख तक का फसली ऋण की सुविधा 3 प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध। ● भारत बिल पेमेंट सिस्टम के माध्यम से सभी समितियों की मोबाइल रिचार्ज, डी.टी.एच. रिचार्ज, बीमा जमा, एल०पी०जी० गैस भुगतान, पानी बिल जमा, नगर निगम व निकाय के बिल जमा, क्रेडिट कार्ड के बिल जमा आदि सुविधायें प्रदान की जा रही हैं। ● सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत जीवन ज्योति बीमा योजना एवं जीवन सुरक्षा बीमा योजना की सुविधा उपलब्ध। ● फसल बीमा योजना में सम्मिलित होने हेतु अपनी सहमति प्रदान कर अपनी फसल को प्राकृतिक आपदा के प्रभाव से फसल को हुए नुकसान के एवज में नुकसान की भरपायी हेतु धनराशि की भरपायी करने हेतु सुविधा उपलब्ध। ● समिति के सदस्यों को 9.40 अंश करने पर ₹० 5000.00 का दुर्घटना बीमा कवरज।

सुनील कुमार वर्मा

(एस०डी० सिंह परिहार)

सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
जिला सहकारी बैंक लि०, कानपुर

सभापति
जिला सहकारी बैंक लि०, कानपुर

निबंधन सं० 497

स्थापित दिनांक-01-07-1936

विद्युत ट्रांसमिशन कर्मचारी वेतनभोगी ऋण सहकारी समिति लि०

41/557 डा० तुफैल अहमद मार्ग,
लोहिया मजदूर भवन,
नरही, लखनऊ

राजधानी नगर सहकारी बैंक लिमिटेड
लखनऊ

प्रशासनिक कार्यालय

साई टावर, सी०पी० 42, सेक्टर ई,
सीतापुर रोड योजना, रिंग रोड,
जानकीपुरम, लखनऊ

हमारी शाखायें:-

1. शाखा आलमबाग
2. शाखा कसाईबाड़ा (गौतम बुद्ध मार्ग)
3. शाखा गोमती नगर
4. शाखा विकास नगर
5. शाखा एल.डी.ए.कालोनी
6. शाखा मुंशीपुलिया
7. शाखा जानकीपुरम
8. विस्तार पटल, चिनहट

(उमेश चन्द्र गुप्त)

सचिव

(लॉकर सुविधा
उपलब्ध है)

राजधानी नगर सहकारी बैंक लि.,
लखनऊ

पंजीयन सं० 3782



स्थापित : 2004

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय कर्मचारी वेतनभोगी ऋण सहकारी समिति लि०

पंजीकृत कार्यालय - 347/346, पुराना टिकैतगंज, पुलिस चौकी के सामने लखनऊ - 226 004 मो० 9415544275

रियल सिल्क हैण्डलूम को०सो०लि०

जे 33/39 कच्ची बाग, वाराणसी

सभापति-हाजी अल्ताफ अंसारी

अंगिका को०सो०लि०

1/88 गोलाघाट, रामनगर, वाराणसी

सभापति-अमरेश कुशवाहा

निबंधन सं० 497

स्थापित दिनांक-01-07-1936

लखनऊ म्युनिसिपल कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, नगर निगम लखनऊ

41/557 डा० तुफैल अहमद मार्ग, लोहिया मजदूर भवन, नरही, लखनऊ

आकिफा हैण्डलूम सिल्क को०सो०लि०

ए17/113के अंसाराबाद, वाराणसी

सिल्क साड़ी, थान, सूट के निर्माता एवं विक्रेता

सिल्क वीवर्स को०सो०लि०

जे15/56; I-1A-K, दोषीपुरा, वाराणसी

सभी प्रकार के साड़ी होम फर्निशिंग के उत्पादनकर्ता एवं विक्रेता

जिला सहकारी फेडरेशन लि० आजमगढ़

चन्देसर राय, सभापति
मो०नं० 8601851212

मुरली मनोहर सिंह, सचिव
मो०नं० 8874673179

शिव बचन यादव,
उपसभापति

संचालक मण्डल—श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री हरिलाल मिश्रा, श्री आलोक सिंह, श्री यशवंत सिंह, श्री महेन्द्र राय, श्री बजरंग बहादुर सिंह, श्री विनोद उपाध्याय, श्री नन्दलाल यादव, श्रीमती धनमन्नी, श्रीमती रंजना सिंह, श्री ब्रजेश यादव।

फेडरेशन द्वारा जनपद में (16) सोलह सार्वजनिक वितरण प्रणाली, (23) टेईस उर्वरक विक्रय केन्द्र व उर्वरक रैक हैंडलिंग का कार्य संस्था द्वारा किया जा रहा है।

निजामाबाद सहकारी क्रय-विक्रय समिति लि०, जनपद आजमगढ़

समिति द्वारा उर्वरक व्यवसाय व बीज बिक्री तथा राशन की तीन दुकानों द्वारा खाद्यान्न वितरण कार्य व पी०सी०एफ० आजमगढ़ के अभिकर्ता के रूप में गेहूँ/धान की खरीद की जाती है। इस प्रकार समिति अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए प्रगति के पथ पर अग्रसर है।

विजय कुमार पाण्डेय, सभापति
मो०नं० 9452409398

आभार
कमलेश सिंह, सचिव
मो०नं० 7007428604

आरती वर्मा, उपसभापति
मो०नं० 7348737631

एवं “समस्त संचालक गण”

मेहनगर सहकारी क्रय-विक्रय समिति लि०, जनपद आजमगढ़

समिति द्वारा उर्वरक व्यवसाय व बीज बिक्री तथा राशन की एक दुकान द्वारा खाद्यान्न वितरण कार्य व पी०सी०एफ० आजमगढ़ के अभिकर्ता के रूप में गेहूँ/धान की खरीद की जाती है। इस प्रकार समिति अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए प्रगति के पथ पर अग्रसर है।

भरत यादव, सभापति
मो०नं० 9919615173

आभार
एवं
“समस्त संचालक गण”

मनवास यादव, सचिव
मो०नं० 8922808080



2023 - नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ

ROYAL GROUP

H.O. Dargah Road, Near B.T. D. Chowk, Ghazipur, Lucknow (U.P.) 226001
E-mail: royalgroup942@gmail.com, Mob.: 8175993256



**कम कीमत पर पाये
प्लॉट, मकान**

सन्दीप मिश्रा
पुष्पेश - गीता शर्मा
सहसंयोजक सचिव



**अपने घर का सपना
करें साकार**

किशोर नाथ मिश्रा
पुष्पेश सन्दीप
सहसंयोजक सचिव



शिव प्रकाश
सी.एस.डी.

सहकार भारती के स्थापना दिवस पर सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यगण को
नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।

ग्राम पंचायत लबकनी गंगा विकास कार्यो के लिए प्रयासरत है।
मैरा लक्ष्य ग्राम पंचायत लबकनी गंगा को मॉडल गांव बनाना।



लालमुनि देवी पल्टी प्रेमनाथ,
ग्राम प्रधान लबकनी गंगा

जिला सहकारी फेडरेशन लि०, कानपुर

सहकार भारती उ०प्र० के सभी पदाधिकारियों को संस्था की स्मारिका
प्रकाशन एवं सहकारिता क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।

अजय प्रताप सिंह (सभापति)
मो०नं० 08318850744, 9450136170



URJA Gasifiers Pvt. Ltd.



Antyeshti

Green Journey To Heaven

**INNOVATION IN
HINDU CREMATION SYSTEM**

Salient Features :

- ✳ Pollution Free.
 - ✳ Zero Power.
 - ✳ Wood Consumption Less Than 120kg.
 - ✳ Time Less Than 1½ hrs.
 - ✳ As per Hindu Astha & Belief & Riti Riway
 - ✳ Maintains Sentiments of the People.
 - ✳ Maintains the Culture & Heritage on Hindu Cremation.
 - ✳ Highly accepted by the People & the Ghat Karme.
- The Ghat Karmee also Supports This System & Feels Connected & do not Fear the loss of Job.



A must to do system for each & every cremation Ground & to give an opportunity to the Near & Dear to perform the last Rituals peacefully & Respectfully.



URJA Gasifiers Pvt. Ltd.

N.D. COLLEGE ROAD, GORAKHPUR - 224001 (U.P.) INDIA
MOB: +91-9550191811, 9415212801, 9415321803
Website: www.urjaindia.in



**INTECCO
TECHNICAL**
SERVICES PVT. LTD.

Tally
POWER OF SIMPLICITY

DESIGNED TO ADAPT TO YOUR OPERATIONAL NEEDS



FUND MANAGEMENT SOLUTION FOR GOVT. PROJECTS (MMPs)

- Import complete COA/PIP and create masters, ledgers, budget heads in no time
- Budget disbursement & control
- Financial & physical reporting of projects
- Scalability and multi-platform integration for seamless data exchange
- Functionality-wise rapid result, covering all major data capture and reporting requirements
- FMR, SOE, UC and other MIS generation from within the system
- Compliance to GOI/World Bank requirements on project reports
- Technology that is easy to adopt and operate on
- Data ownership and extensibility capabilities
- Easy integration with third-party software

Head Office - Intecco Technical Services Pvt Ltd, Tally Certified Partner
102, Mahaveer Arcade, Above DM Departmental Store, Picnic Spot Road, Faridi Nagar, Lucknow UP 226015.

Website - www.inteccoservices.com, **Phone** - 9115215456.



The Bijnor Urban Co-operative Bank Ltd., Bijnor With You Since 1987

Largest urban Co-op bank of District

We are a bank with focused approach!

To render a better output one needs to be focused. True. In our operations, we keep customer satisfaction always at the focal point. And results are evident in our growing customer base.

- CORE BANKING SERVICE
- IMPS
- NON FINANCIAL MOBILE APP.
- PERSONALIZED CHEQUE BOOK
- SAFE DEPOSIT LOCKER
- NCPI- ABPS, NAPBS, MMS, etc. Services
- Best deposit rates than other bank's
- DEBIT CUM ATM CARD
- POS / ECOM
- RTGS/NEFT
- MISSED CALL ALERT (Balance Inquiry)
- SMS / A/C STATEMENT ALERT
- ANY BRANCH BANKING
- All type loan facilities

Dr. Seema Chaudhary
Chairman

Mr. Mayank Pal Singh
Vice Chairman

Mr. Shankar Lal Jat
Chief Executive Officer

Registered Office : 183, Civil Lines I, Bijnor (U.P.) Ph. No. 01342-264408, Fax No. 01342-264408

Regd. No. : 0110



TOP RANKER'S CHOICE

SKYY INSTITUTE

(A Unit of Sky Altura Educational Institute Private Limited)

Mobile : 9335341641, 8896776555, 7524014128

ADMISSION STARTED

Hostel, Transport,

Lets Crack It

School Admission Available.

TARGET NEET / IIT-JEE / NDA

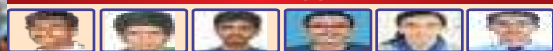
FACULTY



Mohd. Suhail
AIR 100/360
NEET 2021



Our JEE - Advance Toppers



Aditya IIT-JEE AIR - 11
Ashish IIT-JEE AIR - 20
Ritesh IIT-JEE AIR - 30
Pandya Kevin Mohita Rishi IIT-JEE AIR - 300
Tirth Patel IIT-JEE AIR - 1100



S.K. Yadav
Director/HOD-Bio
Exp. 21 Years



Bharat Mishra
HOD-Maths/Phys
Exp. 23 Years



K. Vinod
HOD-Chemistry
Exp. 23 Years



Rohit Sir
HOD-Math
Exp. 15 Years



R.K. Prasad
HOD-Physics
Exp. 23 Years



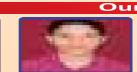
Divyanshu AIR 15
AIPT-MT AIR 206
NEET 2021



Divy Singh CMAT CSE Rank 1
AIPT-MT AIR 33
NEET 2021



Divyanshu AIR 15
AIPT-MT AIR 206
NEET 2021



Divyanshu AIR 15
AIPT-MT AIR 206
NEET 2021



Divyanshu AIR 15
AIPT-MT AIR 206
NEET 2021



Divyanshu AIR 15
AIPT-MT AIR 206
NEET 2021



Divyanshu AIR 15
AIPT-MT AIR 206
NEET 2021



Divyanshu AIR 15
AIPT-MT AIR 206
NEET 2021



Divyanshu AIR 15
AIPT-MT AIR 206
NEET 2021



Divyanshu AIR 15
AIPT-MT AIR 206
NEET 2021

FOUNDATION
VI - XII
NTSE, SAT,
OLYMPIADS

BOARDS
(ISC/ICSE/CBSE)
For All Stream
VII - XII
All Subject

IAS, PCS, PCS-J,
LOWER SUBORDINATE
S.S.C., BANK-P.O.
CSIR-UGC, JRF-NET
PGT, TGT (All Subject)

ONE DAY EXAMS
TET, SUPER TET
B.Ed. ENTRANCE
UPSI, UPP, CRPF,
LEKHPAL, V.D.O.

Regd. Office : Shristi Bhawan, Indraprasth Nagar, Mahanagar, Lucknow

Our Branches : IInd Floor, Bansal complex, Faizabad Road, Lucknow
2/636/1, Sector-2, Vikas Nagar, Lucknow

नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं



सुधा सिंह
अध्यक्षा



आरिफ हुसैन राइन
सचिव

**एटा अर्बन कोऑपरेटिव
बैंक लिमिटेड**

**शाह पैलेस गांधी मार्केट,
एटा, (उप्र) 207001**

जिला सहकारी बैंक लि०, मिर्जापुर

(प्रधान कार्यालय :- कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड, मिर्जापुर)

Email : deh.mirzapur@gmail.com Website : www.debmirzapur.com

सहकार भारती के 8वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन लखनऊ—स्मारिका के शुभ अवसर पर बैंक की प्रगति व उन्नति में जनपद मिर्जापुर एवं सोनभद्र के सभी कृषक बन्धुओं एवं बैंक खाता धारकों के सक्रिय योगदान के लिए जिला सहकारी बैंक लि०, मिर्जापुर आपका हार्दिक अभिनन्दन करता है।

हमारी प्रमुख विशेषतायें :-

1. आधुनिक सुविधाओं से युक्त पूर्णतः कम्प्यूटराइज्ड शाखाएं जो कोर बैंकिंग सल्यूशन पर कार्य कर रही है।
2. धन प्रेषण एवं आहरण हेतु RTGS/NEFT/ ATM, Mobile ATM Van एवं M Passbook, Sarvatra Card Safe App, BBPS द्वारा समस्त प्रकार के बिलों का भुगतान करने की सुविधाएं उपलब्ध।
3. बैंक की शाखाओं में समस्त बैंकों से सस्ती दर पर लाकर की सुविधा उपलब्ध।
4. वरिष्ठ नागरिकों हेतु विशेष रियायत एवं जमा धनराशि पर 0.80 प्रतिशत ज्यादा ब्याज देय।
5. शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या के रोजगार व्यवसाय वृद्धि उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद, गृह निर्माण हेतु कार ऋण आदि हेतु विशिष्ट ऋण की सुविधा।
6. किसानों हेतु सबसे सस्ते दर मात्र 3 प्रतिशत ब्याज दर पर फसली ऋण एवं के०सी०सी० की सुविधा उपलब्ध।
7. कृषकों के लाभ हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू।
8. विशेष प्रावधान के अनुसार किसी भी विभाग/संस्थान/उपक्रम के 10 से ज्यादा सदस्यों की निर्मित वेतनभोगी समिति को बैंक द्वारा साधारण ब्याज दर पर 20.00 (बीस लाख) तक की आसान किस्तों में ऋण सुविधा उपलब्ध।
9. तहसील स्तरीय शाखाओं पर ए०टी०एम० लगाकर ग्राहकों को रुपये किसान, क्रेडिट कार्ड, मोबाईल बैंकिंग, एस०एम०एस० एलर्ट, यूपीआई/क्यू आर कोड क्रेडिट एवं सर्वत्रा कार्ड सेफ एप की सुविधा प्रदान की जा रही है।

अधिक जानकारी के लिए हमारी निकटतम शाखा में सम्पर्क करें।

ए०पी० अग्रवाल
सचिव/सी०ई०ओ०
जिला सहकारी बैंक लि०
मिर्जापुर

लोक नारायण सिंह
अध्यक्ष
जिला सहकारी बैंक लि०
मिर्जापुर



समाजसेवी कार्य

समाजसेवी सपना और संदीप सरावगी अब तक सर्वसमाज की सैकड़ों बेटियों के विवाह में सहयोग कर चुके हैं। जनपद के सबसे बड़े पार्लर में उनका श्रंगार करवाकर उपहार के साथ ऊंच-नीच, जात-पात का भेदभाव मिटाने हेतु पैर धोकर विदा किया जाता है, जिससे आने वाली पीढ़ी प्रेरित हो।

सहकार भारती के विभाग संयोजक के दायित्व के तहत नियमित बैठकों और कार्यशालाओं का आयोजन जिससे सहकार भारती की योजनाओं का क्षेत्र में प्रचार प्रसार हो सके। वहीं श्रीमती सपना गुप्ता समाजसेवी एवं सहकार भारती की महिला प्रमुख के रूप में कार्य कर रही हैं।

रक्षाबंधन एवं दोज पर सैकड़ों बहनों को उपहार स्वरूप करोड़ों रुपये की बीमा पॉलिसी का वितरण।

नियमित नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन जिसमें अब तक हजारों लोग लाभान्वित हुए लगभग 1700 मरीजों को चश्मा वितरण एवं 537 मरीजों का मोतियाबिंद का इलाज करा चुके हैं।

स्वतंत्रता के बाद अब तक का सबसे बड़ा तुलसी पूजन कार्यक्रम भी सरावगी दम्पति द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें देश के कई प्रखर वक्ता शामिल हुए।

कोरोना महामारी में हाथ खोल कर जनता का सहयोग किया चाहे भोजन की समस्या हो या ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी, किसी भी मामले में संघर्ष सेवा समिति पीछे नहीं हटी।

समय-समय पर खेल, कला व शिक्षा क्षेत्र की प्रतिभाओं का सम्मान एवं उपकरणों के साथ पुस्तक और पुस्तिकाओं का वितरण।

उपलब्धियां

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक द्वारा विश्व गौरव सम्मान से राजधानी लखनऊ में सम्मानित किया गया।

महाराष्ट्र एवं गुजरात के राज्यपालों से उत्कृष्ट समाजसेवा हेतु सम्मानित।

उत्तर प्रदेश रत्न, राजीव गाँधी ग्लोबल अवार्ड, तेजस पुरष्कार जैसे कई राष्ट्रीय सम्मानों से पुरस्कृत।

समाज सेवा के कार्यों को देखते हुए अमेरिका की रॉयल अमेरिकन यूनिवर्सिटी उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से भी सम्मानित कर चुकी है।

उद्देश्य

सर्वसमाज हेतु पूरे बुंदेलखण्ड में असहायों को आवास देने का प्रयास जिससे देश व प्रदेश सरकार का उद्देश्य सबका साथ सबका विकास योजना धरातल पर परिलक्षित हो सके।

संघर्ष

सेवा समिति



श्रीमती सपना - डॉ. संदीप सरावगी

अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ - संघर्ष सेवा समिति
महिला प्रमुख - सहकार भारती, झाँसी महानगर

संस्थापक/अध्यक्ष - संघर्ष सेवा समिति
विभाग संयोजक - सहकार भारती
मण्डल चेयरमेन - उ.प्र. उद्योग व्यापार मण्डल



पूर्णतः सहकारी स्वामित्व

Wholly owned by Cooperatives

इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड

इफको सदन, सी-1, डिस्ट्रिक्ट सैन्टर,
साकेत प्लेस, नई दिल्ली-110017
(जनसम्पर्क विभाग)

दूरभाष : 42592787, 42592785